खण्ड-195, अंक-6
मंगलवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1880
(29 जुलाई, 1958 ई0)

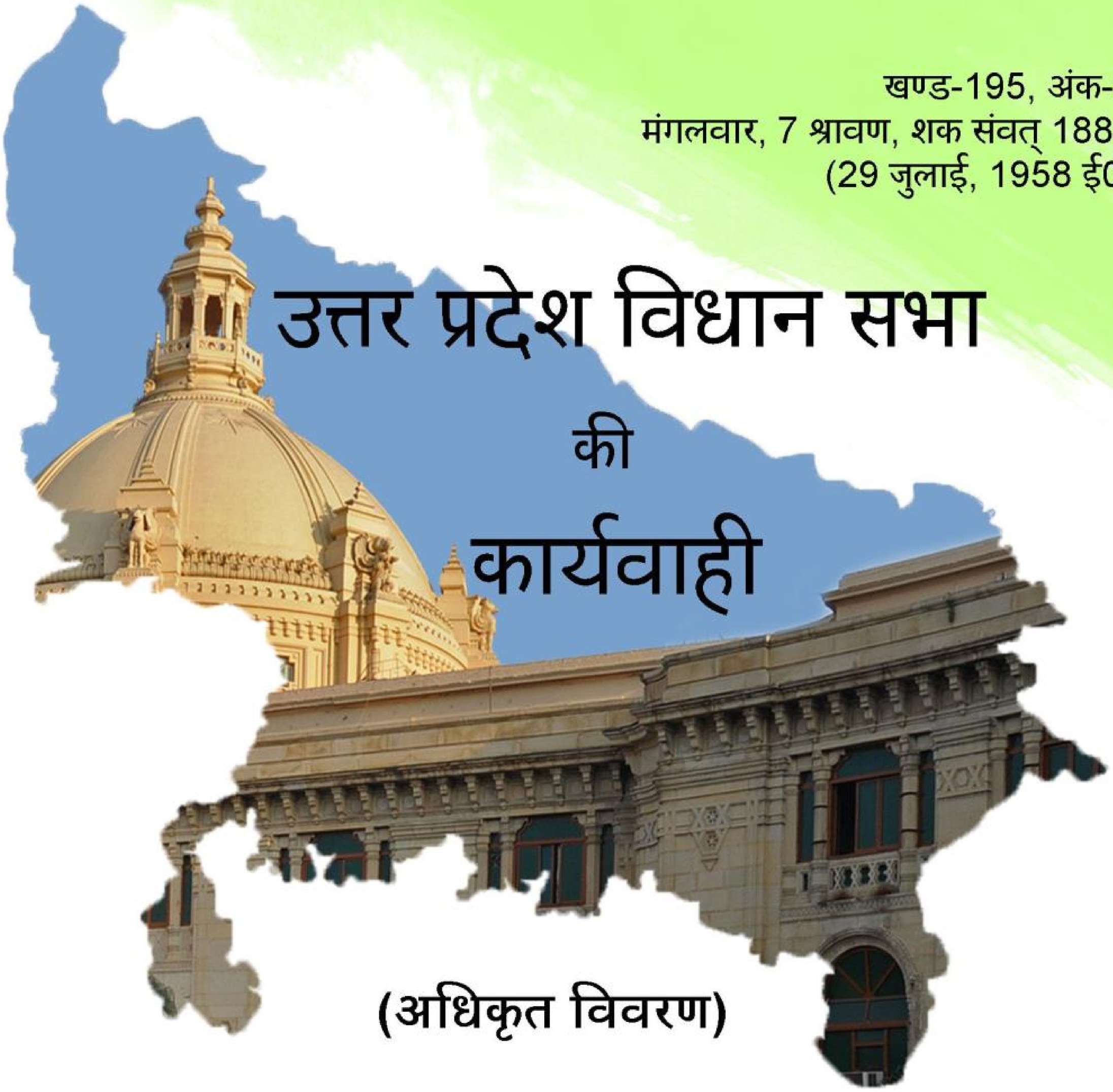

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

मंगलवार, २९ जुलाई, १९५८

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

## उपस्थित सदस्य (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री

गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

## मंगलवार, २९ जुलाई, १९५८

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### लखनऊ में विधान सभा मार्ग पर स्थित विद्युत् विभाग द्वारा अधिकृत बंगले का विक्रय

**१—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा मार्ग (ऐबट रोड) पर स्थित २३-सी नम्बर का बंगला विद्युत् विभाग ने अगस्त, १९५७ में सरकारी दफ्तरों तथा सरकारी पदाधिकारियों के निवास के लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत हस्तगत किया था? यदि हां, तो कितने रुपये में?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां। क्योंकि विद्युत् विभाग के दफ्तर और पदाधिकारियों के निवास के लिये आवश्यकता थी और विभाग को ये इमारतें बनाने के लिये कोई उपयुक्त भूमि नहीं मिल सकी।

इस बंगले को हस्तगत करने के लिये ६७,५४४ रुपये दिये गये थे।

**२—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बंगला अब एक लेडी डाक्टर को बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और कितने रुपये में?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, डाक्टर (कुमारी) एस० इट्टी जो उसी बंगले में रहती हैं उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी कि वह बंगला छोड़ने से उनके व्यवसाय को बहुत धक्का पहुंचेगा। विचार करने पर सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि क्योंकि डाक्टर इट्टी अपने व्यवसाय द्वारा काफी जन सेवा भी करती हैं, उनको वहां से विस्थापित करना उचित न होगा। अतः यह बंगला उनको बेच दिया जाय।

डाक्टर इट्टी से सरकार ने इस बंगले के लिये वही मूल्य लेना निश्चय किया है जिस पर इसको हस्तगत किया गया था। इसके अतिरिक्त ये रजिस्ट्रेशन की फीस और खरीद सम्पन्न होने की तिथि तक सरकार को उसी दर से किराया भी देंगी, जिस दर पर पुराने मालिक मकान को दे रही थीं।

**३—श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत विभाग के कार्यालय और पदाधिकारी अब भी किराये के मकानों में रह रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी हां।

## कानपुर में जल-कर में वृद्धि

**४—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर ऐडमिनिस्ट्रेटर द्वारा पानी का टैक्स अभी हाल में कुछ बढ़ा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

**५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अभी हाल में कानपुर में पानी का टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के पास आवेदन (representations) आये हैं? सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या विचार किया है?

श्री रामस्वरूप यादव—आवेदन-पत्र कानपुर नगर में पानी के मूल्य के वृद्धि के सम्बन्ध में आये थे, उन्हें सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना को जानकर कि २,००० और ३,००० गैलन वाटर पर टैक्स में वृद्धि की गई है, उसका कारण बताने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—उसका कारण यह था कि कानपुर में वाटर वर्क्स के ऊपर कम से कम १,००,००,००० रुपया उसको ठीक कराने में लगा और हर साल जैसा कि मौजूदा रेट था उसकी वजह से ८,००,००० रुपया सालाना इंस्टालमेंट देना पड़ता था और इतनी आय नहीं होती थी। वाटर वर्क्स नुक्सान पर चल रहा था, १९५५-५६ और १९५६-५७ से, इसलिये जल की दर में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रांत के अन्य कवाल शहरों में यह वृद्धि नहीं की गई है तो कानपुर के लिये पुनः विचार करने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि कानपुर का रेट और जगहों से कम है।

## तराई-स्टेट-फार्म में गोली चलाने की घटना

**६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तराई-स्टेट फार्म में अभी हाल ही में गोरखपुर लेबर ग्रुप के मजदूरों पर एक अधिकारी ने गोलियां चलाईं? यदि हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—१९ जून, १९५८ की रात को तराई स्टेट फार्म के पूर्वीय भाग नगला में एक सरकारी कर्मचारी ने भयभीत होकर उत्तेजित मजदूरों को भगाने के लिये हवाई फायर किया।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी इस घटना का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---घटना इस प्रकार है कि उस दिन रात को फार्म के एक कर्मचारी ने जिसके ब्लाक में बेनी नदी है, पानी से सिंचाई हो रही थी, एक मजदूर को जिसने दूसरे कर्मचारी के कहने से पानी काट कर अपने ब्लाक में लगा लिया था, बुलाकर ऐसा करने के लिये, सुपरवाइजर ने एक चांटा मार दिया था। इसका उस मजदूर तथा उसके साथियों ने विरोध किया और वे हुल्लड़ मचाते हुये, और उस कर्मचारी को जिसने चांटा मारा था, गालियां देते हुये फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट के घर की ओर चले। रास्ते में श्री रिछपाल सिंह सुपरवाजर ने, जिसने उस मजदूर को चांटा मारा था, जब यह बात देखी तो वह श्री अमरसिंह, इंस्पेक्टर के घर में घुस गये। श्री अमरसिंह ने उन मजदूरों को डराने के लिये हवा में गोली चलाई। चूंकि फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट उस दिन छुट्टी में बाहर गये हुये थे, वे मजदूर वहां से बहुत देर बाद रात को असिस्टेंट डायरेक्टर के यहां शिकायत करने पहुंचे।

असिस्टेंट डायरेक्टर ने सुबह मौके पर जाकर झगड़े की तहकीकात करके उन सबको समझा-बुझा दिया और अन्य कर्मचारियों को धमका कर आयन्दा के लिये आगाह कर दिया, एवं वे सब मजदूर खुशी-खुशी अपने-अपने कार्य पर हाजिर हो गये।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जांच किसने की ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस अफसर ने गोली चलाई थी, वह हवाई फायर नहीं था बल्कि कुछ मजदूर घायल हुये थे और वह उस समय शराब पिये हुये थे जब गोली चलाई थी ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---यह सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार जांच करेगी कि गोली से किसी के चोट लगी या नहीं ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---अगर माननीय सदस्यों की यह खबर है कि किसी को चोट लगी है तो मैं जरूर उसकी देखभाल करूंगा।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या जिन अफसर महोदय ने एक मजदूर को चांटा मारा उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गयी ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन था और फार्म के जनरल मैनेजर वहां पर थे नहीं। इसलिए सूचना काफी नहीं आ सकी है। मेरे पास काफी सूचना इस समय नहीं है।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---क्या इस सम्बन्ध में फिर से सारी सूचना मंगा कर जल्दी से जल्दी सदन के सामने रखने की मेहरबानी कृषि मंत्री जी करेंगे ?

**श्री मोहनलाल गौतम**---मैं सब देख लूंगा और जो मेरी सूचना होगी, वह मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

## कक्षा सात में निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध न हो सकना

****७---श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार कक्षा सात के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के आदेश जारी हो गये हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी नहीं, धनाभाव के कारण इसके लिये इस वर्ष के बजट में कोई प्राविधान नहीं किया जा सका।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यदि कक्षा सात की फीस माफ की जाती तो सरकार को कितने धन की आवश्यकता पड़ती ?

श्री कैलाशप्रकाश---सम्भवतः ४० लाख या उससे कुछ ऊपर।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि जब इसके लिए रुपया बजट में मौजूद नहीं था और सरकार के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह इसके लिए रुपया रखती तो यह घोषणा बजट में क्यों की गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, कुछ इरादे रहते हैं और भविष्य का सारा पता भी नहीं रहता। जिस समय ये इरादा था उस समय यह खयाल था कि यह धन उपलब्ध हो जायगा। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जो माननीय सदस्यों को भी ज्ञात हैं कि रुपया इस वक्त इतना नहीं है कि इस काम को कर सकें।

श्री गेंदासिंह---बजट में कौन-सी रकम कम हो गयी जिस की वजह से यह विचार त्याग देना पड़ा ?

श्री कैलाशप्रकाश---बजट में कोई कमी नहीं की गयी। यह रुपया तो बजट में बढ़ाना था।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी विधान के निर्देशक तत्वों के नियमों को ध्यान में रखते हुए कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, इस पर पुर्नविचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, विचार किया गया है। इरादा भी था ही और संविधान को भी देखा हुआ है। इन सब चीजों के होते हुये कठिनाई वही धन की है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बजट भाषण के समय वित्त मंत्री को बजट की स्थिति का पता नहीं था ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, बिलकुल ठीक पता था और जिस साल भाषण दिया गया था उस समय यह भी कह दिया गया था। It is Government's intention, if resources permitting, the concession will be extended to class 7.

रिसोर्सेज की बात तो उस वक्त भी ध्यान में थी, कि अगर रिसोर्सेज होंगे तो यह काम करना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि अब उनका इरादा कक्षा सात में फीस माफ करने का कब है ? इस वर्ष या अगले वर्ष ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, नजूमी के क्षेत्र में पदार्पण नहीं किया है। इतना ही कह सकता हूं कि यह इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हो सके और जब भी हम धन का प्रबन्ध कर सकें।

श्री गेंदासिंह---क्या यह खबर सही है कि वित्त मंत्रालय तो स्टेट का इस बात के पक्ष में था लेकिन शिक्षा मंत्रालय इस हक में नहीं था, इसलिये यह फीस माफी नहीं दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

## तारांकित प्रश्न

### मुजफ्फरनगर जिले की शामली नगरपालिका में चुंगी-कर बढ़ाया जाना

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शामली नगरपालिका, जिला मुजफ्फरनगर ने गत १५ फरवरी, १९५८ के करीब से गन्ना किसानों की गाड़ियों व ट्रैक्टरों व मोटर ट्रकों पर चुंगी दुगुनी के करीब कर दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*२—श्री वीरन्द्र वर्मा—रेट्स में जो वृद्धि की गई है, क्या उसकी स्वीकृति सरकार से पूर्व ही प्राप्त कर ली गई थी । यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो सरकार क्या रेट्स में की गई वृद्धि को रोकने के लिये अविलम्ब आदेश जारी करेगी और बढ़े रेट्स से जो रुपया वसूल किया गया है उसको लौटवाने का आदेश भी देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार से रेट्स की वृद्धि के सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी । इसके लिये बोर्ड ने आयुक्त, मेरठ खंड, मेरठ की स्वीकृति प्राप्त की थी । शासन ने इन नये रेट्स को कम करने तथा फिर वही पुराने रेट्स लगाने का आदेश दे दिया है । जहां तक बढ़े रेटस से वसूल किये गये रुपए के लौटवाने का प्रश्न है शासन ऐसे आदेश देना उचित नहीं समझता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार का आदेश दिये जाने के बावजूद भी नगरपालिका, शामली की ओर से किसानों के विरुद्ध आज भी अदालत में कुछ बढ़े हुये रेट की वसूलयाबी के लिये मुकदमे चालू हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, अभी तक कम नहीं किये हैं, लेकिन शीघ्र ही कम करेंगे । कमिश्नर मेरठ को आदेश दे दिये गये हैं कि वे तुरन्त कार्यवाही करें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी उस बढ़े हुये रुपये को न लौटाकर जो किसानों के ऊपर शरह है उसमें मुजरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो वसूल हो गया है उस सम्बन्ध में अब यह उचित नहीं है कि उसको किसी तरह से लौटाने या ऐडजस्ट करने का उपाय करें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को सरकार ने इस बढ़े हुये रेट को कम करने का आदेश दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य की शिकायत के बाद कुछ ही महीने पहले यह आदेश दिया था । ठीक तारीख बताने में समय लगेगा ।

### आजमगढ़ जिले के प्राइवेट भट्ठों में कोयले की खपत

*३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने प्राइवेट भट्ठे हैं और इन भट्ठों को चलाने के लिये कितने कोयले की आवश्यकता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—आजमगढ़ में ६५ प्राइवेट भट्ठे हैं । प्रत्येक भट्ठे को सुचारुरूप से चलाने के लिये १२ वैगन प्रतिवर्ष की आवश्यकता पड़ती है ।

*४-६—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—[हटा दिये गये ।]

*७—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[तीसरे सोमवार में प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## जिला बोर्ड तथा नगरपालिका गोरखपुर की आडिट रिपोर्टें

*८—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने जिला बोर्ड गोरखपुर के आय-व्यय, सन् १९५६-५७ की जांच सरकारी आडीटर द्वारा कराई है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां, भूतपूर्व जिला बोर्ड, गोरखपुर के लेखे की १९५६-५७ की लेखेक्षण एवं निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति †माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है ।

*९—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने नगरपालिका, गोरखपुर की आय-व्यय की जांच सरकारी आडीटर द्वारा सन् १९५६-५७ में कराई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, आडिट नोट की प्रतिलिपि †सदन की मेज पर रक्खी है ।

*१०—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—[२० अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

## निर्माण विभाग में धन व्यपगत होना

*११—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि निर्माण विभाग में ३१ मार्च सन् १९५८ के बाद कितना धन लैप्स हो गया है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—[३१ मार्च सन् ५८ के बाद अभी कुछ भी धन व्यपगत ( lapse ) नहीं हुआ ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी ३१ मार्च, सन् ५८ तक जो धन लैप्स हुआ है उसको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—१९५७-५८ में करीब ३ करोड़ रुपया लैप्स हुआ है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इतनी बड़ी धनराशि जो लैप्स हुई है उसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—इसका मुख्य कारण जैसा कि मैंने बजट के मौके पर बतलाया था कि यह रोड्स में इतना नहीं हुआ है जितना कि बिल्डिंग के निर्माण में हुआ है । इसमें करीब २,९०,००,००० लाख रुपया भवन के निर्माण में लैप्स हुआ है । हर मुहकमा अपनी-अपनी तरफ से निर्माण के लिये काफी रुपया रखता है, लेकिन पहले वर्ष उनका निर्माण नहीं हो पाता । डिजाइन, प्लानिंग, पर्चिंग और जगह के प्राप्त करने में काफी समय लगता है । इस वजह से काफी वक्त लगता है । पिछले वर्ष बजट भी सितम्बर में पास हुआ था । इस वजह से भी काफी देर हो गई थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भविष्य में या वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के लैप्स न हों इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल—हां, यह प्रश्न सामने है और विचार किया जा रहा है और कुछ न कुछ अवश्य इसके लिए किया जायगा ।

---

†प्रतिलिपियां छापी नहीं गयीं ।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी पिछले ८, १० साल से सरकार की तवज्जह इस ओर दिला रही है कि इसके लिये कुछ विशेष स्टेप्स लिये जायं कि लैप्स न हो सके तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री गिरधारीलाल**—मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि यह प्रश्न सामने है और इस पर विचार किया जा रहा है और कोई न कोई कदम इसके लिये उठाया जायगा ।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ३,००,००,००० रुपयों के लैप्स होने का कारण ऐडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देर में होने से है ?

**श्री गिरधारी लाल**—जी नहीं, मैंने तो जैसा पहले कहा कि जो दूसरे मुकमे हैं, मेडिकल, इंडस्ट्री, एजूकेशन आदि वे अपने-अपने बजट में काफ़ी रुपया बिल्डिंग आदि के लिये रख लिया करते हैं और उनको बनाने में, उनकी डिजाइनिंग, एप्रुवल, जगह आदि हासिल करने में काफी टाइम लगता है और इस वजह से देर हुआ करती है ।

*१२-१३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[१२ अगस्त, १९५८ के लिए स्थगित किये गये ।]

## सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सरकारी वकीलों के पास मुकदमे

*१४—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील नियुक्त हैं उनको गत वर्ष कितने मुकदमे दिये गये ?

**श्री सैयद अली जहीर**—११६ ।

## देवरिया जिले की हाटा तहसील में सीमेंट व सस्ते अनाज की दुकानों का प्रबन्ध

*१५—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले की हाटा तहसील के किस-किस स्थान पर और किन-किन दुकानदारों को सीमेंट तथा सस्ते गल्ले की दूकानें दी गई हैं ? क्या सरकार उनकी फेहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री सैयद अली जहीर**—देवरिया जिले की हाटा तहसील के विभिन्न स्थानों में सीमेन्ट की ३ दुकानें तथा सस्ते गल्ले की ६९ दुकानें हैं जिसके विवरण की सूची मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९६ पर)

*१६—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला देवरिया के हाटा तहसील में कोई सीमेन्ट वितरण कमेटी है । यदि हां, तो उस कमेटी के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

**श्री सैयद अली जहीर**—हाटा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सीमेंट तथा गृह निर्माण सामग्रियों के वितरण के लिये एक परामर्शदात्री समिति है जिसके सदस्यों की सूची मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९७-४९९ पर)

## गुलाठी-सिकन्दराबाद सड़क बनवाने की मांग

*१७--श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुलाठी से सिकन्दराबाद जाने वाली सड़क, जो National High ways को जोड़ती है बनवाने का वह विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं ।

श्री जगवीरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे इस सड़क को सेन्ट्रल रोड फंड स्कीम में रखने की बात सोचते हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल---इसको उसमें रखने की कोई जरूरत नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार नेशनल हाई वेज की एक सूची सदस्यों की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे हम लोग जान सकें कि कौन-कौन सी सड़क नेशनल हाई वेज कहलाती हैं ?

श्री गिरधारीलाल---जब माननीय सदस्य इसके लिए नोटिस देंगे तो मैं रखूंगा ।

श्री जगवीरसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सड़क पर पिछले साल एक आदमी डूब कर मर गया था ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप पुरानी बात दोहरा रहे हैं ।

## सिविल कोर्ट, देवरिया में क्लायंट शेड बनाने की योजना

*१८--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Civil Court देवरिया में कोई Client-shed बनाने की योजना है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां ।

*१९--श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी ( अनुपस्थित )---क्या सरकार पुरानी दीवानी कचहरी की भूमि एवं जमीन नगरपालिका, देवरिया को देने पर विचार कर रही है और क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका, देवरिया से कोई मांग भी आई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, इस सम्बन्ध में नगरपालिका देवरिया से मांग भी आई है ।

## कुवरेनाथ, जिला देवरिया के मेले का प्रबन्ध

*२०---श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुवेरनाथ, जिला देवरिया में प्रतिवर्ष बैसाख की त्रियोदशी का मेला लगता है जो १० रोज तक रहता है ? यदि हां, तो मेले का प्रबन्ध सन् १९५८ का किस अधिकारी के द्वारा किया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां । सन् १९५८ में मेले का प्रबन्ध किसी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं हुआ है ।

## लखनऊ नगरपालिका में मशीन से सड़कें धोने की योजना

*२१---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने लखनऊ में मशीन से सड़कें धोने की एक योजना बनाई है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**--जी नहीं, लखनऊ नगरपालिका अवश्य ऐसी एक योजना पर विचार कर रही है।

*२२--**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो सरकार का इस योजना पर कितना धन व्यय होगा ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**--प्रश्न नहीं उठता।

## लखनऊ नगरपालिका द्वारा जल-कष्ट-निवारण

*२३--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ नगर में गर्मियों में पानी की कमी की जनता की ओर से कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस कमी को दूर करने के लिये लखनऊ की नगरपालिका ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**--जी हां, लखनऊ नगर में पानी की कमी को दूर करने के लिये लखनऊ नगरपालिका नई पाइप लाइन बिछाकर तथा बूस्टिंग पम्प्स (Boosting Pumps) लगाकर इस गर्मी में नित्य प्रति २,८०,००,००० गैलन जल दे रही है जो कि प्रति दिन प्रत्येक मनुष्य के लिये ५८ गैलन के लगभग होता है।

*२४--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## मैनपुरी जिले की टाउन एरियाओं को सहायता

*२५--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की टाउन एरियाओं को जून, सन् १९५८ में सहायता के रूप में सरकार ने प्रत्येक को क्या-क्या धन दिया है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०० पर)

**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किसी टाउन एरिया को कम और किसी को अधिक धन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--इस वर्ष हर टाउन एरिया को जो प्रान्त के हैं, २,००० रुपये के हिसाब से दिया गया था। कुछ टाउन एरियाओं की मांग थी जिसमें कि माननीय सदस्य के क्षेत्र का भोगांव टाउन एरिया भी था। वह कई वर्ष से टोल टैक्स के लिये झगड़ा कर रहे थे। उनकी सड़क खराब थी इस वजह से उनको विशेष अनुदान दे दिया गया है। इसी तरह से फरेहा टाउन एरिया को भी विशेष अनुदान दिया गया है।

## कुरावली--मैनपुरी सड़क की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*२६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली से मैनपुरी जाने वाली सड़क में ९ मील सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है और रास्ता बन्द होने वाला है। ऐसी सूरत में क्या उसकी मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ?

**श्री गिरधारीलाल**--

प्रथम भाग--जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या माननीय मंत्री जी स्वयं मेरे साथ चल कर देखने की कृपा करेंगे कि नवें मील पर सड़क की दरअसल ऐसी हालत है कि अगर मरम्मत न हुई तो रास्ता बन्द हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--जिस वक्त मुझे मौका मिलता है मैं हर जगह जाने की कोशिश करता हूं। वहां भी समय मिलेगा तो जाऊंगा।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले समय इसी सड़क के बारे में प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि इस सड़क की हालत खराब है, ७ मील तो बहुत ही खराब है, और आज यह कह रहे हैं कि इसकी हालत ऐसी नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--इसमें पूछा गया है कि क्या वहां पर ट्रेफिक बन्द है, मैंने कहा कि नहीं। यह कंकड़ की सड़क है, आजकल ट्रैफिक हैवी है। पिछले वर्ष ५ मील का रिन्यूअल हुआ और इस वर्ष भी ५ मील का है यानी वह सड़क चलने लगी है।

श्री मलिखानसिंह--क्या यह सही है कि ६ मई को वहां की डिस्ट्रिक्ट निर्माण कमेटी ने यह प्रस्ताव पास करके भेजा था कि यह सड़क लोकल उससे निकाल कर प्राविन्शलाइज कर दी जाय ?

श्री गिरधारीलाल--नोटिस की आवश्यकता है।

## झांसी जिले में पाली-ललितपुर तथा जाखलौन को मिलाने वाले मार्ग को पक्का करने की प्रार्थना

*२७--श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला झांसी में कस्बा पाली से ललितपुर जाने वाला निकटतम पाली घटवार १० मील का रास्ता तथा पाली से रेलवे स्टेशन, जाखलौन मिलाने वाला ७ मील का रास्ता कच्चा होने के कारण जनता को हर समय वह विशेषकर वर्षा ऋतु में भारी असुविधा होती है और पानी के व्यापार को काफी क्षति पहुंचती है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*२८--श्री रमानाथ खैरा (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त १७ मील के रास्ते को पक्का कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

## पीलीभीत जिले में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*२९--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला पीलीभीत में कितने आनरेरी मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और उनकी नियुक्ति कब हुई ? तथा जिस कमेटी ने उनको नियुक्त किया था उसमें कितने विधान सभा और लोक सभा के मेम्बर थे ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--सूचना संलग्न है।

( देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०१ पर )

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां जो आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये वे प्रेसक्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन के हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिस समय नियुक्त किये गये थे, उस समय तो जो उनकी प्रेसक्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स थीं, उनके अनुसार किये गये।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या अभी इन प्रेसक्राइब्ड क्वालीफ़िकेशन्स में कोई तब्दीली कर दी गई है ? यदि हां, तो इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों का, जिनकी क्वालिफिकेशन्स उसके अनुसार नहीं हैं, क्या भविष्य होगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--यह तो मैं नहीं कह सकता कि सन् ४७, ५३ और ५५ में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली हुई है। कदाचित् माननीय सदस्य को इसके नियम ज्ञात हैं क्योंकि वे सदन में कई बार आ चुके हैं। उनके अनुसार यदि किसी मैजिस्ट्रेट के बारे में कोई आपत्ति हो तो माननीय सदस्य बतलावें, उस पर विचार किया जायगा।

*३०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में जल-कर लेने के सम्बन्ध में जानकारी

*३१--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है कि नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में उन्हीं व्यक्तियों से पानी का कर लिया जाय जिनके घरों में पानी की टोटियां लगी हों ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी नहीं, ऐसी योजना न होने का कारण यह है कि नगरपालिकाएं सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट लगवाती हैं जिससे वे लोग पानी ले सकें जो या तो पानी का कनेक्शन पाने के हकदार होने के लिये कम से कम निश्चित जल कर से कम अदा करते हैं या बिलकुल ही नहीं। यदि जल कर केवल उन्हीं लोगों से लिया जावे जो पानी का कनेक्शन लेते हैं तब राज्य के किसी शहर का वाटर वर्क्स आत्म निर्भर नहीं हो सकता है।

**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन नगरपालिकाओं की जलकल योजनाओं के सम्बन्ध में कर दिये गये हैं, क्या वे इस बात के लिये स्वतंत्र हैं कि वे केवल उन्हीं लोगों पर वाटर टैक्स लगावें जो पानी की टोटी लगवाते हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जिनको सरकार की ओर से ऋण दिया गया है उनको यह अधिकार नहीं है कि उन्हीं से वसूल करें जिनको कनेक्शन्स दिये गये हैं। बाक़ी जो अपने ऊपर भरोसा करती हैं वे वैसा कर सकती हैं।

## आजमगढ़ जिले में पिछले आम चुनाव में काम करने वाले पंचायत मंत्रियों, जिला बोर्ड व नगरपालिका के अध्यापकों के बिलों का भुगतान

*३२--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों को सन् १९५५ की मतदाता सूची बनाने के परिश्रम का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को और कितने व्यक्तियों का अभी तक भुगतान करना बाक़ी है और कब तक भुगतान हो जायगा ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जी हां।

३४० पंचायत मंत्रियों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है। १९ पंचायत मंत्रियों का भुगतान करना शेष है। इनको अपना भुगतान लेने की सूचना दे दी गई है।

*३३--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पंचायत के मंत्रियों और जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं के अध्यापकों को जिन्होंने १९५७ के आम चुनाव में कार्य किया है, मार्ग व्यय का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--अधिकांश पंचायत मंत्रियों के बिल आ चुके हैं और उनका भुगतान कर दिया गया है। जिला बोर्ड तथा नगरपालिकाओं के अध्यापकों के जो बिल प्राप्त हुये, वे पास हो चुके हैं। १०० अध्यापकों के बिल अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। जैसे ही ये बिल प्राप्त होंगे, भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने पंचा मंत्रियों के बिल आ चुक हैं जिनका भुगतान हो चुका है और कितने लोगों के बाक़ी हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--२८४ पंचायत मंत्रियों के बिल प्राप्त हुये थे, उनका भुतान किया जा चुका है। कुछ अधिकारियों के बिल प्रिसाइडिंग अफसर के प्रमाणपत्र के अभाव अभी बोर्ड द्वारा निर्वाचन कार्यालय में नहीं भेजे गये हैं।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या यह बात सही है कि १९५१ के चुनाव के समय के भी इस प्रकार के भुगतान अभी बाक़ी हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--यह सन् १९५१ का प्रश्न नहीं है। लेकिन जहां तक ज्ञात है, शायद सभी भुगतान हो चुका है। सम्भव है एकाध जगह बाक़ी हो।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९ पंचायत मंत्रियों को जो भुगतान अभी नहीं हो पाया है, उसका कारण क्या है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--उनको सूचना दे दी गई है कि रुपया ले लें। देर का कारण यह है कि कुछ की नियुक्ति और जगह हो गई है। अगर वे सूचना भेज देंगे तो उनका रुपया मनीआर्डर से भी भेज दिया जायगा।

**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--सन् १९५५ के भुगतान प्रश्न करने से पहले किये हैं या बाद में किये गये हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--तिथि तो मेरे पास नहीं है, परन्तु सम्भव है कि कुछ पहले हों और कुछ बाद में हों।

## बाराबंकी जिले में वन-रोपण पर व्यय

*३४--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)-- क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत वन विभाग की ओर से प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया खर्च हुआ और कितने एकड़ वन कहां-कहां पर लगाये गये ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वन विभाग द्वारा बाराबंकी जिले में वनरोपण में ८८,४६२ रुपये व्यय किये गये।

(२) व (३) --जैटपुर आरक्षित (Reserved) वन में २०० एकड़ में तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की लखनऊ-फैजाबाद और बाराबंकी-बहरामघाट सड़कों के किनारे क्रमशः १९ मील तथा ८ मील में वन तथा छायादार वृक्ष लगाये गये।

*३५--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या सरकार यह बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाराबंकी में कितने एकड़ वन किन-किन स्थानों पर लगाने की योजना है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन विभाग की बाराबंकी जिले में वन लगाने की कोई योजना नहीं है।

**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौध की कीमत क्या है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---यह कहना बहुत कठिन है, नोटिस चाहिये।

**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पौध लगाने पर कितना व्यय हुआ और देखभाल पर कितना व्यय हुआ ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---नोटिस की आवश्यकता है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वन को लगाने के लिये कोई मेकैनिकल ऐपैरेटस भी खरीदा गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

## इटावा जिले में पंचायत-कर में गबन

*३६---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ से अब तक पंचायत टैक्स में इटावा जिले में कितने रुपये का गबन हुआ है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**---इटावा जिले में सन् १९५६ से अब तक पंचायत टैक्स में १६७ रुपये के सम्भाविक गबन का एक मामला प्रकाश में आया है जो कि अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

*३७---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## नगरपालिकाओं के क्लर्कों के लिए एक्जीक्यूटिव लाइन में जाने पर प्रतिबन्ध

*३९---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या सरकारी आज्ञानुसार नगरपालिकाओं के क्लर्कों को एक्जीक्यूटिव लाइन में जाने के लिये प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो सचिवालय के लोअर डिवीजन के क्लर्कों को एक्जीक्यूटिव लाइन में जाने के लिये कोई प्रतिबन्ध है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---नगरपालिकाओं को सरकार ने केवल इस आशय का परामर्श दिया है कि वे अपने क्लर्कों को एक्जीक्यूटिव लाईन में न जाने दें। सचिवालय के लोअर डिवीजन के क्लर्कों को एक्जीक्यूटिव लाईन में जाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक्जीक्यूटिव लाइन में जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---मैंने तो यह निवेदन किया कि स्थानीय संस्थाओं को ऐसा परामर्श दिया गया है। उसका कारण यह है कि जो जिस विभाग में काम करता रहता है उसकी जानकारी उसे अच्छी हो जाती है और वह उसमें अच्छा काम कर सकता है।

**श्री रामस्वरूप वर्मा**---सचिवालय के लोअर डिवीजन के क्लर्कों को जो उन्होंने प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, उसका क्या कारण है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**---इजाजत नहीं दी है, प्रतिबन्ध नहीं है। अगर कोई स्थानीय संस्था उन्हें रखना चाहती है तो रख सकती है। इधर भी परामर्श ही दिया है।

**श्री गेंदासिंह**---क्या सरकार ने ऐसा भी प्रबन्ध लोअर डिवीजन से ऊंचे अफसरों के लिये किया है, कि जो विभाग में अच्छा काम करने वाले हों उनको दूसरे विभाग में न जाने दिया जाय ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसी बात हो जाती है कि जो अच्छे काम करने वाले नहीं हैं उनको भी दूसरे विभागों में अच्छे कामों पर भेज दिया जाता है। उनके ऊपर तो रुकावट रहेगी ही।

*४०---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## झांसी जिले में नौहट घाट का पुल बनवाने की प्रार्थना

*४२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नौहटघाट (झांसी) पर रपटा के बजाय पुल बनवाने का काम रुपये की कमी के कारण कई वर्षों से रुका है ?

**श्री गिरधारीलाल**--रपटे के बजाय पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने सितम्बर, १९५७ से आया था। धन की कमी के कारण ही सरकार अभी तक इसको स्वीकृत नहीं कर सकी है।

*४३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या २५ जनवरी, १९५८ के केन्द्रीय यातायात मंत्री जी द्वारा क्षरर घाट (झांसी) के पुल के उद्घाटन के समय निर्माण मंत्री की उपस्थिति में यह घोषणा की गई थी कि नौहट घाट पर पुल बनवाने के लिये जितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी उससे कुछ ज्यादा केन्द्रीय सरकार देगी ?

**श्री गिरधारीलाल**---केन्द्रीय यातायात मंत्री ने यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार पुल की लागत का १/३ भाग + १,००,००० रुपये देगी यदि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी लागत का १/३, १/३ भाग वहन करती है।

*४४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे वह अब उक्त पुल बनाने का काम आरम्भ करा देंगे ?

**श्री गिरधारीलाल**---केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया है, उनकी स्वीकृति आने पर अगला कदम उठाया जाएगा।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रपटा व पुल दोनों के एस्टीमेट्स कितने-कितने के थे ?

**श्री गिरधारीलाल**---रपटे का २,४३,००० हजार रुपया तथा पुल का २४,००,००० रुपया।

**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि केन्द्रीय मंत्री जी की घोषणा में १/३ का कोई जिक्र नहीं है बल्कि उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि जितना रुपया उत्तर प्रदेश खर्च करेगी उस पर १,००,००० रुपया वे केन्द्र से देंगे ?

**श्री गिरधारीलाल**---मैंने जैसा उत्तर में बताया, मुझे तो वही याद है और यही मुझे विभाग से इत्तला मिली है कि तिहाई जमा १,००,००० वह देंगे, तिहाई हमें खर्च करना होगा और तिहाई मध्य प्रदेश सरकार को खर्च करना होगा।

**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार बतायेगी कि नौहट घाट पर जो नदी है वह मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है ?

**श्री गिरधारीलाल**--पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश को भी इससे बहुत लाभ होगा।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को किन-किन तिथियों को पत्र लिखे गये हैं और उनमें से किसका उत्तर प्राप्त हो गया है ?

**श्री गिरधारीलाल**--यही बात दोनों सरकारों को हमने लिखी है। अभी किसी का जवाब नहीं आया है। इन्तजार किया जा रहा है।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नौहट घाट का रुपया उसमें तो शामिल नहीं था जो तीन करोड़ रुपये की ग्रान्ट लैप्स हो गयी है ?

**श्री गिरधारीलाल**--उसमें शामिल नहीं था ।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या माननीय मंत्री जी उन दोनों मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स को देख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या घोषणा की थी ?

**श्री गिरधारीलाल**--मैं समझता हूं कि उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वहां जितने कर्मचारी थे और जिनको यह बात जानना चाहिये, उनसे यही इत्तला मिली है जैसी कि उत्तर में बतायी गयी है।

*४५--**श्री गनेशीलाल चौधरी**--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७--**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में ग्राम-सभाओं को रेडियो सेट देना

*४८--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में कितने तथा किन-किन ग्राम सभाओं को रेडियो सेट दिये गये हैं ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में निम्नलिखित १८ गांव सभाओं को एक एक रेडियो सेट दिया गया है--

१--रुथौली,
२--सरोखनपुर,
३--बनहरा,
४--बुढ़पुर
५--शेरपुर,
६--एकडला,
७--जमदहा,
८--मकदमपुर,
९--अरंड,
१०--इटौरी,
११--नामपुर,

१२---उपाध्यायपुर,
१३---लोनियापट्टी,
१४---बघरवारा,
१५---असरफपुर उसरहटा
१६---आर्यनगर कलां ,
१७---पाराकमाल,
१८---अरसिया ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन शर्तों को पूरा करने वाली ग्राम सभाओं को ये रेडियो सेट प्रदान किये जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ ग्राम सभायें अगर अपनी तरफ से कुछ रुपया देती हैं तो उनको कंसेशन रेट पर रेडियो सेट देते हैं, कुछ ग्राम सभायें जो अच्छा काम करती हैं, उन्हें इनफार्मेशन विभाग की ओर से रेडियो सेट दे दिये जाते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रेडियो सेट पाने के लिये किसी अधिकारी के रिकमेंडेशन की भी आवश्यकता होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिला पंचायत अधिकारी और जिला नियोजन अधिकारी ये दोनों मिलकर ऐसी ग्राम-सभाओं को रिकमेंड करते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी अच्छे काम करने पर कंसेशनल रेट पर रेडियो सेट देने के जो नियम हैं, उनको यहां बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---नियम तो उन्होंने बतला ही दिया है ।

## रसड़ा ग्राम के निकट बलिया-लखनऊ सड़क में ली गयी भूमि की मालगुजारी का मामला

*४९---श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार को विदित है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क जो बलिया से लखनऊ को आती है उस पर कस्बा रसड़ा एवं ग्राम होता का पुरा के मध्य कुछ भूमि, जिस पर यह मार्ग बना है, को मालगुजारी काश्तकार को अब तक देना पड़ती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, जिन काश्तकारों की भूमि इस सड़क पर ली गई थी, उनके नाम भूमि सम्बन्धी कागजातों से खारिज नहीं किये गये थे । अब इन कागजातों को ठीक करने की उचित कार्यवाही जिलाधीश कर रहे हैं ।

## बलिया जिले के सीअर कस्बे में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*५०---श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार बलिया जिले के सीअर कस्बा के लोगों को पानी पीने के लिये एक नल कूप लगाने के प्रश्न पर कृपया विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है और भविष्य के लिये अभी कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

*५१---श्री ब्रजनारायण तिवारी---[हटा दिया गया ।]

*५२---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया है ।]

## लखनऊ-कानपुर सड़क चौड़ी करने के कार्य में शिथिलता

*५३--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ-कानपुर सड़क को चौड़ा करने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और कब तक समाप्त होने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल--यह कार्य पहली फरवरी, १९५५ को प्रारम्भ किया गया था तथा इसके आगामी मार्च, १९५९ तक समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ।

*५४--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त कार्य के लिये कितने रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है और अब तक अनुमानित व्यय क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये १८,२०,००० रुपये का अनुदान स्वीकार किया है जिसमें से अब तक अनुमानित व्यय १६,००,००० रुपया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कार्य इतनी धीमी गति से होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--इसका खास कारण यह है कि हर साल हिसाब से रुपया जितना दिया जाता है, उतना ही खर्च किया जाता है और उसी के मुआफिक इसका काम स्लो चल रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सड़क पहले कितनी चौड़ी थी और अब कितनी चौड़ी की गयी है ?

श्री गिरधारीलाल--पहले यह सड़क १२ फीट चौड़ी थी और अब २२ फीट चौड़ी की जा रही है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सड़कों को चौड़ा करने का ठेका दिया गया था तो क्या उसमें कुछ समय की भी अवधि तय कर दी गयी थी ?

श्री गिरधारीलाल--हमेशा जितना ठेका दिया जाता है, उसमें समय वगैरह का भी खयाल किया जाता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो समय निर्धारित किया गया था उसमें कितना शेष है या वह समय गुजर चुका ?

श्री गिरधारीलाल--समय के मातहत ही सब काम चल रहा है ।

## आजमगढ़ जिले में सप्लाई विभाग के कर्मचारी

*५५--श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के सप्लाई विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कलेक्ट्रेट के हैं और वे कितने दिन से तथा क्यों सप्लाई विभाग में हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--आजमगढ़ जिले के सप्लाई विभाग में कोई कलेक्ट्री का कर्मचारी नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सप्लाई विभाग के वर्तमान कर्मचारियों में कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अन्य विभागों से बारो किये गये हैं, यदि हां, तो किन विभागों से ?

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, सवाल तो कलेक्ट्री का पूछा गया था। अगर जनरल सवाल होता तो उसका जवाब भी देता। इस वक्त अन्य विभागों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(माननीय न्याय मन्त्री से) आप नोटिस चाहते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

## पंचायत सेक्रेटरियों को महंगाई भत्ता न मिलना

*५६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो ५ रुपया मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई, वह पंचायत सेक्रेटरियों को भी मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी शासकीय कर्मचारी नहीं हैं।

*५७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरियों का वेतन-क्रम क्या है और उन्हें महंगाई कितनी दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत सेक्रेटरियों का वेतन क्रम ५०—२—६० द० रो० ३—७५ रु० है और उन्हें महंगाई कुछ भी नहीं दी जाती है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायत सेक्रेटरियों को मंहगाई क्यों नहीं दी जाती ? क्या वह वृद्धि टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सही है कि यह मंहगाई टाउन एरिया और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को दी जाती है। लेकिन पंचायत सेक्रेटरियों की नियुक्ति जिस वक्त हुई थी तो यह सब खयाल करते हुए ही की गयी थी कि मंहगाई को देखते हुए उनका वेतन रखा जाय। इसलिये उन्हें मंहगाई नहीं दी जाती है। ग्राम सभाओं को उनके वेतन के रूप में ग्रान्ट दे दी जाती है और वे अगर देना चाहें तो उनको मंहगाई दे सकती हैं। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे उनको मंहगाई दे सकें।

श्री गेंदासिंह—अगर ग्राम सभाओं की स्थिति अच्छी हो जाय तो क्या वे पंचायत सेक्रेटरियों को मंहगाई दे सकती हैं, ऐसा कोई नियम है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं पंचायत सेक्रेटरियों व अपने र्मचारियों पर रुपया खर्च करने के लिये, उनके अनुसार ग्राम सभायें रुपया खर्च कर सकती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पंचायत सेक्रेटरी किस के कर्मचारी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—ग्राम सभाओं के कर्मचारी हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरी परमानेंट केडर में माने जाते हैं या टेम्पोरेरी केडर में ?

श्री रामस्वरूप यादव—टेम्पोरेरी केडर में।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—पंचायत सेक्रेटरियों की तमाम तनख्वाह सरकार की ओर से दी जाती है और सरकार ने अपने तमाम कर्मचारियों के वेतन में ५ रुपये की वृद्धि की है, फिर पंचायत सेक्रेटरियों के वेतन में वृद्धि न करने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह रुपया जो पंचायत सेक्रेटरियों का है, ग्राम सभाओं को अनुदान के रूप में दिया जाता है और जिस समय पंचायत सेक्रेटरियों को नियुक्त किया गया था उस समय कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया था कि पंचायत सेक्रेटरियों को, जो ५ रुपये बढ़ाये गये हैं, वे दिये जायेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय--पंचायत सेक्रेटरी सब से पहले सन् १९४९ में नियुक्त किये गये थे और अब प्रायः १० वर्ष हो चुके हैं तो वे कब तक टेम्पोरेरी केडर में रहेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस पर विचार हो रहा है और ज्यों ही निश्चय हो जायगा कि पंचायत सेक्रेटरी अलग रखे जायं उस समय वे परमानेंट कर दिये जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--५ रुपये महंगाई बढ़ाते समय यह घोषणा की गयी कि लोकल बाडीज़ के कर्मचारियों को भी दी जायगी तो लोकल बाडीज में तो ग्राम सभायें भी आ जाती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--लोकल बाडीज को शामिल अवश्य किया गया लेकिन ग्राम सभाओं को शामिल नहीं किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि ग्राम सभायें लोकल बाडीज़ में सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--दोनों ही बातें कही जा सकती हैं । लोकल बाडीज में भी हैं और हमारे एक्सपेरोमेंट में भी हैं । लेकिन जहां तक इस रुपये का सम्बन्ध था वे सम्मिलित नहीं थीं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--मन्त्री जी बतायेंगे कि इनको लोकल बाडीज में किस वजह से नहीं समझा जाता ?

श्री अध्यक्ष--यह जवाब दिया जा चुका है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पंचायत मन्त्रियों को महंगाई ५ रुपये देने पर एक्सचेकर पर सालाना कितना खर्चा पड़ेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस के लिये सूचना की जरूरत होगी ।

## वाल्मीकि मजदूर यूनियन, देहरादून का आवेदन-पत्र

*५८--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार के पास वाल्मीकि मजदूर यूनियन, देहरादून की ओर से अगस्त, सन् १९५७ में देहरादून म्युनिसिपल बोर्ड के सफाई कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में कोई रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*५९--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार को गत २४ अप्रैल, सन् १९५८ को उक्त वाल्मीकि मजदूर यूनियन, देहरादून की ओर से अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*६०--श्री मदन पांडेय--यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिप्रेजेन्टेशन में दी हुई मुख्य-मुख्य मांगें तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सदन की मेज पर रखेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--अगस्त, १९५७ में प्राप्त रिप्रेजेन्टेशन में मांग की गयी थी कि १-७-५७ को ५ वर्ष का सेवाकाल प्राप्त कर लेने वाले मेहतरों को बोर्ड ५ वार्षिक वृद्धि देना स्वीकार करे। नवम्बर, १९५७ में जारी किये गये आदेश द्वारा यह मांग पूरी कर दी गई। अप्रैल, १९५८ में प्राप्त रिप्रेजेन्टेशन में मांग की गयी थी कि मेहतरों को २९-३-४९ के शासकीय संकल्प में उल्लिखित भत्ते तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जायं जो कि नगरपालिका के दूसरे कर्मचारियों को प्राप्त हैं। जून, १९५८ में जारी किये गये आदेश द्वारा वाल्मीकि मजदूर यूनियन को सूचित कर दिया गया कि सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि मेहतरों के लिये सरकार ने विशेष रूप से १९-८-४७ का संकल्प जारी किया है, जो केवल उन्हीं के लिये है। यह संकल्प १९४७ में सरकार द्वारा नियुक्त मेहतरों की स्थिति पर विचार करने वाली एक विशेष समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। सरकार मेहतरों के मामलों पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। उदाहरणार्थ, कोई नगरपालिका यदि मेहतरों को ऊंचा वेतन या और सुविधायें देना चाहती है तो सरकार उनको मान लेती है। परन्तु समस्त नगरपालिकाओं को, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार १९४७ के संकल्प से अधिक देने को बाध्य नहीं कर सकती। अंश कालिक मेहतरों को अधिक महंगाई भत्ता नहीं मिलता, इसलिये शासन ने नगरपालिकाओं को सुझाव दिया है कि वे अपने यहां पूर्णकालिक मेहतर रखें जिससे उनको इस महंगाई भत्ते का लाभ मिल सके।

**श्री मदन पांडेय**--मन्त्री जी बतायेंगे कि देहरादून नगरपालिका अपने मेहतरों को १९-८-४७ के संकल्प के अनुसार सुविधायें प्राप्त करा रही है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**--मैं समझता हूं कि उस संकल्प के अनुसार सभी नगरपालिकायें वेतन दे रही हैं। अगर कोई शिकायत शासन के सामने आयेगी तो उनको बाध्य किया जायेगा कि वह दें।

**श्री मदन पांडेय**--१९-८-४७ के संकल्प में मेहतरों को जो मुख्य मुख्य सुविधायें प्रदान की गयीं हैं उनको सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष**--इस वक्त मैं इजाजत नहीं दूंगा। बाद में आप सवाल करें।

*६१--**श्री श्रीकृष्ण गोयल** (जिला बदायूं)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## कानपुर के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*६२--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं और उनकी नियुक्ति किस सन् में हुई है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०२ पर।)

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सूची में जो ९ सज्जनों के नाम दिये गये हैं इनके अलावा ऐसा भी कोई मैजिस्ट्रेट है जो अभी हाल में हटाया गया है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--जी हां। श्री रामानुज औधीच्य थे। चूंकि उनकी ३० जून से आगे अवधि नहीं बढ़ी इसलिये उनका नाम नहीं रखा गया है।

*६३--**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला वाराणसी)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## राशनिंग विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में जानकारी

*६४--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राशनिंग विभाग में से कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवा अवधि ५ साल या उससे अधिक है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१,४१६ ।

*६५--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राशनिंग विभाग में जो कर्मचारी सेवा करते हुए ओवर एज हो गये हैं उनको स्थायी करने पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--खाद्य तथा रसद विभाग अस्थायी है, अतः जो कर्मचारी ओवर एज हो गये हैं उनको स्थायी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतायेगी कि जो कर्मचारी खाद्यान्न विभाग में ओवरएज हो गये हैं उनको प्रदेशीय सरकार के दूसरे विभागों में प्रार्थना-पत्र देने पर प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं ऐसा कोई विचार नहीं है ।

## रीजनल मार्केटिंग आफिसर, मेरठ, के विरुद्ध शिकायतें

*६६--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध सन् १९५०-५१ के हिसाबात के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां । रीजनल मार्केटिंग आफिस मेरठ में १९४८ और १९५१ के बीच पाए गए गबन के सम्बन्ध में रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती क्योंकि इस सम्बन्ध में मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं । रीजनल मार्केटिंग आफिसर के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही शुरु की जा चुकी है परन्तु अन्तिम निर्णय उस समय किया जायेगा जब कि सब मुकदमों पर निर्णय हो जायेगा और न्यायालय से कागजात वापस आ जायेंगे ।

*६७-६८--श्री उग्रसेन--[१ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७५-७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६९-७०--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

## बस्ती नगरपालिका में वापसी चुंगी के मामले

*७१--श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड में चुंगी की वापसी के कुछ मामलात डेढ़, दो साल से पेश हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसकी वापसी में देर का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां । इसका कारण यह है कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी न थी कि इस धन को वापस किया जा सकता ।

## सीवेज यूटिलाइजेशन स्कीम

*७२--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार प्रदेश की नदियों का पानी साफ रखने के लिये शहरों के मल-मूत्र का नदियों में गिराया जाना बन्द करके उसे खेतों की उपज बढ़ाने के लिये प्रयोग करने की कोई योजना तैयार करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने पर सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, उत्तर प्रदेश की नदियों का जल स्वच्छ रखने के लिये शहरों के मल-मूत्र का नदियों में गिराये जाने की अपेक्षा खेतों की उपज बढ़ाने में प्रयोग करने की योजना (Sewage Utilization Scheme) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा अभी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, एवं वाराणसी में ही कार्यान्वित की जा रही है और भी स्थानों पर जहां निर्गम प्रणाली (Drainage Scheme) योजनायें बनी हैं, वहां पर इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि नदियों को (यदि वहां हैं) मल-मूत्र इत्यादि से बचाया जाये।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन शहरों में किन-किन नदियों का गन्दा पानी गिराया जाता है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जितने शहरों में नदियां हैं उन सब का पानी इस वक्त तक गिराया जाता था लेकिन अब ५ नगरों में उस को न गिराने का प्रयोग हो रहा है। कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में तो हो गया है और पानी फार्म्स में चला जाता है। आगरे में भी प्रबन्ध हो रहा है।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में इन नगरों में कितनी सफलता मिली है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सफलता तो बहुत काफी मिली है, कानपुर और लखनऊ में बहुत काफी खेत ऐसे हैं कि जो इस गन्दे पानी को लेते हैं, उन की उपज बहुत अच्छी हो रही है और काफी ऊंचे रेट पर वह खेत उठते हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार मल-मूत्र के अलावा जो बड़े-बड़े नगरों में मिलों का गन्दा पानी होता है उसके लिये भी कोई व्यवस्था सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इस पर अभी विचार हो रहा है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े जो कानपुर जैसे स्थानों में मिलमालिक हैं जिन की मिलों से पानी गन्दा होता है उन से कोई लिखा पढ़ी कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों योजनाओं पर कब से विचार हो रहा है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--काफी दिन से विचार हो रहा है, पैसे की कमी की वजह से दिक्कत होती है काम आगे बढ़ाने में, कुछ काम चल भी रहा है, जितना पूरा हुआ है उस में शत-प्रतिशत सफलता मिली है।

*७३--श्री रामस्वरूप वर्मा--[दूसरे शुक्रवार में प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७४--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

## झांसी जिलान्तर्गत तालबेहट के घाटों की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*७५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९४५-४६ में तालबेहट, जिला झांसी के तालाब पर स्थित शंकर जी के मन्दिर के जिन घाटों को सैनिकों ने मछली मारने का गोला फेंक कर तोड़ दिया था क्या वह उन घाटों को बनवाने की कृपा करेगी ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्रित करने में ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है कि जिस से कई महीने से सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—इस प्रश्न का सम्बन्ध दूसरे विभागों से भी है इस कारण से देर हो रही है ।

**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्रित हो जाने पर उसे मेरे पास तक भेजने का कष्ट करेंगे ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—जी हां ।

## मिर्जापुर में डिस्ट्रिक्ट जज व असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

*७६—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह मिर्जापुर में District Judge की post कायम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जी नहीं ।

*७७—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि सरकार मिर्जापुर जिले की सेशन्स अदालत में Asstt. Government Pleader की post शीघ्र कायम करने वाली है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जी नहीं ।

*७८-७९—**श्री द्वारकाप्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद)—[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये । ]

## नगरपालिका शिकोहाबाद के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

*८०—**श्री सुरथबहादुरशाह** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें नगरपालिका, शिकोहाबाद के ५ सदस्यों द्वारा उक्त नगर-पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध की गई कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जी हां । इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है ।

*८१—**श्री अमरेशचन्द्र पांडेय** (अनुपस्थित)—[१२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

## गोरखपुर जिले में हड़हवाघाट पुल को बनवाने की प्रार्थना

*८२--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में फरेंदा कानूनगो वार्ड के अन्तर्गत हड़हवा घाट के पुल को बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं ।

*८३-८४--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--[दूसरे सोमवार में प्रश्न संख्या १४३-१४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये । ]

## जौनपुर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें बढ़ाने की प्रार्थना

*८५--श्री माताप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में खाद्याभाव की स्थिति को देखते हुये वे सस्ते गल्ले की सरकारी दूकानों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जौनपुर जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में वृद्धि करने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है ।

## सरजू नदी पर अयोध्या के निकट बनने वाला पुल

*८६--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरजू नदी पर अयोध्या के निकट जो पुल बनने को है उसकी डिजाइन केन्द्रीय सरकार से मंजूर हो गई है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*८७--श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)--क्या यह पुल रेल-कम-रोड होगा या केवल मोटर गाड़ी का ही रहेगा ?

श्री गिरधारी लाल--यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

*८८--श्री बलदेव सिंह (अनुपस्थित)--इस पुल के निर्माण में कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--लगभग १०४.०२ लाख रुपये । इसके अतिरिक्त लगभग ८०,००,००० लाख रुपये नदी के ट्रेनिंग वर्क्स (Training Works) में लगेंगे ।

*८९-९१--श्री उग्रसेन--[पांचवें शुक्रवार में प्रश्न संख्या ७-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## राज्य में सस्ते अनाज की दुकानें

*९२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार ने प्रदेश में अनाज की महंगाई से जनता की रक्षा करने के लिये सस्ते अनाज की दूकानें (Fair Price Shops) खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उसने अभी तक कहां-कहां, कितनी-कितनी दूकानें खोली हैं तथा कहां-कहां कितनी-कितनी दूकानें खोलने का आयोजन कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रदेश के विभिन्न जिलों में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं और अब तक स्वीकृत की गई दूकानों की संख्या की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

आवश्यकतानुसार और दूकानें खोलने का विचार है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०३-५०५ पर ।)

**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दूकानें अभी खोली गई हैं उनके खोलने का क्या आधार है ?

**श्री सैयद अली जहीर**---उसके तो मुख्तलिफ आधार हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जितना हमको केन्द्रीय सरकार से अनाज मिला है उसी के हिसाब से जरूरियात को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस महीने हमको बड़े और छोटे शहरों को मिलाकर सबके लिये ५०,००० टन गेहूं दिया है तो जाहिर है कि इसी के अन्दर हमको इन्तजाम करना था। इसी तरह से अगले महीने के लिये भी ५०,००० के करीब उनके यहां से मिल रहा है। अब हमको लिहाज रखना पड़ता है कि हम उतनी ज्यादा दुकानें न खोलें जिससे हमारा काम न चल सके। हम उनको बराबर कहते रहते हैं कि हमको शायद इससे ज्यादा जरूरत होगी और जैसे-जैसे हमको ज्यादा अनाज मिलेगा हम और ज्यादा दुकानें खोलेंगे। इसके अलावा एक जरूरत का और मांग का आधार है और साथ ही किसी खास जगह के भाव और निर्ख का भी लिहाज रखना पड़ता है। तो यह सब बातें पेशे नजर रहती हैं और इन सब बातों को देखकर हम फैसला करते हैं कि कितनी दुकानें सरे दस्त कहां-कहां खोली जायं।

**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या माननीय मंत्री जी झांसी शहर की आबादी का ख्याल करते हुये कम से कम १५ दुकानें और खुलवा देने की कृपा करेंगे ?

**श्री सैयद अली जहीर**---बहरहाल यह सजेशन है माननीय सदस्य का। हम इस पर यकीनन गौर करेंगे।

**श्री गेंदासिंह**---क्या कभी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बिहार, केरल और पश्चिमी बंगाल की दुकानों की संख्या पर विचार हुआ है और इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के सामने आपने मांग रखी है ?

**श्री सैयद अली जहीर**---जी हां, हर एक जगह से ऊपर जितना-जितना वह दे रहे हैं उसको हमने सामने रखकर मांग की है, लेकिन फैसला करना उन्हीं का काम है ?

**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ललितपुर सब-डिवीजन के बड़े-बड़े टाउन जिनमें कि सदैव गल्ले की कमी रहती है, वहां पर भी कोई दुकान खोलने की कृपा करेंगे ?

**श्री सैयद अली जहीर**---माननीय सदस्य तो जानते ही होंगे कि अभी तक जो हमने दुकानें खोली हैं वह ज्यादातर पूर्वी जिलों को छोड़ कर शहरों में खोली हैं। देहातों में अगर दुकान खोलना शुरू करेंगे तो जितने अनाज की जरूरत होगी वह इतना ज्यादा हो जायगा कि शायद हमको उसका एक हिस्सा भी केन्द्रीय सरकार से मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती, इस वजह से हमने अभी नहीं खोली हैं। यह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और फिर अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी यह पालिसी नहीं है और न हो सकती है कि हम इतनी बड़ी जन संख्या के लिये, सब के लिये अनाज मुहइया कर सकें। हमारी तो यह कोशिश है कि इतनी काफी मिकदार में अनाज हमारे सूबे में इन दुकानों के जरिये से बंट जाय जिससे अनाज के निर्ख नीचे आवें। हम यह कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इस कोशिश में कामयाबी होगी, लेकिन हम कहां कहां और कितनी दुकानें खोल सकेंगे यह तो, मैंने जैसा अर्ज किया, इस बात पर निर्भर है कि हमको कितना अनाज केन्द्रीय सरकार से मिला करेगा।

## अनाज के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये उपाय

*९३---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ की रबी की फसल कटने के बाद प्रान्त में गल्ले के दाम के बढ़ौती को कम करने के लिये तथा उससे उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

नोट---तारांकित प्रश्न ९२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

**श्री सैयद अली जहीर**---गल्ले के बढ़ते भावों को रोकने तथा जनता का संकट दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) गेहूं की अन्तर्प्रभागीय योजना (Inter-Zonal Scheme) जारी है ।

(२) १४ पूर्वी जिलों से चावल एवं धान के निर्यात पर प्रतिबंध जारी है ।

(३) चावल मिलों एंव खाद्यान्न व्यापारियों के लिये लाइसेंस का विधान कर दिया गया है ।

(४) भारत सरकार ने रोलर आटा चक्कियों द्वारा बाजार से गेहूं खरीदने की मनाही का आदेश जारी करने का निश्चय किया है तथा उनको गेहूं देना भी स्वीकार कर लिया है । मैदा, सूजी का राज्य के बाहर निर्यात भी रोक दिया है ।

(५) भारत सरकार ने मोटे अनाजों और दालों के क्रय विक्रय के लिये Forward Contracts तथा Non-transferable Specific Delivery Contracts को बन्द कर दिया है ।

(६) विदेशी गेहूं को उचित दामों पर बेचे जाने का प्रबन्ध पूर्वी और पहाड़ी जिलों के अतिरिक्त अन्य नगरों तथा क्षेत्रों में भी किया गया है जिनमें कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ भी सम्मिलित हैं । उचित मूल्यों की दुकानों की संख्या २३१८ से बढ़ा कर ३२८१ कर दी गई है ।

(७) अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं के अतिरिक्त मोटे अनाज सस्ते दामों पर बेचे जा रहे हैं ।

(८) भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को गेहूं और चावल प्राप्त (रिक्वीजिशन) करने का अधिकार दे दिया है ।

## अतारांकित प्रश्न

### टाउन प्लान के लिए देवरिया रामनाम की भूमि का मुआवजा

१---**श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Town plan के लिये देवरिया रामनाम (देवरिया) की कितनी भूमि सन् १९४८ से १९५० ई० के बीच ली गई हैं ?

(अ) कितनी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है और कितनी भूमि बिना मुआवजे की है ?

(ब) क्या बिना मुआवजे की भूमि पर किसानों को खेती करने का हक दिया गया है ?

**श्री गिराधारी लाल**---१३१·७१ एकड़ ।

(अ) ११५·४० एकड़ भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है और १६·३१ एकड़ भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है ।

(ब) जी नहीं ।

### खलीलाबाद, जिला बस्ती में "घेरा डालो" आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**---श्री राजनारायण जी का एक काम-रोको प्रस्ताव है, जो इस प्रकार है :

"बस्ती जिले में अन्न संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है । गत २४ जुलाई से खलीलाबाद तहसील, जिला बस्ती में करीब १,००० आदमी भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर तहसील के सामने घेरा डाले पड़े हैं । २५ जुलाई को सोशलिस्ट पार्टी के सर्वश्री बाबू राम मंत्री, राम दुलारे त्रिपाठी, दूधनाथ लाल, बनवारी लाल वर्मा, सत्यनारायण अवैधानिक ढंग पर गिरफ्तार

कर लिये गये हैं। उनकी अवैधानिक गिरफ्तारी से वहां की आम जनता में घोर असंतोष व्याप्त है और बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः यह सदन उपर्युक्त अवैधानिक कार्यवाहीजन्य विषम परिस्थिति पर जनहित की दृष्टि से तत्काल विचार करना आवश्यक समझते हुए आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस पर २२ तारीख से २४ तारीख तक बहस हो चुकी है, राज्यपाल के अभिभाषण के सिलसिले में, और प्रस्ताव में २४ जुलाई से कहते हैं कि वहां पर ये आदमी भूख हड़ताल किये हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसका जिक्र उस वक्त आ जाना चाहिये था यदि यह इतना महत्वपूर्ण विषय था। मैं इसको अनावश्यक समझता हूं। यह आन्दोलन के सिलसिले में है तो ठीक ही बात है, गिरफ्तारी हुई होगी और अगर ऐसी गिरफ्तारी रोज हों तो रोज बरोज तो काम इस तरह से रोका नहीं जा सकता और यह इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं बन सकता। मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमको तो खबर आज मिली है कि २४ तारीख को ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—खबर नहीं रखते तो हमारे लिये लाचारी है।

## पूर्वी, पर्वतीय एवं विन्ध्य प्रदेश के जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा यह श्री मदन पांडेय जी का है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय एवं विन्ध्य प्रदेश के जिलों की दयनीय खाद्य स्थिति के संबंध में है। यह विषय भी ऐसा था जिस पर बहस हो सकती थी। कोई आवश्यक विषय दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस विषय पर बहुत बहस हो चुकी है। साथ ही इसके ऊपर २५ तारीख को एक प्रस्ताव पर असरकारी दिन बहस भी हो चुकी है और उस पर बहस जारी है, और जब वह जारी है तो कामरोको प्रस्ताव बीच में आ जाना उचित नहीं है।

## चकिया, वाराणसी में ताजिये न निकलने से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री राम सिंह चौहान जी का है:

"चकिया (वाराणसी) में साम्प्रदायिक तनाव के बढ़ जाने के कारण कल मुसलमानों ने ताजिया नहीं निकाला। सरकारी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण साम्प्रदायिक स्थिति विषम हो गयी है।

अतः इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में माननीय राम सिंह चौहान जी ने एक तार, जो उनको मिला था वह भेजा है, वह इस प्रकार है—

"All Muslims of Chakia have stopped Tajiadari of Muharram because of Jansanghist Local Station Officer is in favour of them—

Nazar Mohammad, Tailor Master, Centre Market Chakia, post office Chakia, Varanasi."

एक व्यक्ति के इस तरह से तार दे देनें से और जो उसने किसी जिम्मेदार अफसर के ऊपर आरोप किये हैं उनको यदि अपने प्रस्ताव में कोई माननीय सदस्य उपस्थित कर दें और उसके आधार पर एक कामरोको प्रस्ताव भी आ जाय, मैं समझता हूं यह बहुत अनुचित सी बात है। गम्भीर परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन इस आदरणीय सदन के जो नियम हैं उनके अनुसार जो अफसर लोग यहां पर मौजूद नहीं रहते उनके ऊपर इस तरह का आक्षेप कर देना

[श्री अध्यक्ष]

और मेरे पास वह आक्षेप भेजना और प्रस्ताव में भी वह उपस्थित कर देना यह अनुचित सी बात है। अगर केवल परिस्थित के ऊपर प्रस्ताव होता तो दूसरी बात है। "पक्षपात पूर्ण व्यवहार" और दूसरी बातें तार में दी हुई हैं, तो मैं एक तो यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जिन शब्दों में दिया गया है वह अनुचित है। दूसरे यह निश्चित विषय नहीं मालूम होता। कोई तहकीकात वगैरह करके प्रस्ताव दिया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन यह केवल इस तार के आधार पर ही दिया है।

इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, लेकिन चूंकि साम्प्रदायिक झगड़े का प्रश्न है, इसलिये गृहमंत्री जी या मुख्य मंत्री जी को जानकारी हो तो वह सदन को दे सकते हैं।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—श्रीमन्, देवरिया में भी ताजियों की यही हालत हुई।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री या माननीय गृह मंत्री यदि कोई सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस कामरोको प्रस्ताव और इस तार को सुन कर आश्चर्य हुआ, क्योंकि परिस्थिति यह है कि वहां के मुसलमान दर अस्ल सरकारी अधिकारियों के जो काम उन्होंने वहां किया उसके लिये कृतज्ञ हैं यह जो दरजी है यह एक चबूतरे से ताजिया निकाला करता था। उस चबूतरे पर भगन साह नाम के एक व्यक्ति ने ताजिया निकलने से कुछ दिन पहले से एक झोपड़ी डाल रखी थी। जब मालूम हुआ तो एस० डी० एम० ने दफा १४४ में उसको हुक्म दिया कि तुम इस झोपड़ी को वहां से हटाओ। उसने नहीं हटायी। तब सरकारी अधिकारियों ने उस झोपड़ी को खोद कर फेंक दिया और यह हुक्म दिया कि ताजिया जैसे निकलता था वैसे ही निकाला जाय। इसीलिये मैं कहता हूं कि वहां के मुसलमानों को सरकारी अधिकारियों का कृतज्ञ होना चाहिये। लेकिन इसके पहले कि ताजिया निकाला जाय उसने मुन्सिफ के यहां दरख्वास्त दे कर यह हुक्म निकलवा लिया कि खबरदार वहां से ताजिया न निकाला जाय तो वह मुन्सिफ की अदालत से रुका हुआ है। सरकारी अधिकारियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वहां के मुसलमानों को उनका कृतज्ञ होना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक जानकारी चाहता हूं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह खबर है, जैसे बनारस के "आज" अखबार में यह खबर निकली है कि ६ जनसंघ के कार्यकर्त्ता वहां गिरफ्तार कर लिये गये हैं? तो क्या इस तरह की वहां कोई गिरफ्तारी हो रही है और कोई वातावरण में तनाव कायम है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—अगर उनको जानकारी हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं के संबंध में मुझे कोई इत्तला नहीं है लेकिन बहरहाल, जिस तरह की तनातनी का जिक्र इस कामरोको प्रस्ताव और तार में है वैसी कोई तनातनी वहां नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

## गाजीपुर की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय यमुना सिंह का एक कामरोको प्रस्ताव गाजीपुर की खाद्य समस्या के सिलसिले में है। तो मैं जो अभी कह चुका हूं कि जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है उस पर विचार हो रहा है जिसके कारण यह अनावश्यक है इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

# वाराणसी जिले की चकिया तहसील में नहर रेट लागू करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष-- एक और प्रस्ताव माननीय मोती लाल अवस्थी का है। वाराणसी जिला के अन्तर्गत चकिया तहसील में इस साल कर्मनाशा बान्ध की नहरों, चन्द्र प्रभा की नहरों तथा छोटे-छोटे बांध जैसे गुलाल बांध वगैरह के सिलसिले में जबरदस्ती नहर रेट सूल किया जा रहा है, इसके बारे में शिकायत है। तो इस शिकायत का जिक्र राज्यपाल जी के अभिभाषण के सिलसिले में किया जा सकता था, कोई तात्कालिक एकदम यह प्रश्न खड़ा नहीं हुआ है बल्कि बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिये मैं इसको अनावश्यक समझ कर इसको भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं इसकी सूचना प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी शायद कुछ बताना चाहें।

श्री अध्यक्ष--मुझे माननीय मंत्री जी सूचना देने के लिये कुछ उत्सुक दिखायी भी दिये। अगर वे सूचना देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे मैंने इसको अनियमित तो करार दे ही दिया है लेकिन आप सूचना देना चाहते हों तो दे सकते हैं।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति)--श्रीमन्, यह जो जिला वाराणसी की चकिया तहसील की नहरों का जिक्र किया गया है पहले बनारस राज्य में वहां पर कुछ छोटे-छोटे तालाब थे जिनके जरिये से इन नहरों को पानी मिला करता था तब बहुत थोड़ा सा रेट था। अब हमने पिछले सालों में वहां पर चन्द्रप्रभा, नौगढ़, अहरौरा, जिरगो और इनके अलावा और छोटे-छोटे बांध जिनका इसमें जिक्र है बनाये हैं और करोड़ों रुपये इनके ऊपर खर्च किये हैं। पहले इन तालाबों से अनिश्चित मात्रा में पानी मिला करता था, लेकिन अब एक निश्चित सप्लाई वहां से मिलती है। और इसके साथ ही साथ उन तमाम नहरों का रिमाडलिंग किया गया है। उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर बनायी गयी है। पहले जो वहां पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था उसको तब्दील करके जो सारे प्रदेश में तरीका है उसको लागू किया जा रहा है। ऐसी हालत में जो तमाम प्रदेश में रेट्स हैं उनको वहां पर लगाना अनिवार्य था। मुझे परसों चकिया जाने का इत्तफाक हुआ और वहां बहुत से आदमियों से मिलने का मौका हुआ तो मुझसे यह शिकायत की गई थी। लेकिन जब मैंने वह बातें समझाई जो मैंने यहां उपस्थित की हैं तो उनको संतोष हुआ और उन्होंने कहा था कि हमारे कुलाबे वगैरा का ध्यान रखा जाय। मैंने कहा था कि जरूर देख लिया जायगा। मेरी नजर में वहां कोई आंदोलन नहीं है और न वहां कोई असंतोष है। लेकिन यह जरूर है जैसा कि माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जब कोई टैक्स वगैरा लगता है या रेट वगैरा बढ़ता है तो थोड़ी सी चर्चा जरूर होती है। वैसे वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे असंतोष हो या किसी तरह का कोई बवैला हो।

श्री राजनारायण--श्रीमन् मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी की है कि जब रेट १५ आना प्रति बीघा और अढ़ाई रुपया प्रति बीघा था तो जमीन की उत्पादन शक्ति घटी है या बढ़ी है कि सब पर साढ़े ६ रुपया प्रति बीघा कर दिया गया?

श्री अध्यक्ष--यह तो विवाद का प्रश्न है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

## खाद्य-समस्या पर विवाद के संबंध में जानकारी

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैंने भी एक कामरोको प्रस्ताव दिया था तो आपने मंत्री जी को आज्ञा प्रदान की थी कि उसके लिये मंत्री जी एक दिन निश्चित कर दें और मेरा प्रस्ताव उस समय मुल्तवी कर दिया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय क्या दिया ?

श्री अध्यक्ष--मैंने यह फैसला दे दिया था कि जो बहस खाद्य समस्या पर हो चुकी है और जो पहिले एक प्रस्ताव आ चुका है उसको सामने रखते हुये मैं कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल दो घंटे बहस होगी । लेकिन यदि माननीय सदस्य समझते हों कि इस पर काफी बहस नहीं हुई और पूरे दिन बहस की आवश्यकता है, यानी दो घंटे बहस की इजाजत तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा बहस हो चुकी है, लेकिन यदि इसी विषय पर बहस करके आप सुझाव देना चाहते हैं, तो खाद्य मंत्री जी से बातचीत करके और नेता सदन से बातचीत करके और नेता विरोधी दल से बातचीत करके एक दिन निश्चित कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । यह बातचीत से तय हो जाना चाहिये, कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सकता है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में, खाद्य परिस्थिति पर, विवाद होने के लिये मेरी बात माननीय नेता सदन से हुई है और सुबह मैंने व्हिप से भी निवेदन किया था और मैं आशा करता हूं कि आज कल में तय होकर आपकी सेवा में निवेदन किया जायगा इसके लिए दिन नियत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह जानकारी हासिल करने के बाद अब किसी चीज की जरूरत नहीं है । नेता विरोधी दल बात कर रहे हैं और नेता सदन भी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर रहे हैं, इसलिये इसके ऊपर अधिक कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैंने भी अपना एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और आपने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा लेकिन मुझे मौका नहीं मिला । अतः उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मैंने आपके कामरोको प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था और उपाध्यक्ष जी ने २५ तारीख को उसकी घोषणा कर दी थी ।

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे ५०६ पृष्ठ पर।)

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव, विधान सभा--मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया---

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल १९८ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

अनुच्छेद १९८ के खंड (२) में अध्यक्ष महोदय, लिखा है—

"After a Money Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State having a Legislative Council, it shall be transmitted to the Legislative Council for its recommendations, and the Legislative Council shall within a period of fourteen days from the date of its receipt of the Bill return the Bill to the Legislative Assembly with its recommendations, and the Legislative Assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Legislative Council."

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, खंड (५) में लिखा है—

"If a Money Bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of fourteen days, it shall be deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly."

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश स्टैम्प्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को असेम्बली ने २७ मार्च को पास किया और काउंसिल को यह ३१ मार्च को ट्रांस्मिट हुआ। तो आर्टिकल १९८ (२) के अधीन १४ दिन के अन्दर काउंसिल को अपनी सिपारिश दे देनी चाहिए थी और खंड (५) के अधीन अगर काउंसिल १४ दिन के अन्दर अपनी सिपारिश नहीं देती है तो विधेयक काउंसिल से पास हुआ माना जायगा। इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि यह विधेयक इस समय यहां पर लाने की जरूरत नहीं है और बजाय इसके कि यह इस असेम्बली के सामने पेश किया जाय गवर्नर के सामने असेंट के लिए पेश किया जाना चाहिए। यह प्वाइंट आफ आर्डर है कि यहां पर यह पेश नहीं होना चाहिए।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक संविधान की उस धारा का जिक्र है जिसकी चर्चा की गई वह तो हम सबके लिए मान्य है. लेकिन सवाल यह है कि १४ दिन का अर्थ क्या है? इस प्रश्न पर हमने भी विचार किया और श्रीमन् को विदित होगा कि काउंसिल में भी विचार हुआ और वहां के सभापति जी ने यह रूलिंग दी कि १४ डेज के अर्थ १४ वर्किंग डेज हैं। मेरा भी निवेदन यह है कि १४ डेज का यही अर्थ लगाना चाहिए, नहीं तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज वहां जाय और किसी वजह से फिजिकली इम्पासिबिल हो जाय उस सदन के लिए पास करना या सदन की बैठक बन्द हो जाय एक दो दिन के अन्दर तो इसके मानी यह हैं कि कई चीजें खत्म हो जायंगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि १४ डेज का अर्थ १४ वर्किंग डेज लेना चाहिए और इसलिए इस चीज का यहां उपस्थित किया जाना वैध है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरे विचार से माननीय वीरसेन जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठायी है उसमें बहुत कुछ तत्व है और इसलिए कि संविधान में जो शब्द हैं वह यह हैं कि डेट आफ रिसीट से १४ दिन, तो यहां पर जो मुख्य प्रश्न है वह तारीखों का है। हमें यह जानकारी प्राप्त करनी है कि काउंसिल ने किस तारीख को बिल रिसीव किया। 'विधिन ए पीरियड आफ १४ डेज' उस तारीख से माना जायगा जिस तारीख को लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिसीव किया। लेकिन मुझे ठीक जानकारी नहीं है कि किस तारीख को काउंसिल ने रिसीव किया। तो मैं इस सम्बन्ध में कोई तथ्य के ऊपर नहीं कह सकता। लेकिन अगर जो तारीख माननीय वीरसेन जी ने बतलायी है—उन्होंने ३१ तारीख बतलायी है जब काउंसिल ने पास किया है। काउंसिल ने कब रिसीव किया वह तारीख मालूम होनी चाहिए। अगर वह तारीख मार्च या अप्रैल में थी तो जो वैधानिक आपत्ति उन्होंने उठायी है वह सही है और इस बिल को गवर्नर महोदय की स्वीकृति के लिए भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो कार्यक्रम आपने चलाया है वह ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न के ऊपर मैंने भी विचार किया था। पहले भी इसके ऊपर चर्चा चली थी मुख्य मंत्री जी के साथ और मैं समझता हूं कि उनके ला डिपार्टमेंट के साथ भी बातचीत हुई थी। जब मैंने पहले १९८ अनुच्छेद पढ़ा तो मैं भी यही समझता था कि १४ रोज का मतलब यह है कि जिस रोज से विधान परिषद् को नोटिस मिले उसके १४ दिन के बाद अर्थ विधेयक कानून बन गया ऐसा मान लेना चाहिए, और इसे राज्यपाल की सम्मति के लिये भेज देना चाहिये। लेकिन इसके पश्चात् कानून विभाग द्वारा पुनर्विचार के लिये प्रश्न उपस्थित हुआ जिससे यह प्रतीत हुआ कि अनुच्छेद १९८ के अर्थ लगाने में दो मत कानूनी हो सकते हैं, एक तो यह कि उसमें निर्दिष्ट १४ दिन विधान परिषद् को नोटिस मिलने के पश्चात् १४ दिन कैलेन्डर के हिसाब से मिलना चाहिये। दूसरी कानून विभाग की राय थी कि १४ दिन का अर्थ परिषद् की बैठकों के १४ वर्किंग दिन का है। इन दो मतों के शब्दार्थ की ओर केवल ध्यान देने से केलेन्डर के अनुसार १४ दिन बीतने पर विधेयक पारित होना सही मालूम होता है। परन्तु यदि तर्क और न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो १४ दिन, वर्किंग दिन यानी बैठक के होने चाहिये जिनके बीतने पर ही विधेयक पारित हुआ ऐसा समझा जाना उचित होगा, क्योंकि यदि कोई सदन प्रोरोग हो जाय और उसे १४ दिन विचार करने के लिये न मिलें तो उसका विचार करने का अधिकार ही नष्ट होता है जो उचित नहीं प्रतीत होता।

मेरा ध्यान अनुच्छेद १९० की ओर भी आकर्षित किया गया है जिसमें निम्न प्रतिबन्ध स्पष्टीकरण में दिया है :—

"Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days."

इस प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भी दो रायें हो सकती हैं, एक तो यह कि यह प्रतिबन्ध में जो स्पष्टीकरण है केवल अनुच्छेद १९० की परिस्थिति में लागू है और अन्य अनुच्छेद जिसमें ऐसा स्पष्टीकरण न हो उसके लिये इस प्रतिबन्ध के सिद्धान्त लागू नहीं हैं। दूसरा मत यह है कि इस प्रतिबन्ध में यह संकेत किया गया है कि कोई सदन प्रोरोग होने पर मियाद का समय उस बीच खत्म नहीं हो सकता। इस प्रकार इस अनुच्छेद के प्रतिबन्ध के द्वारा भी अनुच्छेद १९८ की व्याख्या में उत्पन्न शंका का निरसन नहीं होता। इसलिये मैंने इन दो अर्थ विधेयकों के सम्बन्ध में यही उचित समझा कि जिस मत के अनुसरण से अधिनियमों के अवैध होने का खतरा न हो उसी मत का पालन किया जाय और मेरी समझ में १४ वर्किंग डेज दूसरे सदन को मिलना चाहिये। ऐसी व्याख्या सही मान कर यदि उक्त सदन के विचारार्थ १४ कलेन्डर दिवस समाप्त होने पर भी उक्त विधेयक जावें इस कारण से कि बीच में परिषद् प्रोरोग हो गई थी तो उससे जब अधिनियम बन जावेंगे, अदालतों द्वारा वे अवैध नहीं कहे जा सकेंगे, क्योंकि विधान परिषद् का फैसला अन्तिम नहीं होगा और जो भी सुझाव वह देगी वह इस आदरणीय सदन द्वारा स्वीकृति मिलने पर ही विधेयकों के भाग बन सकेंगे। इस प्रकार अर्थ विधेयक इस सदन से ही अन्तिम बार जिस रूप में पारित होंगे उसी रूप में अधिनियम बनेंगे। इस प्रकार विचार करके इस बार मैंने उक्त विधेयकों को विधान परिषद् के विचारार्थ प्रोरोगेशन समाप्ति के बाद भी रहने दिया और राज्यपाल के पास सम्मति के लिये नहीं भेजा। तथापि कानूनी राय के लिये यह मसला एडवोकेट जनरल के पास जरूर भेज दिया गया है, परन्तु उक्त विधेयकों पर दूसरे सदन में विचार होकर उसके सुझावों को इस सदन में विचारार्थ उपस्थित किया गया है जिन पर विचार करके जो सदन उचित समझे अपना फैसला दे सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह व्याख्या मान ली जाय कि १४ वर्किंग डेज होने चाहिये तब भी यह प्रश्न रह जाता है और इस सम्बन्ध में आप सदन को सही सूचना दे दें कि क्या १४ वर्किंग डेज नहीं हो चुके हैं?

श्री अध्यक्ष—नहीं हो चुके हैं। दो दिन ही हुए हैं। उसके बाद हाउस प्रोरोग हो गया। ३१ को यह उन के सामने आया था, ६ तारीख को सदन प्रोरोग हो गया। तो शायद उस सदन में यह विधेयक एक ही रोज सामने आया हो इस बीच में।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन् एक निवेदन करना है कि जैसा आपने कहा कि आपने भी इसको उचित समझा कि एडवोकेट जनरल से सम्मति ले ली जाय, तो मैं समझता हूं कि शायद अभी तक एडवोकेट जनरल की सम्मति नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—अभी तक नहीं आयी है।

श्री राजनारायण—आपने जो शंका प्रकट की है उसके अन्तर्गत यह भी है कि अगर हम इसको पास भी कर दें तब भी इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री राजनारायण—क्योंकि अगर हम इसको पास कर दें, यह सदन अगर इस कानून को बना दे, जो कि संविधान के विरुद्ध है.....

श्री अध्यक्ष—आप जरा सुनिये। आप समझे ही नहीं जो मैंने कहा है। अगर सही इंटरप्रेटेशन यह हो कि अनुच्छेद के अनुसार १४ वर्किंग डेज होने चाहिये और उसे मैंने न मान कर केवल कलेन्डर से १४ रोज ही होने चाहिये ऐसा मान कर इनको राज्यपाल की सम्मति के लिये भेज दिया होता तो इस बात पर अधिनियम चैलेंज हो सकते थे कि वह कानून जो दोनों सदनों से पास होने चाहिये थे संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध एक ही सदन से पास हुए दूसरे सदन को विचार करने का मौका नहीं मिला लिहाजा अधिनियम अवैध है। अगर इसका अर्थ यह समझकर कि संविधान के अनुच्छेद में १४ दिन जो दिये हैं वे वर्किंग डेज होना चाहिये और मैंने इस इंटरप्रेटेशन के आधार पर दूसरे सदन में उन्हें विचारार्थ भेज दिया तो उसमें कोई हानि नहीं हुई। दूसरे सदन ने भी इन पर विचार कर लिया इस पर यह कहा जा सकता है कि विचार किया यह रिडंडेन्ट था और यदि रिडंडेन्ट विचार किया गया तो उसका परिणाम यदि यह हो कि दूसरे सदन ने जो सुधार कर दिये वे फाइनल होते और उसमें यह सदन कोई सुधार न कर सकता हो ा, तो ये अधिनियम अवैधानिक करार दिये जा सकते थे, लेकिन जो सुधार दूसरा सदन सुझाव में देगा वे इस सदन के लिये केवल सिफारिशें मात्र होंगी और यह सदन यह तय करेगा कि जो मूल विधेयकों का स्वरूप था उसे हम स्वीकार करें अथवा उक्त सुझावों के साथ हम उन्हें स्वीकार करें। अगर उन सुझावों के साथ हमने स्वीकार कर लिया तो उन्हें इस सदन ने पास किया यही समझा जावेगा और दोनों सदनों में इस तरह से पास हो जाने से वे अवैध नहीं हो सकते। इसलिये मैंने सोचा कि काम न रोका जाय, रिडंडेंट चाहे कोई कार्य हो जाय, अवैधानिक न हो, इस वजह से दूसरे सदन के पास भेज दिया और जो एडवोकेट जनरल की राय होगी उस पर विचार करके अगर हम इस नतीजे पर आते हैं कि १४ रोज केलेंडर के अनुसार ही होने चाहिये तो आइन्दा के लिये उस राय के अनुसार कार्य होगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—इस संबंध में श्रीमन, एक निवेदन है। अगर आप आज्ञा दें तो एक मिनट लगेगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने फैसला दे दिया है। मैं इस पर टीका-टिप्पणी नहीं चाहता हूं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूं कि यह मनी बिल नहीं है। अगर मनी बिल नहीं है तो आर्टिकल १९८ आफ दि कांस्टीट्यूशन नहीं अप्लाई करेगा। यह आर्टिकिल १९९ के (२) के एक्सेप्शन से कवर्ड है।

श्री अध्यक्ष--मनी बिल के बारे में संविधान में यह है कि अगर अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया कि कोई विधेयक मनी बिल है तो है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे वह हो या न हो।

सचिव, विधान सभा--मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा की गयी सिफारिश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०७ पर।)

## उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ के अननुमोदनार्थ संकल्प तथा अध्यादेश सम्बन्धी विधेयक को एक साथ लेने की प्रार्थना

(श्री प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष--आपका कोई वैधानिक प्रश्न तो है नहीं। मैं माननीय प्रताप सिंह को बुला चुका हूं। जब तक वे नहीं बैठते मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को सुन लिया जाय।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह है कि इसके बाद ही एजेन्डे पर जो दूसरा आइटम है उसमें बिलकुल यही चीज है जो इस प्रस्ताव के द्वारा उठाई गई है। इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें सुधार भी हो सकता है। खासतौर से इस मामले में इसी अध्यादेश के मुताबिक गवर्नमेंट ने इस कानून के द्वारा काम करने की कोशिश की है। उसमें भी यही प्रश्न उठता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके आगे जो एजेन्डे पर प्रश्न है उसको भी इसके साथ ही ले लिया जाय और जो माननीय सदस्य चाहते हैं उनका मतलब भी इसमें पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न वैधानिक प्रश्न करके नहीं उठाया गया है। वैधानिक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि स्वशासन मंत्री जी उसे नहीं उठा सकते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव सर्व सम्मति से लाया जा सकता है क्योंकि नंबर ५ पर कार्यक्रम में जो विषय दिया हुआ है और जो विषय नंबर ४ पर है, वे दोनों विषय करीब करीब एक से हैं। एक तो अध्यादेश का अनुमोदन न करने के बारे में और दूसरा उसी अध्यादेश के आधार पर जो अधिनियम लाया जा रहा है, उस पर विचार करने के विषय में है। उनका मतलब यह है कि फर्ज कर लीजिये कि विधेयक आपको नापसंद है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। उसका अर्थ यही होगा कि विधेयक नहीं आयेगा या आप अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका भी अर्थ यही होगा कि विधेयक खत्म हो गया, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हैं। दोनों का अर्थ एक सा ही होता है। लेकिन मैं इस विषय में माननीय प्रताप सिंह जी को आजादी देता हूं कि वे इस बात को समझ लें और अगर वे अपने प्रस्ताव पर

बहस नहीं कराना चाहते हैं तो केवल विधेयक पर बहस होगी, नहीं तो संविधान में जो दिया हुआ है कि जब अध्यादेश जारी होता है तो सदन के किसी सदस्य को यह अधिकार है कि वह यह प्रस्ताव करे कि वह उसका अनुमोदन नहीं करता उसी के अनुसार प्रस्ताव पर पहिले बहस होगी । अध्यादेश खत्म हो जाता है ६ हफ्ते में असेम्बली की बैठक से, यदि उसके अनुसार विधेयक न लाया जाय और ६ हफ्ते में वह पारित न हो जाय । अननुमोदन प्रस्ताव के पास होने से ६ हफ्ते के अन्दर भी अध्यादेश खत्म हो सकता है । इसलिये जो अध्यादेश को खत्म करना चाहते हैं, वह ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि वे उस अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करते । यह वैधानिक परिस्थिति है । ऐसी हालत में मैं माननीय प्रताप सिंह जी, गोविन्द नारायण जी, मोहन लाल वर्मा जी, शिव प्रसाद नागर जी व होरी लाल जी यादव से पूछूंगा कि क्या वे इस प्रस्ताव पर अधिक जोर नहीं देना चाहते और क्या सरकारी विधेयक के विषय पर ही विचार किया जाय ?

श्री प्रताप सिंह--मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने सुझाव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष ---आप उनके सुझाव को नामंजूर कर सकते हैं ।

इस पर बहुत लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है । विधेयक तो सामने आने वाला ही है । सिर्फ आप उसके कारण बतला दें कि किस वजह से आप उसको डिसएप्रूव करते हैं, इतना करने के बाद मैं सदन की राय ले लूंगा, दो एक भाषण होंगे, उसके बाद इस विषय पर बहस खत्म हो जायगी ।

(श्री प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं पेश्तर इसके कि श्री प्रताप सिंह अपना भाषण शुरू करें । आपने यह फरमाया कि डिस-एप्रूवल और अन्तरिम जिला परिषद् पर विचार करने की बात ये दोनों एक से ही हैं । यह बात मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों एक नहीं हैं और यह कोई आवश्यक नहीं है कि जैसा आर्डिनेंस जारी किया गया है बिलकुल उसी प्रकार का कोई विधेयक यह सदन पारित करे । दोनों बिलकुल अलग अलग हैं और इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा मान्यवर, कि इस सदन को इस प्रकार का अवसर प्रदान करें कि वह इस विषय पर पूरी बहस कर सके और अपनी राय जो इस सम्बन्ध में हो उसको प्रकट करे ।

श्री अध्यक्ष--मैं उसको रोकता नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ यह कहा कि चूंकि अध्यादेश को आप खत्म करना चाहते हैं तो आप प्रस्ताव ला सकते हैं और अगर आपका यह इरादा है, उसके ऊपर टीका-टिप्पणी खाली करनी है तो आप प्रस्ताव न लाकर सिर्फ विधेयक पर विचार कर लें । मैंने प्रताप सिंह जी को ही आजादी दी और उन्होंने कहा कि वे प्रस्ताव के ऊपर बहस करेंगे कि अध्यादेश अनुचित है, इसको खत्म कर देना चाहिये । तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहस में वे विषय नहीं आने चाहिये जिन पर विधेयक की बहस में सदस्यगण अधिक कहना चाहेंगे, इसलिये इस प्रस्ताव पर संक्षिप्त बहस होनी चाहिये ।

## उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ के अननुमोदनार्थ संकल्प

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधान सभा, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ का अननुमोदन करती है ।

[श्री प्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस ने १४ फरवरी को यह पास किया था कि जिला बोर्ड्स के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र होने चाहिये और उसी चुनाव को करने के लिये जिला बोर्ड्स संशोधन ऐक्ट पास किया था। आपकी आज्ञा से मैं उसकी कार्यवाही की दो पंक्तियां जो माननीय मंत्री जी ने कही थी, पढ़ देना चाहता हूं —"हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के माननीय नेताओं से परामर्श किया और उसके बाद यह निश्चय हुआ कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिये यह जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के एलेक्शंस जल्द से जल्द करा दिये जायं और उन्हीं से उस समय यह भी तय हुआ कि चूंकि वर्तमान ऐक्ट के मुताबिक एलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कई चीजें कांस्टिट्यूशन में ऐसी हैं, जैसे रिजर्वेशन आफ सीट्स वगैरह, उनको हम नहीं रख सकते हैं, इसलिये इस ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय और उसी के मुताबिक एलेक्शन करा लिया जाय। उसी विचार के मुताबिक यह वर्तमान बिल आज मैंने इस सदन के सामने पेश किया है"। श्रीमन्, फिर उसी के नीचे —"जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया था ५ मिनट के अन्दर विरोधी दल के माननीय सदस्य इसे पास कर देंगे मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र से शीघ्र पास हो जायगा, ताकि हम जल्द एलेक्शन करा सकें। एलेक्शन तो मैं मार्च में ही करा लेता, लेकिन उसके लिये एक आर्डिनेंस हमें लाना पड़ता और उससे मुमकिन था कि कुछ बदमजगी हो जाती"।

तो श्रीमन्, १४ फरवरी को असेम्बली ने पास किया और ४ मार्च को विधान परिषद् ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन ऐक्ट पास किया। उसके बाद ८ मार्च, १९५८ को उस पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कौन सी पार्लियामेंटरी प्रोसीज्योर है, कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका है कि जहां दोनों हाउसों ने एक ऐक्ट को पास करके उसे कैबिनेट के सुपुर्द किया कि वह उसको ऐक्जीक्यूट करे, उसको उसने नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह दोनों माननीय सदनों का अपमान है। इस सम्बन्ध में मैं राजनीति के एक प्रकांड विद्वान कीथ का मत पढ़ देना चाहता हूं जो कि 'फंक्शन आफ दि ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम १९३०–३८' के अन्दर दिया हुआ है :—

"(*a*) The final determination to the policy to be submitted to Parliament, (*b*) The supreme control of the national executive in accordance with the policy prescribed by Parliament."

यानी जो कुछ भी आपकी पालिसी होगी उसको पार्लियामेंट के सामने रखा जाना चाहिये। यह ठीक है कि दोनों सदनों के सामने आपने उसे रखा, आपने खुद उसे पास किया, दोनों सदनों ने पास किया। आप चुनाव कराना चाहते हैं, यह ठीक है, इसको हम मानते हैं। उसके बाद आपको एक जिम्मेदारी सौंप दी गयी थी। मैं पूरी कैबिनेट को इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराता हूं कि ९ साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव नहीं हुआ। जिला बोर्ड संशोधन ऐक्ट बनाया, फिर वह कार्य रूप में परिणत क्यों नहीं हुआ? जैसा कि जिक्र किया गया अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक सामने आ रहा है, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि उसके आधार पर भी कैबिनेट काम करेगी।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बाई इलेक्शन ऐक्ट पास किया गया, लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और आज आर्डिनेन्स हमारे सामने लाया गया। माननीय मंत्री जी भाषण में कहते हैं कि आर्डिनेंस लायेंगे तो बदमजगी हो जायगी। लेकिन आर्डिनेन्स कभी-कभी इसलिये भी आता है कि आवश्यकीय कार्य हो और आवश्यकीय कार्य इसलिये कि ९ साल से जिला बोर्ड्स का चुनाव आपने नहीं किया, उनका चुनाव जल्दी से जल्दी कराइये। ८ मार्च, १९५८ को राज्यपाल ने अपनी अनुमति दी, लेकिन चुनाव नहीं कराये गये, सरकार इसका जवाब दे। मैं पूरी कैबिनेट को इसके लिये जिम्मेदार ठहराता हूं।

अध्यादेश के प्राविजन्स के मुताबिक ७ आदमियों की एक्जिक्यूटिव बनेगी । साथ ही साथ इस ऐक्ट के क्लाज ४ में लिखा है कि अन्तरिम जिला परिषद् इसलिये बन रही है कि जिले का जो प्रशासन है वह सुचारुरूप से चल सके । उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--"आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं जिले के स्वायत्त शासन के कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों को सरल बनाने तथा निर्विघ्न सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषद् संघटित करेगी" ।

अब प्रश्न आता है कि ७ आदमियों की एक्जिक्यटिव बनेगी । जो आर्डिनेंस हमारे सामने है उसमें २ एक्जिक्यूटिव्स हैं । एक तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के मुताबिक एक्जिक्यूटिव है और दूसरी पेज ९ पर "जिला नियोजन समितियों का पुर्ननिर्माण" के मुताबिक एक एक्जीक्युटिव है । सरकारी आदेश या इस विज्ञप्ति में कहीं यह नहीं कहा गया है कि जिलों में जो एक्जिक्यूटिव बनायी जायगी वह कैसे बनायी जायगी, वह १९२२ के ऐक्ट के अनुसार होगी या "जिला नियोजन समितियों का पुर्ननिर्माण" के मुताबिक होगी । जब कोई प्रोसीजर तय नहीं है तो मैं समझता हूं कि जैसा क्लाज ४ में लिखा है कि सरल और सुलभ शासन करने के लिये इस आर्डिनेन्स के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् की स्थापना कर रहे हैं, उसका उल्टा ही होगा ।

जिस समय आर्डिनेन्स लगाया गया जिले में एक हुजूम आ गया । जिलाधीश और अधिकारी यह नहीं समझ पाये कि जिले का शासन कैसे चलाया जाय । अभी नैनीताल में २६ जलाई को मुझे एक एक्जिक्यूटिव में हिस्सा लेने का मौका हुआ । वहां जो आफिसर थे, जो आर्डिनेन्स के मुताबिक जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य हैं, उनको यह आदेश कुर्सी से दिया जाता है कि वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते । पहला तो मेरा एतराज यही है कि अफसरान को इस परिषद् का सदस्य क्यों माना गया ? फिर अगर सदस्य माना भी गया तो उनको समानाधिकार क्यों नहीं दिया गया, वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया ? इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं । मुझे पता चला है कि जहां कांग्रेस के नुमाइन्दे नहीं आ सके वहां अफसरों से कहा गया कि तुम वोट दे सकते हो और जहां कांग्रेस बहुमत में है वहां सरकारी आदेश आ गया कि तुम हिस्सा मत लो ।

**श्री अध्यक्ष**--आप ब्योरे में न जायं । केवल अध्यादेश तक ही अपने को सीमित रखें ।

**श्री प्रताप सिंह**--अध्यादेश के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं । मैं एक्जिक्यूटिव के सम्बन्ध में कह रहा था । एक्जिक्यूटिव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से बनती है । आपकी आज्ञा से एक कमेटी की रिपोर्ट पढ़ देना चाहता हूं, उसके हमारे सौभाग्य से आप ही चेयरमैन थे:--

"it should be elected on the basis of single transferable vote."

श्रीमन्, अध्यादेश में इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से चुनाव होगा । मनमाने चुनाव कराये गये ।

एक अचम्भे की बात यह है कि अध्यादेश में लिखा है कि क्लाज ६ के सब-क्लाज (६) और (७) में कि सरकार अगर चाहे तो समय-समय पर विज्ञप्ति निकाल सकती है । लेकिन ताज्जुब है कि आज जो जिला अंतरिम परिषद् की ऐग्जीक्यूटिव बनी उसके कुछ रूल्स बन गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक बनाये गये हैं ? क्योंकि अध्यादेश में विज्ञप्ति के बारे में कहा गया है, नियम के बारे में नहीं । दूसरे अगर अध्यादेश की मुखालिफ़त में नियम बने भी तो हाउस में क्यों नहीं रखे गये ? मंत्री जी इसका जवाब दें ।

दूसरी बात यह है कि क्लाज २ के (ग) में पहले से २ जिला बोर्ड के सदस्य रहते थे । अब यह है कि जिला बोर्ड ५ आदमियों को फिर भेजेगा और यही नहीं जिला नियोजन

[श्री प्रताप सिंह]

समिति में ५ आदमी सरकार छांटेगी और उसके बाद दो आदमियों को जिला मैजिस्ट्रेट अपनी राय से छांटेगा । जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को आर्डिनेंस के द्वारा सरकार नया रूप देना चाहती है उनका रूप वही रहेगा। जो आदमी पहले से बहैसियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेम्बर के, प्रेसीडेंट के, जिस तरह का गलत कार्य करते थे उसी तरह के कार्यों को दोहराने की स्कीम की गई है और मनोनीत करने से तो जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं वहां कार्य ठीक रूप से चल ही नहीं सकता । इसके सिलसिले में आपकी आज्ञा से उस रिपोर्ट की एक पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं---

"The nomination system has had a most demoralizing influence. It corrupted the people as well as the Government."

नामिनेशन जहां भी होता है उससे जनता भी करप्ट होती है और सरकार भी । यह इस कमेटी की रिपोर्ट में है जो एक जिम्मेदार कमेटी थी । अगर माननीय मंत्री जी इसको देख लिये होते या जिन्होंने आर्डिनेंस बनाया है वह देख लिये होते तो आज यह सुनने को न मिलता । जब नामिनेशन पर नामिनेशन हो रहे हैं तो हम मंत्री जी के इरादों को कैसे पाक समझें । मेरा तो पक्का इरादा है कि नामिनेशन्स कतई नहीं होने चाहिये । तो मैं चाहूंगा कि जो अभी एक बिल आ रहा है इसके बारे में उसमें इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाय ।

जिला नियोजन समिति का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके कृत्यों के बारे में कहा गया लेकिन क्या कृत्य होंगे यह कहीं नहीं लिखा है । मंत्री जी ने अध्यादेश को देखा होगा । मैं समझता हूं कि अगर उसमें एक शिड्यूल और होता, जहां जिला नियोजन समिति के पुनर्निर्माण की चर्चा है, वहीं दूसरे शिड्यूल में उसके काम के बारे में भी चर्चा होती तो ज्यादा अच्छा होता ।

अब कार्यकारिणी समिति के बारे में जहां चर्चा की गयी उसमें यह है कि जो गैरसरकारी सदस्य मनोनीत हों उनमें से ३ सरकार मनोनीत करे । जो इसके सदस्य होते हैं वही जिला अंतरिम परिषद् के सदस्य भी होते हैं । इसका मतलब यही है कि सरकार अपनी मनमानी करवाना चाहती है । जिला नियोजन समिति के कृत्य क्या होंगे वह तो मालूम होने चाहिये । सब कार्य १९२२ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के मुताबिक चल रहा है मैं चाहूंगा मंत्री जी इसका जवाब दें ।

सब से पेचीदा सवाल यह है कि ९ साल से जो प्रेसीडेंट विभिन्न जिलों में अपना तानाशाही शासन चला रहे थे उनको अब वाइसप्रेसीडेंट बना दिया और इस अध्यादेश के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह पावर है कि अगर वह चाहे तो वाइसप्रेसीडेंट को अपनी पावर डेलीगेट कर दे । लेकिन सरकार ने आदेश भेजे हैं कि अब जो वाइस प्रेसीडेंट को हैं उनके स्टेटस में कोई अन्तर न लाया जाय और वैसे ही रखा जाय । मैं नहीं समझता, यह हमें बताया जाय कि वाइसप्रेसीडेंट को प्रेसीडेंट द्वारा पावर डेलीगेट करने की जो पावर्स हैं उसके बाद इसकी क्या जरूरत पड़ी । जितने भी इस तरह के बोर्ड या समितियां होती हैं उनमें सीनियर और जूनियर प्रेसीडेंट होते हैं, लेकिन यहां एक ही क्यों रखा गया है ? इससे भी उनका इरादा पाक नहीं मालूम होता, अगर पाक होता तो जूनियर और सीनियर दो अलग-अलग होने चाहिये थे । मैं समझता हूं कि एक इसीलिये रखा गया है कि वही रहे जो आज तक वहां था । लेकिन आज होता क्या है ? होता यह है कि जो वाइस प्रेसीडेंट ९ साल से हैं उनकी जिला अधिकारी सब बातें मानते हैं और सदस्यों की उतनी नहीं मानते । क्योंकि उनको ऐसे आदेश हैं । पहले संशोधन विधेयक आया फिर यह अध्यादेश आया, क्या यह सब पब्लिक एक्सचेकर पर भार नहीं पड़ रहा है ? एक तरफ तो कहा जाता है कि एक ट्रस होना चाहिये और रिआर्गनाइजेशन होना चाहिये और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने मेनडेट देती है कि फलां आदमी को वोट दो, वाइस प्रेसीडेंट लोगों को बैलट पेपर भरा कर दे रहे हैं । क्या इसी तरीके से जिला प्रशासन सरल हो सकता है और जनता के हाथ में आ सकता है ? अगर इस प्रकार से काम चलेगा तो जिले का प्रशासन ठीक नहीं हो सकता और न देश का या प्रदेश का विकास सही मानों में हो सकता है । जो कानून सदन में पास होता है उसको कार्य-रूप में परिणत करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिये ।

सन् १९२२ का जो जिला बोर्ड ऐक्ट है और जिसके मुताबिक यह परिषद् काम कर रही हैं उनका काम है देहातों में सुधार करना और वहां पर स्कूल आदि खोलना लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे भी स्कूल हैं जो जिला बोर्ड के खर्च पर शहरों में चल रहे हैं। काशीपुर में इस तरह से स्कूल चल रहा है। उसके लिये हाथ जोड़ कर प्रार्थना की गयी कि हमें दिया जाय लेकिन प्रेसीडेंट कहते हैं कि इन्टेरिम पीरियड में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बड़ा अजीब तमाशा है कि देहातों के जिला बोर्ड हैं और उनका व्यय होता है शहरों में, यह कितनी गलत चीज है। मैं तो कहूंगा कि जितने गलत काम जिला बोर्डों ने किये हैं उनकी जांच के लिये सरकार कमेटी बिठावे। आजकल अध्यादेश ले आना तो सरकार के लिये एक फैशन सा हो गया है और इस तरह से सरकार अपनी मर्जी से चाहे जो कानून लाद देती है। इसलिये मैं कहता हूं कि जिला बोर्डों ने जो जो गलत काम किये हैं उनके लिये एक कमेटी बिठाई जाय, जो जांच करे। आज उनके ५० प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं कि जिन के पास इमारत नहीं है। अध्यापकों को आधे से कम वेतन दिया जाता है और नतीजा यह है कि वह स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाते अगर जांच की जाय तो मैं इसका सबूत दे सकता हूं और मंत्री जी से मिलकर बता सकता हूं। इसके जरिये से एक आफिशियल ब्लाक बनाया गया है, और मुझे तो यह एक डेड प्लान सी लगती है।

आगे आप देखेंगे कि खंड ६ और ७ में दिया है कि जिले के लिये अन्तरिम जिला परिषद् का संगठन करने वाली विज्ञप्ति के जारी होने पर तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से नीचे दिये हुए परिणाम उत्पन्न होंगे लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसी कौन सी विज्ञप्ति निकाली। दूसरे हर मेम्बर ओथ लेता है, अभी चुनाव हुए, किसी ने ओथ नहीं ली, समझ में नहीं आया कि किस तरह से चुनाव हो गया। इसको तो सेट असाइड कर देना चाहिये और एक वैधानिक तरीका अपनाना चाहिए। हम इस पर एतराज करेंगे कि बिना ओथ के चुनाव हो रहे हैं। अफसर जो मेम्बर हैं उनको वोट किया देने का हक नहीं है, यह तो उनके फंडामेंटल राइट्स से उनको डिप्राइव जा रहा है। इसका हक न तो प्रेसीडेंट को है, न यहां की सरकार को है।

क्लाज १३ को मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें एक ऐसी बात है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के बिलकुल खिलाफ है। ऐक्ट में यह है कि अगर किसी पर अन्याय होता है, कोई कैंडीडेट हो या कोई और कर्मचारी हो तो अलग से पेटिशन कर सकता है, लेकिन क्लाज १३ (२) के अनुसार "अंतरिम जिला परिषद् द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या कथित प्रयोग अथवा कर्तव्य-पालन के रूप में किये गये किसी कार्य अथवा दी गयी किसी आज्ञा अथवा पारित किसी संकल्प की वैधता पर प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्न न उठाया जा सकेगा"। यानी एक ओर तो जिला अंतरिम परिषद् की जो कार्यकारिणी है और परिषद् है वह अनियमितता बरते, फिर भी उस आधार पर कोई अदालत में नहीं जा सकता तो मेरी समझ में नहीं आता कि जनतंत्र के जमाने में जबकि न्याय शाखा को, कांस्टीट्यूशन में साफ लिखा है कि "जुडीशियरी इज दि गार्जियन आफ दि कांस्टीट्यूशन"। तो जब हमारे ऊपर कोई अन्याय होता हो, कोई अवैधानिक कार्य होता हो और फिर भी हम न्यायालय में न जायं तो एक तो इस प्रकार हाउस का अपमान किया गया कि मंत्री जी की जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया और साथ ही कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध कार्य करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके शब्दों में साफ लिखा है कि हम जिलों में एक सुव्यवस्था चाहते हैं, अच्छी तरह से एक शासन लाना चाहते हैं, इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि इस आर्डिनेंस में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि जो चीज इसमें नहीं है तो उसमें जिला बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के अनुसार कार्य होगा। क्योंकि सारा कार्य उसी के अनुसार चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जिला अंतरिम परिषद् क्या करेगी, कैसे काम चलेगा, उसका कोई प्राविजन नहीं है।

[श्री प्रताप सिंह]

दूसरे मैंने बतलाया कि नियम जो आपने बनाये वह किस क्लाज के मुताबिक आपने बनाये ?

श्री अध्यक्ष—आप दोहराइये नहीं, संक्षेप में कहिये। बोलना अगर खत्म हो गया तो पूरा समय लेने की जरूरत नहीं है। याद्दाश्त को कुरेद करके आप नई बातें निकालना चाहते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—अन्त में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो आर्डिनेंस है, जिसको कि आप खुद कहते थे कि बदमजगी है, यह क्यों आया और उसके बाद जो जिला बोर्ड के संशोधित ऐक्ट के मुताबिक आपको जिम्मेदारी मिल गयी उसको आपने क्यों नहीं निभाया ? मैं इस आर्डिनेंस की मुखालिफत करता हूं और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेंस है....

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—जी हां, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस सिलसिले में निवेदन यह करना चाहता हूं कि आखिर विरोधी दलों ने या उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बहुत दिनों तक इस बात की आवाज बुलन्द की थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स समाप्त होने चाहिये उसका कारण क्या था। मेरा निवेदन यह है कि उसके तीन कारण थे। एक कारण यह था कि १९४८ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव हुआ तो बड़ा लिमिटेड फ्रेंचाइज था। जो लोग लगान लिया करते थे, जमींदार थे, मालगुजारी दिया करते थे केवल वही वोटर हो सकते थे। बालिग मताधिकार १९४८ में नहीं था। नतीजा उसका यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के जितने मतदाता हैं उनका एक बहुत छोटा सा अंश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रबंध में भाग ले सका और बहुत छोटे से अंश के प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहुंच सके। और आज भारत वर्ष का संविधान लागू हो जाने के बाद बालिग मताधिकार हो जाने के कारण यह बहुत बड़ा वर्ग जो अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रबंध में अपना मत नहीं दे सकता था वह वर्ग उत्सुक था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दोबारा चुनाव हों और वह भी अपना मतदान कर सकें।

दूसरा कारण, श्रीमन्, यह था कि १९०६ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट सब से पहले उत्तर प्रदेश में पास हुआ था। उसके बाद १९२२ में वह दोबारा पास हुआ था और उसके बाद उसके अमेंडमेंट होते गये और १९४८ में यह चुनाव हुआ। तो अन्दाज यह लगाया गया कि जो कन्सेप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का सन् १९०६ में था या जो कन्सेप्शन १९२२ में था उस कन्सेप्शन में और आज के लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के कन्सेप्शन में बड़ा भारी फर्क है। आज हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद, आज भारत का संविधान लागू होने के बाद, आज सरकार की ओर से और राजनीतिक दलों की ओर से बराबर यह मांग रही है कि मनुष्य की प्रतिष्ठा देश में स्थापित हो, इस सब के बाद देश का जो स्वरूप होगा उसमें स्वायत्त शासन संस्थाओं के कन्सेप्शन में आमूल परिवर्तन होगा। तो चूंकि ये अंग्रेजी जमाने के इंस्टीट्यूशंस थे इसलिये विरोधी दलों ने और इस प्रदेश की जनता ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दोबारा चुनाव होने की मांग की।

तीसरा कारण यह है कि मुझे सन् १९४८ में ही कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ने का मौका मिला था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४८ से सन् १९५८ तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे वे कांग्रेस वालों के हाथ में थे और कांग्रेस वाले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट थे। १९४८ में जब विरोधी दलों का निर्माण हुआ तब उनका शैशव काल था। आज वे काफी मजबूत हैं। इसलिये विरोधी दलों ने यह मांग की कि एक ही पार्टी के लोगों का आधिपत्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर क्यों रहे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन तीन कारणों से विरोधी दलों ने और प्रदेश की जनता ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का दोबारा चुनाव होने की मांग की। साथ ही साथ यह भी मांग की कि मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग कर दिये जायं। जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग करने का सवाल है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो यह बात मुनासिब नहीं है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का डिजोल्यूशन कर दिया जाय। मगर जैसा कि मैंने निवेदन किया, मेरी समझ में तो वे होल्ड ओवर कर रहे थे इसलिये वे ट्रेसपासर्स थे और उनको भंग करने की मांग की गयी। मगर उस भंग करने के बाद, अगर हम यह जानते कि मौजूदा अध्यादेश के जरिये से यह स्वरूप होगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि कभी इस बात की मांग न की जाती कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग कर दिये जायं। हम समझते थे कि हमको एक अच्छी चीज मिलेगी और खासतौर से स्वायत्त शासन मंत्रालय की तरफ से जो चीज जनता के सामने पेश हो वह पार्टीबाजी से अलग होनी चाहिये। मगर हमको इस बात का दुःख है कि आज का जो स्वायत्त शासन है वह फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही इस अध्यादेश द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ से कांग्रेस वालों के हाथ से लेकर दूसरी तरफ से उन्हीं को फिर दिया जा रहा है।

यही नहीं, बल्कि पहले तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही उनके हाथ में थे और प्लानिंग कमेटीज नहीं थीं लेकिन भंग करने का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस वालों के हाथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी दोनों दे दी गयीं। इसलिये यह कहना कि जनमत की कद्र करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपदस्थ करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया है, बिलकुल गलत है। हमारे जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बजट १४ लाख रुपये का होता था और प्लानिंग का १८ लाख रुपये का होता था। पहले कांग्रेस वाले १४ लाख रुपये को ही आपरेट करते थे, लेकिन अब ३२ लाख रुपये को आपरेट करते हैं। इसलिये यह कहना बिलकुल गलत है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कांग्रेस वालों के हाथ में थे इसलिये हमने इनको भंग कर दिया। मेरा निवेदन यह है और मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि मौजूदा आर्डिनेंस का स्वरूप इसीलिये ऐसा रखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जितनी ताकत थी उससे भी अधिक पहुंच जाय।

श्रीमन्, अब मैं सदन के सामने इसका दूसरा स्वरूप पेश करना चाहता हूं। आखिर अंतरिम जिला परिषदों का कांस्टीट्यूशन क्या है? इनका कांस्टीट्यूशन यह है कि ओल्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों में से ५ आदमी चुनकर आयेंगे। आखिर यह तो सब कोई जानते हैं कि जितने मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में हैं, वह सब के सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। हमारी इस सरकार ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि अंतरिम जिला परिषदों में कांग्रेस की शक्ति कम हो जाय। इसलिये इसको रखा गया कि जिससे इन पांच आदमियों में से सब के सब कांग्रेस के ही आयें और इसका नतीजा हुआ भी यही कि सारे उत्तर प्रदेश में इसके अनुसार ९५ प्रतिशत कांग्रेस के आदमी हैं। श्रीमन्, इसीलिये यह चीज रखी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जब आपकी प्लानिंग कमेटियों का निर्माण हुआ तो उनके सम्बन्ध में मेरा दावा है और मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। यह कोई पोलिटिकल ट्रूस की बात नहीं है बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्लानिंग कमेटियों में कांग्रेस के ही मेम्बर्स हैं। श्रीमन्, मेरा एक ऐतराज तो यह है कि हमारे यहां कम से कम नामिनेशन का प्रयोग न हो। हिन्दुस्तान में नामीनेशन का प्रयोग नहीं है तो हमारी सरकार यहां पर नामिनेशन करे तो यह ठीक नहीं मालूम पड़ता है। गवर्नमेन्ट नामिनेट करे यह तो अंग्रेजों की चाल थी, यह हमारी डेमोक्रेसी में फिट-इन नहीं होता है।

यह बात बिलकुल गलत है कि Democracy is the rule of majority। श्रीमन्, यदि इस सिद्धांत को हिन्दुस्तान में मान लिया गया तो हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की वही हालत होगी जो कि नाजियों के जमाने में जर्मनी की हालत थी। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस कन्सेप्शन को तब्दील कर के समझे कि डेमोक्रेसी के माने हैं कि "Democracy is the agreement by discussions" यानी

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

सरकार को यह सिद्धांत मानना चाहिये कि डेमोक्रेसी में विभिन्न दल ऐग्रीमेंट पर आयें डिसकशन के जरिये। यही हमारी डेमोक्रेसी का सही स्वरूप होगा। मेरा कहना यह है कि डेमोक्रेसी का लेटेस्ट स्वरूप यही है और मैजारिटी रूल वाला जो सिद्धांत है वह सही नहीं है। श्रीमन्, इस कसौटी पर कसते हुए यह चीज ठीक नहीं है कि प्लानिंग कमेटी में जितने नामजद हैं उनमें से ५ मेम्बर गवर्नमेन्ट के हों। यदि माननीय मंत्री जी जानना चाहेंगे या इस आदरणीय सदन के कोई सम्मानित सदस्य जानना चाहेंगे तो मैं एक-एक नाम उनके सामने पेश कर दूंगा और बतला सकूंगा कि प्लानिंग कमेटियों में जान बूझकर सारी की सारी ताकत कांग्रेस के हाथ में सुपुर्द करने के लिये उनको नामजद किया गया। जो मौजूदा अंतरिम जिला परिषदों का स्वरूप है तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि पांच मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले से मौजूद हैं, पांच नामिनेशन के हैं और बाकी अफसर भी इसके मेम्बर हैं।

श्रीमन्, जब प्लानिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो यह बात समझ में नहीं आई कि उसको प्रेसाइड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करे। यह बात तो समझ में आती है कि डिजोल्यूशन का राइट गवर्नमेन्ट के हाथ में हो, टेक ओवर का अख्तियार भी गवर्नमेन्ट के हाथ में हो, यह बात भी समझ में आती है। लेकिन जिस मीटिंग में पार्लियामेन्ट के मेम्बर हों, कौंसिल के मेम्बर हों और असेम्बली के मेम्बर हों, जो अपने-अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे, यह बात समझ में नहीं आती है।

मेरा कहना तो यह है कि १९०६ से लेकर १९१८ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की मीटिंगों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स प्रेसाइड किया करते थे, लेकिन १९२२ के बाद से आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि इस मीटिंग को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे। यह बात तो समझ में आती है कि डिप्टी कलेक्टर्स की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे, यह बात भी समझ में आती है कि ऐग्जीक्यूटिव के सदस्यों की कोई मीटिंग हो तो उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे। लेकिन जिस मीटिंग में पार्लियामेंट के मेम्बर्स बैठे हों, कौंसिल के मेम्बर्स बैठे हों, असेम्बली के मेम्बर्स बैठे हों, उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करे और असेम्बली तथा कौंसिल के मेम्बरों को मजबूर किया जाय कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसे समझें जैसे कि हम लोग इस आदरणीय सदन में श्रीमन्, को समझते हैं। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह डेमोक्रेसी की इंसल्ट है। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ज्यादा योग्य हो, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में ज्यादा काबलियत हो, लेकिन अगर जनतांत्रिक परम्परा की इस देश में स्थापना करनी है तो ब्यूरोक्रेसी को चुने हुए प्रतिनिधियों को नीचे रखना पड़ेगा, उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी को नहीं रखा जा सकता। इस सम्बन्ध में सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि १७ जून या उससे पहले जब अंतरिम जिला परिषद् की मीटिंग हुई तो केवल यह देख कर हमको वाक आउट करना पड़ा कि उस मीटिंग में तख्त के ऊपर तख्त, तख्त के ऊपर तख्त और उसके ऊपर कुर्सी थी। उस पर जिलाधीश विराजमान थे। बाकी हम सब लोग, एम०एल०एज० पार्लियामेंट के मेम्बर्स, नीचे बैठे हुए थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सदस्यों को कभी भी ऐसी छीछालेदर और जिल्लत देखनी पड़ेगी कि अगर जिला परिषद् में बैठें तो उस मीटिंग को प्रेसाइड करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि एक तो जितना आफिसर क्लास है, जो इस आर्डिनेंस के साथ पत्र संलग्न है, उसमें देखें, सबका सब बैठता है। मैं समझता हूं कि अगर इतनी आफिशलडम लादनी थी तो सब अफसरों को सुपुर्द कर देते। यह कहने से क्या फायदा है कि जनता के लोग बैठते हैं ?

मैं दो एक बातें कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये रिजर्वेशन था और किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन इसमें उनके लिये भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जब अंतरिम परिषद् बैठती है तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के सेफगार्ड के लिये कोई बात नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन

करूं कि अंतरिम जिला परिषद् के सदस्यों को मुआयना करने का भी अधिकार नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि अंतरिम जिला परिषद् के सदस्यों को जिला बोर्ड के सदस्यों की तरह मुआयना करने का अधिकार है। उनको अधिकार कैटिल पांड वगैरह का मुआयना करने का था। तो जिलाधीश ने कहा कि ऐसा कोई नियम हमारे पास नहीं है। माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को सोचें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों को इस बात का अधिकार था, वही सदस्य जिला अन्तरिम परिषद् में बैठते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह कह देते हैं कि हमारे पास कोई सरकार से हुक्म नहीं आया। प्रत्येक डाकूमेन्ट बिलकुल कांफीडेन्शल है, सदस्यों को नहीं दिखाया जा सकता। इस तरह का यह प्रतिक्रियावादी आर्डिनेन्स है, जब कि दस ग्यारह वर्ष हिन्दुस्तान की आजादी को हो गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सदन की इसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी अगर इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दिया।

**श्री अध्यक्ष**—श्री नवलकिशोर जी, अब आप बाद में भाषण आरम्भ करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री नवल किशोर** (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय प्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। जिस समय उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने कुछ हवाला दिया उस समय का जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडमेंट बिल यहां हाउस के सामने आया था। उन्होंने यह कहा कि उस समय स्वशासन मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह यह चाहते हैं कि वह संशोधन विधेयक जल्द से जल्द पास हो जाय ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चुनाव जल्दी हो जायं। उसके बाद उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया कि चुनाव नहीं हो सके और उसके बदले यह आर्डिनेन्स गवर्नमेंट ने इश्यू किया और माननीय मंत्री जी ने ऐसा करके इस हाउस का अपमान किया है।

श्रीमन्, मुझको बड़ा अफसोस अपने उन भाई की तकरीर सुनकर हुआ। जहां तक मेरी मालूमात हैं मैं इस बात को जनता हूं और इस बात को मानता भी हूं कि हाउस में जिस समय संशोधन विधेयक आया था उस समय यह मकसद सरकार का और माननीय मंत्री का था और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द चुनाव हों। मगर यह भी सही है कि मई के अन्दर जो तारीख पड़ती थी उसके लिये सभी दल के साथी यह चाहते थे कि उसमें चुनाव न हो। इसके साथ-साथ उनकी यह भी मांग थी कि जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, जिनकी अवधि १० साल की हो चुकी है, वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खत्म हो जायं। यों भी सरकार ने जो तौसीअ की थी वह ३० जून तक खत्म होने वाली थी। सरकार ने ३० जून तक इन्तजार करने के बजाय २९ अप्रैल को यहां से अपना एक आर्डिनेन्स ईशू किया जिसके मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खत्म किया। श्रीमन्, अगर शिकायत किसी को हो सकती थी तो वह कांग्रेस दल को हो सकती थी क्योंकि अभी उस तरफ से भी कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अन्दर कांग्रेस का बहुमत था और कांग्रेस दल के ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में प्रेसिडेंट थे। तो उस कांग्रेस के जिसकी वहां अक्सरियत थी सन् १९४८ से उन बोर्ड्स के लिये ३० जून तक कानूनी मियाद थी, सरकार ने उस समय का इन्तजार न करके उनको २९ अप्रैल को ही आर्डिनेन्स निकाल कर खत्म कर दिया। अच्छा यह होता कि २९ अप्रैल के बजाय यह अध्यादेश सरकार २९ जून को निकालती लेकिन उसने केवल विरोधी पक्ष को खुश करने के लिये जल्दी से यह काम किया। फिर भी मुझे अफसोस है कि इसके बावजूद भी उनको कोई न कोई शिकायत का मौका तो होना ही चाहिये। इसलिये उन्होंने इस मौके को शिकायत का मौका मानकर इस्तेमाल किया।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि आपने जो अन्तरिम परिषद् बनायी है उसके अन्दर जो सरकारी अफसर हैं उनको वोट का अधिकार नहीं दिया। ऐसा करने से उनको यह अन्देशा है कि हमने उनको ईक्वैल स्टेटस नहीं दिया उस से ही आफिशियल और नान आफिशियल की जो बराबरी होनी चाहिये उसमें गड़बड़ हुई। मैं यह समझता हूं कि सरकार जो कोई भी काम करती

[श्री नवलकिशोर]

है, उसकी टीकाटिप्पणी होती ही है और आगे भी जो काम होगा उसकी भी टीका टिप्पणी होगी। अगर अफसरों को राइट आफ वोट दे दिया जाता तो उसका भी हमारे भाई विरोध करते और यह कहते कि इन सरकारी अफसरों को आपने वोट का इसलिये हक दिया कि वह कांग्रेस के जो नुमाइन्दे हैं उनको एक्जिक्यटिव के अन्दर भेजें या और भी बहुत से मसलों पर जिनमें कांग्रेस के लोग कोई बात उठावें या कोई प्रस्ताव रखें तब अफसर उनकी मदद में अपना वोट दें। इसलिये सरकार ने इस बात में एहतियात बरती। सरकारी अफसरान को वहां बैठने का अधिकार तो है, जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के उनको वहां अपनी ओपीनियन देने का अधिकार है लेकिन अगर वहां किसी बात पर वोटिंग हो जाती है तो उनको वोट देने का अधिकार न होगा। यही सही बात थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं-कहीं सरकारी अफसरान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। मेरी जहां तक मालूमात हैं किसी जगह भी सरकारी अफसरान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अगर कहीं लिया हो तो मेरे भाइयों का फर्ज है कि वह उसकी शिकायत करें और मंत्री जी उसको देखेंगे, और उसकी जांच करेंगे।

मेरे एक साथी ने इस बात की शिकायत भी की, माननीय तिवारी जी ने, और घुमा फिरा कर कहा कि आप सारे अधिकार तो कांग्रेस वालों के हाथ में ही देना चाहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सही है। मैं तो कहूंगा कि यह बात बिलकुल बेबुनियाद और गलत है। लेकिन यह सही है कि अगर मैं उसको बेबुनियाद और गलत कहूंगा तो वे उसको बिलकुल बाबुनियाद और सही कहेंगे। तो यह एक ऐसा डेलीकेट मसला है कि जिसमें वह और हम कभी एक मत हो नहीं सकते। हमारे सभी कामों में उनको यह अन्देशा दिखलाई देता है कि हम कांग्रेसवालों के हाथों में ताकत पहुंचाते हैं और हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है। तो इसमें हम और वह एक राय नहीं हो सकते।

एक बात और, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से जिन पांच आदमियों को चुना गया उनके लिये बड़ी आपत्ति की गयी। सत्य यह था कि जब चुनाव टाल दिया गया और सरकार के दिमाग में यह बात आई कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्लानिंग कमेटी दोनों का सामंजस्य अगर किसी तरह से हो सके तो अच्छा हो तब उन्होंने जिला परिषद् नाम की एक चीज निकाली। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पहले से बने हुए थे और इसलिये उनकी कांटीन्यूइटी को मेन्टेन करने के लिये उन्होंने समझा कि अगर हम इनमें से पांच आदमियों को चुन कर भेज दें तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कहीं से तीन कांग्रेस के आये, कहीं से पांच, तो इसमें मैं नहीं समझता कि शिकायत की कौन सी बात हो सकती है ?

यह भी शिकायत हुई कि वहां अफसरान बहुत हैं। यह भी शिकायत हुई कि आपने बजाय डेमोक्रेटिक के उनका कॉंस्टीट्यूशन अनडेमोक्रेटिक बना दिया है क्योंकि नान-आफिशियल आदमी उसमें बहुत कम हैं। वहां जनता के चुने हुए नुमाइन्दे १० साल से थे। अगर उन में से पांच आदमी चुन कर सरकार ने भेज दिये तो बड़ा अनडेमोक्रेटिक हो गया और बड़ा पक्षपात हो गया, मेरी समझ में इस तरह की धारणा निर्मूल है।

हमारे भाई तिवारी जी ने बड़ी शिकायत की और कहा कि हमको अफसोस होता है और शर्म भी आती है कि हम जो एम० एल० एज० हैं, एम० पीज० हैं एम० एल० सीज० हैं, मीटिंग में बैठते हैं और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करता है। बात सही है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रेसाइड करता था। मान्यवर, दो भाई उधर से बोले और उनमें आपस में उस सम्बन्ध में कंट्राडिक्शन था। एक ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी पावर डेलीगेट कर रहा है वाइस प्रेसीडेंट के लिये जो पिछले १० साल का तानाशाह है, यद्यपि वह जनता का नुमाइन्दा है, उसको तमाम डिस्ट्रिक्ट ने चुना था। अगर उस नान-आफिशियल को पावर डेलीगेट की जाती है तो कहा जाता है कि वह तानाशाह है और अगर न करे तो हमको शर्म आती है कि हम एम० एल० एज हैं, एम० एल० सीज० हैं और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे ऊपर बैठता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किया जाय ?

यह एक बीच का समय यानी इन्टेरिम पीरियड है । हम चाहते हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी ताईद करेंगे कि यह इन्टेरिम पीरियड जितना कम से कम हो सके उतना हो । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हटाकर डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल का निर्माण किया गया । उसमें कुछ मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रखे गये और प्लानिंग कमेटी जैसी थी वैसी रखी गई । मैं समझता हूं कि जिला बोर्डों ने बड़ी खिदमत की है । जो लोग कहते हैं कि उन्होंने तानाशाही की, मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं । हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपने-अपने ढंग से सेवा की । लेकिन फिर भी जब आपने कहा कि उनकी जिन्दगी पूरी हो गयी है, वे तानाशाह हैं, उनको समाप्त किया जाय तो सरकार ने आपकी बात ही मानकर उनको खत्म किया ।

मेरे भाई ने यह भी आपत्ति की कि कौन से कानून से या किस खंड के अनुसार ये नियम बनाये गये हैं । मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि इसमें सेक्शन या क्लाज १५ आर्डिनेन्स का है जिसमें लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस सम्बन्ध में कानून बना सकती है । इसी के साथ-साथ माननीय गोविन्द नारायण ने डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई दी कि उसका हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी के माने यह नहीं है कि मेजारिटी की हुकूमत हो, डेमोक्रेसी के माने हैं कि आपस में बैठकर डिसकशन किया जाय । मैं निवेदन करता हूं कि अगर हम और सोशलिस्ट पार्टी के नेता बैठ जावें और महीनों तक बातचीत चले तो भी हम किसी मसले पर एक मत नहीं हो पावेंगे । इससे डेमोक्रेसी कभी चलने वाली नहीं है । चाहे डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, उसके कुछ मानी होते हैं, एक कन्टेक्स्ट होता है । वे राजनीतिक शब्द हैं । डेमोक्रेसी के माने यह जरूर हैं कि अपोजीशन की बात भी सुननी चाहिये, उसकी भी मान मर्यादा होनी चाहिये, मगर मेजारिटी की ही बात हमेशा मानी जायगी । वरना महीनों तक किसी बात पर एकमत नहीं हो सकेंगे तो क्या होगा ? प्रतापसिंह जी ने बहुत सी शिकायतें की, जो असल में कोई विशेष शिकायत की बातें थी नहीं केवल चूंकि संविधान में है कि आर्डिनेन्स के बाद जो उसका एनैक्टमेन्ट हो उसका विरोध किया जा सकता है केवल उस अधिकार का प्रयोग करने के लिये कुछ आपत्तियां उठाई हैं । उन्होंने यह भी कहा कि एक स्कूल कोई म्युनिसिपल बोर्ड में ट्रांसफर होने की बात थी, वह अब नहीं हो पा रहा है जहां ५१ जिले हैं जिनमें ५१ अन्तरिम जिला परिषद् काम कर रही हैं, उनमें प्रतापसिंह जी को कहीं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक स्कूल के ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और उसके लिये एक प्रस्ताव यहां पेश कर दिया ।

तिवारी जी ने जूनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट और सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट की बात कही । मैं समझता हूं कि यह बात कोई दूसरा कहता तो ठीक भी थी । जब आपने वाइस-प्रेसीडेन्ट को तानाशाह मान लिया तो आप क्यों चाहते हैं कि एक सीनियर तानाशाह हो और एक जूनियर तानाशाह हो ? एक बात मैं तिवारी जी की जरूर मानता हूं । मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि इन्टेरिम पीरियड में भी मैक्सिमम पावर्स डेलीगेट की जावें वाइस-प्रेसीडेन्ट के लिये, और जहां तक हो सके इस बात का कनवैन्शन बनना चाहिये कि हमारी इन कमेटीज पर वाइस-प्रेसीडेन्ट प्रिसाइड करे । लेकिन अगर भावना यह है कि वे तानाशाह हैं और वह भी १० साल के तानाशाह, तो मैं वह बदकिस्मती उनकी कहूं या किस की कहूं कि हमारे सूबे में बहुमत कांग्रेस का आया ? बहुत सी पार्टियों का तो सूबे में उस समय वजूद भी नहीं था । यह जो उनकी पिछले १० साल की दिमागी परेशानी रही है उसको दूर करना हमारे या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है । वह एक दिमागी परेशानी उनको चल रही है और वह चलेगी । मगर मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में जब कि सब दल इस मत के थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को खत्म किया जाय और सरकार के दिमाग में यह बात थी कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और प्लानिंग कमेटीज को मिला कर एक ऐसा ढांचा बनावें जिसमें हमारे सूबे में जो सामाजिक और आर्थिक विकास हो रहा है उसका ज्यादा उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधियों पर हो, तो कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि एक आर्डिनेन्स जारी करते । अब हमारे सामने उसके सम्बन्ध में एक विधेयक भी है । मैं समझता हूं कि जब वह आवे, उसमें हम अधिक समय खराब न करें और उसे जल्दी पास करें । मैं इस बात की भी मांग पेश करता हूं माननीय मंत्री जी के सामने कि जो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलों

[श्री नवल किशोर]

की एक फाइनल रूपरेखा है, उसका विधेयक भी जल्दी से जल्दी इस सदन में लावें । उसके बाद कोशिश इस बात की होनी चाहिये कि वह पास हो और चुनाव, जिसके लिये सब लोग बड़े इच्छुक हैं, जल्द से जल्द हमारे प्रदेश में हों । मुझे, श्रीमन्, इतना ही कहना है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय प्रतापसिंह जी के संकल्प का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और मैं इसके लिये उनको मुबारकबाद भी करता हूं कि उन्होंने इस अध्यादेश के हटाने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया है ।

श्रीमन्, एक अंग्रेजी की कहावत है कि इट इज नैवर टू लेट टू मेन्ड (It is never to late to mend), अगर दिनभर का भूला भटका शाम को भी अपने घर आ जावे तो उसे काफी विलम्ब नहीं कहा जाना चाहिये । मैं आपके द्वारा ५ अप्रैल का, आपकी इजाजत से, वह प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूं जिसको सोशलिस्ट पार्टी ने यहां रखा था । श्रीमन्, अफसोस है कि माननीय नवल किशोर जी ने वस्तुस्थिति और सत्य को सदन में नहीं रखा । उन्होंने कहा कि सभी विरोधी दल के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव न करने की मांग की । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके इस कथन की पुष्टि में न माननीय सम्पूर्णानन्द जी और न तो माननीय विचित्र नारायण जी ही खड़े हो सकते हैं । जब-जब सदन में आवश्यकता हुई, उन्होंने कहा है कि सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के ऐसी मांग सभी पार्टियों ने की है । सोशलिस्ट पार्टी ने कभी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव टालने की बात नहीं कही । सोशलिस्ट पार्टी ने कभी इस बात के लिये माननीय सम्पूर्णानन्द जी के या माननीय विचित्र नारायण जी के स्थान पर जाने की कोशिश नहीं की । क्यों ? क्योंकि हमारा दिमाग साफ है । १९४८ का चुनाव हुआ सीमित मताधिकार के आधार पर । बालिग मताधिकार उस समय नहीं था । हमने साफ-साफ कहा कि पुराने, सन् १९४८ के चुने हुए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स मर गये, अब उनकी लाश से दुर्गन्ध आ रही है, उसे उठा कर फेंक देना चाहिये । ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की अवधि को बढ़ाना नितान्त अनुचित और गैर जनतांत्रिक प्रणाली का द्योतक होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आप इस आर्डिनेंस का अनुमोदन करते हैं या अननुमोदन करते हैं इसी तक अपने को सीमित रखें और बातें कह कर आप वक्त बरबाद न करें ।

श्री राजनारायण---मैं अपने विषय पर आ रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि ५ अप्रैल को हमने एक कामरोको प्रस्ताव रखा और सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के और कोई पार्टी उसके समर्थन में खड़ी नहीं हुई । जब माननीय अध्यक्ष ने कहा कि जो इसका समर्थन करते हों वे खड़े होकर अपने समर्थन को प्रकट करें तो सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के न जाने क्यों कोई और दूसरी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी नहीं हुई । लेकिन हमें खुशी है कि इधर तीन महीनों में लोगों को अनुभव प्राप्त हुआ उससे प्रेरित होकर इस गैर जनतांत्रिक और अनुचित अध्यादेश को हटाने के लिये, उसका अननुमोदन करने के लिये माननीय प्रताप सिंह जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इसके लिये हम उनको बधाई देते हैं ।

अब, श्रीमन् मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह धपला क्यों ? यह सही है कि यह अध्यादेश अनुचित और जनतंत्र प्रणाली की पीठ में छुरा भोंकने वाला है । पुराने ढंग के जो गैर जन-तांत्रिक सिद्धान्त चले आ रहे थे, उनके बारे में जो अंदेशा लोगों को था, उनके जो काले कारनामे जनता के सामने थे, उनको हम अच्छी तरह समझ गये थे । लेकिन यह सरकार चाहती है कि पुरानी परम्परा कायम रहे केवल उसको नये रूप में परिवर्तित कर दिया जाय । दुनिया का इतिहास साक्षी है कि जब तानाशाही और पूंजीशाही सरकार किसी एक प्रकार की व्यवस्था को चला सकने में असमर्थ हो जाती है तो उस ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन करके, नये रूप में उसको लोगों के सामने रख कर लोगों को लुभावा दिया करती है । यह सरकार भी यही कर रही है । वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स जिनका ठहरना एक

सेंकिड के लिये भी अनुचित हो गया था, उन्हीं के बारे में ५ अप्रैल को हमने एक कामरोको प्रस्ताव रखा था। लेकिन पता नहीं क्यों और माननीय विरोधी दल के दूसरे सदस्यों ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश क्यों आया। और इस अध्यादेश के आने से लोगों में कैसी आस्था पैदा हुई है, उसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं। आजमगढ़ में पहला चुनाव सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से हुआ। उस चुनाव में तमाम विरोधी दलों के लोग आ गये। जिलाधीश को वह नतीजा मान्य नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ। दूसरे चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी के लोगों का बहुमत हो गया तब जिलाधीश ने भी उसको मान्यता प्रदान कर दी।

फैजाबाद में, जहां की बात, उपाध्यक्ष महोदय, आप अधिक जानते होंगे, माननीय सदस्यों का वोटिंग नहीं हुआ। बनारस की बात भी मैं कह देना चाहता हूं। बनारस में उसी २५ तारीख को कार्य समिति बनायी गयी। तमाम असेम्बली के मेम्बरान यहां थे। यहां कार्यवाही चल रही थी। मेरे पास २४ तारीख को पत्र आया कि जिन-जिन लोगों को कार्य-समिति में अपने नाम देने हों, २३ तारीख को दे दें। जब २३ तारीख बीत गयी तब लखनऊ में पत्र आता है। २३ तारीख को जब चुनाव था तो यहां विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी और असेम्बली के मेम्बरान यहां उपस्थित थे। जब आपको यह मालूम था तो फिर कार्यकारिणी बनाने का यह तमाशा क्यों किया गया?

इससे यह साफ जाहिर होता है कि वही पुरानी परम्परा को चलाने की साजिश हो रही है। मैं अकेले माननीय विचित्र नारायण जी को इसके लिये दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन वे सरकार की एक सड़ी गली व्यवस्था को ढोने के लिये जिम्मेदार हैं और उसकी जिम्मेदारी माननीय विचित्रनारायण जी ने अपने कंधे पर ले ली है और वे सड़ी गली व्यवस्था की लाश को अपने कंधों पर ढो रहे हैं।

इस प्रकार से अगर एक एक जिले का मैं वर्णन करने लगूं तो काफी समय लग सकता है। उन्नाव को ले लीजिये। वहां की जिला परिषद ने एक मत होकर फैसला किया कि स्कूल न तोड़े जायं। मगर उनके फैसले को अमान्य कर दिया गया और जिलाधीश ने अपने मत के अनुसार ४३ स्कूल तोड़ दिये और अनेक अध्यापक तथा १६ अध्यापिकाओं को निकाल दिया गया। यह क्या व्यवस्था है? क्या नियम है? क्या परिपाटी है? माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि अध्यादेश की धारा १५ को पढ़ लीजिये, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार नियम बना सकती है। जरूर लिखा हुआ है, हम इसको जानते हैं कि लिखा हुआ है, इसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो लिखा हुआ है उसी लिखावट के मुताबिक तो यह सारा अनर्थ हो रहा है। मैं इस बात की ताईद करने के लिये तैयार हूं कि जिस प्रकार से यह अध्यादेश जारी किया गया है, जिस प्रकार से इस अध्यादेश के मातहत कार्यवाही हुई है तमाम की तमाम जनतांत्रिक प्रणाली और परम्पराओं के विरुद्ध है। माननीय विचित्रनारायण जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज विभिन्न जिलों में जो कारनामें हुए हैं और हो रहे हैं उसको देखते हुए वे जरा इन नियमों को परखें। सही बात है कि आज से नहीं बल्कि सन् ४८ से यह बात चली आ रही है कि जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, १५ अगस्त मनाया जाता है, अगर वहां सरकार के मंत्रिगण में से कोई उपस्थित नहीं रहता तो उस दिन वहां का जिलाधीश सलामी लेता है। सोशलिस्ट पार्टी बराबर यह मांग करती रही है कि क्यों नहीं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वे कांग्रेस पार्टी के ही प्रतिनिधि क्यों न हों, सलामी लें। लेकिन आज भी नौकरशाही का प्रतीक जो जिलाधीश है वही सलामी लिया करता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर जिले का जिलाधीश एक छोटा गवर्नर है, मैं आपसे कहता हूं कि हर जिले का जिलाधीश एक बड़ा गवर्नर है। गवर्नर जितना उत्पात नहीं मचाता, गवर्नर जितना खुराफात नहीं करता उससे कहीं अधिक उत्पात और खुराफात ये जिलाधीश मचाते हैं। इस जिला परिषद द्वारा जनता की सारी ताकत निकाल-निकाल कर सरकार जिलाधीश के हाथ

[श्री राजनारायण]

में दे रही है और उसे बड़ा गवर्नर बना रही है। इसके साथ-साथ अध्यादेश में एक नियम यह भी लिखा हुआ है कि पुराने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यक्ष थे, उनको वे उपाध्यक्ष बनायेंगे, मैं पूछता हूं कि उनको उपाध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत। १० वर्ष तक उनके कारनामे को जिले की जनता ने और प्रदेश की जनता ने देखा है और उनके कारनामे तथा कार्यकलापों को देख कर हमारा यह दृढ़ और निश्चित मत हो गया है कि हर जिले का जिला अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रहा है वह तानाशाही प्रवृत्ति का रहा, बर्बर प्रवृत्ति का रहा है। फिर ऐसे लोगों को उपाध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत है ?

श्रीमन्, आपको भी व्यवहारिक ज्ञान होगा और आप इस बात को समझते होंगे कि जब सरकार जिलाधीश को कह देगी कि वह पावर डेलिगेट करे, तो क्या जिलाधीश की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वह उपाध्यक्ष को पावर डेलिगेट न करें ? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ से तमाम पावर्स डेलिगेट कर दिये जायेंगे, मास्टरों के ट्रांसफर का पावर उनको डेलिगेट कर दिया जायगा, स्कूलों के चलाने का पावर उनको डेलिगेट कर दिया जायगा, जो तूफानी व्यवस्था पहले चल रही थी वही तूफानी व्यवस्था फिर भी चलती रहेगी और उन्हीं उपाध्यक्ष द्वारा चलेगी। सरकार कह देगी कि हम क्या करें, हमने उनको पावर डेलिगेट कर दिया है।

श्रीमन्, बहुत दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इतने दिनों तक रह कर हमने राजनीति की शिक्षा ली और जितनी अच्छी मान्यताएं थीं जो हमने गांधी जी के जीवनकाल में प्राप्त कीं, आज हमने उन सबको भुला दिया है, सब को ठुकरा दिया है, सब पर लात मार दिया है और आज उसी गैरजनतांत्रिक कानून के द्वारा, एक बेहूदी तानाशाही के द्वारा सारे सूबे में तहलका मचा हुआ है। इसलिये श्रीमन्, इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं बहुत प्रसन्नता के साथ खड़ा हुआ हूं और यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि सोशलिस्ट पार्टी अपने उसूलों पर बिल्कुल खरी उतर रही है। जिस बात की हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक के भाषण के जरिये शुरुआत की थी और सदन के सामने कहना शुरू किया था, आज दूसरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी उसे मानते हैं और आज एक माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर सदन में आये कि उस अध्यादेश में जो व्यवस्था की गयी है, उनको निकाल देना चाहिये। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यहां जनतंत्र की बात उठायी और एक सही बात उठायी कि जनतंत्र में यह बात मानी गयी है। माननीय नवलकिशोर जी ने तो यह कहा कि राजनारायण जी के साथ तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं पूछता हूं कि यह सन्धि की बात किस लिये की जाती है अगर कांग्रेस सरकार इस बात को मानती है कि इसका हल कोई नहीं निकल सकता तो बेकार में बैठकर विचार करने से क्या फायदा है ? मैं समझता हूं कि अगर माननीय नवलकिशोर जी और माननीय सम्पूर्णानन्द जी का यही विचार है कि आपस में बैठ कर विचार करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा तो यह जनतंत्र पर कुठाराघात है, गरीबों पर कुठाराघात है, गरीब जनता से धन छीनकर तानाशाही और पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। डेमोक्रेसी का सेन्स क्या है, स्वतंत्रता का सेन्स क्या है ? इसी एक बात की व्याख्या मैं करना चाहूंगा। "स्व" माने स्वयं और "तंत्र" माने अधिकार के हैं। राजनारायण का "स्व" सम्पूर्णानन्द का "स्व" नहीं होगा। राजनारायण के "स्व" होंगे राजनारायण। त्रिलोकीसिंह जी के "स्व" विचित्रनारायण जी नहीं होंगे, स्वयं त्रिलोकीसिंह ही होंगे। स्वराज्य के माने हुए खुद का राज्य। अब राज्य को लेकर, जो राजनीति के विद्यार्थी होंगे, वे जानते होंगे को उसके अन्दर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आती है। हम चौखम्भा राज्य की बात करते हैं, एक केन्द्रीय सरकार, दूसरे सूबे की सरकार, फिर जिले की सरकार और चौथे गांव की सरकार। तो हमारा मतलब है कि डेमोक्रेसी जनता तक पहुंचे। एक गांव में एक हजार जनता है मगर वह प्रतिनिधियों द्वारा शासित होती है यह इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह होगी कि जितने देशवासी हैं वे सब

के सब शासन व्यवस्था चलाने में योग दें, विचार विनिमय करें, कायदे कानून बनायें, नियम उप नियम बनायें। माननीय विचित्रनारायण जी कह सकते हैं कि यह संभव नहीं है, ४० करोड़ आदमी एक स्थान पर कहां बैठ सकते हैं ? इसीलिये मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइज करो। आज जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर राज्य किया जाता है उसे विकेन्द्रित किया जाय। बाकी सब नौकर चाकर के द्वारा जो शासन होता है उनको भी राजा बनाओ। गांव पंचायतों को राजा बनाओ। माना कि ४० करोड़ एक जगह नहीं बैठ सकते मगर १,००० के बैठने का हाल बन सकता है, वे एक जगह बैठ कर विचार विनिमय कर सकते हैं, अपने गांव की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और, श्रीमन्, जब तक शासन व्यवस्था डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जरिये नहीं चलायी जायगी तब तक सही मानी में स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिये जब दुनियां में विश्वनागरिकता की हम बात करते हैं तब भी यही सवाल हम उपस्थित करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जितना दूर तक और जितनी तेजी के साथ चलाया जायगा उतना ही अच्छा शासन होगा, उतना ही अच्छा समाज बनेगा, उतनी ही अच्छी व्यवस्था होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सम्मानित सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमको एक मौका दिया और उस मौके को लेकर मैंने अपने पुराने उद्गारों को इस सदन के समक्ष रखा। अध्यादेश को लागू करना चुनावों को टालना है, जनतंत्र के गले पर छुरी चलाना है। लिहाजा जितनी कार्यवाहियां हुयी हैं सबको रद्द समझा जाय और पुनः बैठ कर, विचार विनिमय करके एक समुचित और सही व्यवस्था कायम की जाय।

**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दनारायण तिवारी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को यह विदित है कि जब जिला बोर्ड के चुनाव के बारे में इस हाउस के अन्दर विधान पास हुआ था उस समय कई एक सदस्यों ने विचार प्रकट करते हुए कहा कि जिला बोर्ड के चुनाव मई और जून में नहीं होने चाहिये। उस संबंध में मैं हाउस को यह बतला देना चाहता हूं कि बस्ती जिले के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से मिला और कहा कि वहां पर मेम्बरों की संख्या बहुत कम है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस समय चुनाव के मैदान में वे हैं इसलिये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ छेड़-छाड़ करने से समय लगेगा। श्रीमन्, उस समय माननीय मंत्री जी की क्या भावना थी, हाउस की क्या भावना थी इसको सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं, लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जैसा कि अभी हमारे साथी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि मैंने एक प्रस्ताव रखा था। अन्य पार्टियों ने उसका साथ नहीं दिया। केवल सोशलिस्ट पार्टी ने ही साथ दिया और अन्य पार्टी साथ में नहीं आयीं। इससे साफ है कि हर एक पार्टी चाहती थी कि बोर्ड का चुनाव न हो, उसको भंग किया जाय। अब अगर बोर्ड भंग किया जायगा तो जाहिर है कि आर्डिनेंस का लागू करना जरूरी है। जो अध्यादेश सरकार की तरफ से आया है उसका जो विरोध किया गया है, उसको अगर नाराजगी की नजर से न देखा जाय, तो मैं कहूंगा कि उसको दूरंदेशी से नहीं देखा गया है। यों तो सभी नारे महात्मा गांधी जी के बड़े जोरों के साथ लगाते हैं लेकिन कार्य रूप में कोई परिणत नहीं करता। मैं तो समझता हूं कि मेरे साथी चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हों, चाहे किसी और भी पार्टी के हों, जिस बात को कहते हैं उसको कार्यान्वित करने के लिये दृढ़ता से कभी तैयार नहीं रहते। आप सोच सकते हैं कि जो विधेयक अंतरिम जिला परिषद के लिये आने वाला है उसमें गांव समाज के सभापतियों का प्रतिनिधित्व रहेगा, जिला बोर्ड के सदस्य रहेंगे, असेम्बली के, काउन्सिल के सदस्य रहेंगे, संसद के सदस्य रहेंगे, कोआपरेटिव के सदस्य रहेंगे, लेबरों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। इससे सुन्दर और क्या हो सकता है ? लेकिन इसके लिये भी नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं। बनारस और उन्नाव के उदाहरण दिये जाते हैं और कहा जाता है कि जिलाधीश डिक्टेटर बन कर रहेगा। माननीय राजनारायण जी के सामने तो सारे संसार में डिक्टेटरशिप ही है.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि अंतरिम जिला परिषद में मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। तो क्या कोई सदस्य सदन में गलत सूचना दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप उसका खंडन कर दीजियेगा।

श्री धनुषधारी पांडेय---श्रीमन्, मैं क्या बताऊं मुझे अफसोस है कि अगर अध्यादेश पढ़े होते तो स्पष्ट हो जाता कि लेबरों का प्रतिनिधित्व रखा जायेगा, उसको कोआप्ट किया जा सकता है। वह कोई चुनाव प्रणाली से तो नहीं आयेगा। ऐसे सुन्दर अध्यादेश का विरोध किस माने में किया जाता है ? केवल पार्टी प्रचार के लिये, अपना अस्तित्व कायम करने के लिये? आप देखें देश के अन्दर जितनी परेशानी नहीं है उसको कई गुना बना कर प्रान्त के अन्दर तहलका मचाये हुए हैं। कहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कहीं सोशलिस्ट पार्टी, कहीं जनसंघ, नाना प्रकार का प्रपंच करके प्रान्त को तबाह करना चाहती हैं। मेरे जिले में सोशलिस्ट पार्टी ने घेरा डालो आन्दोलन शुरू किया, जनसंघ उसमें कूद पड़ा.....

श्री उपाध्यक्ष---विषयांतर हो रहा है। कृपया अध्यादेश पर ही बोलें।

श्री धनुषधारी पांडेय---श्रीमन्, राजनारायण जी ने बनारस की बात कही, मैंने उसका जवाब देना ठीक समझा। मैं कह रहा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी रहती है एक दूसरे को निकालने के लिये। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में बोलते हुए कहा था कि बस्ती जिले में बाजारों के अन्दर जाऊं तो ९९ फीसदी लोगों को फटे हालों.....

श्री उपाध्यक्ष---अध्यादेश पर ही आप कृपया बोलें।

श्री धनुषधारी पांडेय---मेरे कहने का मतलब है कि हर एक चीज यह लोग उल्टी निगाह से देखते हैं। मैंने कल लखनऊ में ताजियादारी के समय देखा कि औरतें रेशमी और बनारसी साड़ियाँ पहन कर आयी थीं। कोई फटे कपड़े पहने नहीं थीं.....

श्री उग्रसेन---माननीय सदस्य ने प्रपंच, शब्द का प्रयोग किया। तो क्या यह शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष---अगर किसी व्यक्ति के लिये कहते तो आप प्रश्न उठा सकते थे। लेकिन उन्होंने तो पार्टी के लिये कहा है।

श्री धनुषधारी पांडेय---मैं यह कह रहा था कि आजकल यह तो कोई देखता नहीं कि हमारे देश की क्या आवश्यकता है या अपने देश को कैसे चलाना है, केवल यह देखा जाता है कि हमें किस तरह से अपना उल्लू सीधा करना है चाहे पार्टी के सिद्धान्त कुछ भी हों देश कहां जा रहा है यह नहीं देखा जाता। इन शब्दों के साथ में फिर भी आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा कि यह जो इस अध्यादेश का विरोध है यह बिलकुल तत्वहीन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि इस तरह की बात से बुद्धि का ह्रास प्रदर्शित होता है। अगर शान्ति से बुद्धि का प्रयोग किया जाय और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से देखा जाय तो किसी को ऐसे सुन्दर अध्यादेश का विरोध करने का अवसर नहीं है और अगर कोई विरोध करता है तो समझ में नहीं आता कि फिर और कौन सा रास्ता हो सकता है। अगर बोर्ड को खत्म किया जाय तो जिले की शासन प्रणाली कैसे चलाई जाय, बोर्ड का काम कैसे चले, बोर्ड का सारा प्रबन्ध कैसे होगा, यह बड़ी भारी समस्या थी। रही जिलाधीश के अन्डर होने की बात, हम सब जानते हैं कि वह राजनीति से अलग हैं, एक स्वतन्त्र व्यक्ति हैं और सरकार के अधीन हैं, वह अवश्य ही सरकार के नियमों का पालन करेंगे, मैं यह नहीं समझता कि वह किस तरह से राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं या किसी पार्टी का साथ दे सकते हैं। अगर ऐसा होता तो किस तरह से कोई घेरा डाला जा सकता था और दो-दो दिन तक तहसीलदार को बन्द रखा

जा सकता था ? हम जानते हैं कि नौगढ़ तहसील के तहसीलदार को २४ घंटे बन्द रखा गया। तो कैसे कहा जाता है कि हमारे यहां गड़बड़ी हो रही है इसके लागू होने से। सभापति और उपसभापति से उसे संचालित करेंगे और बोर्ड के ५ मेम्बर संचालित करेंगे, कोआपरेटिव के सरपंच संचालित करेंगे ? इन सब बातों के साथ-साथ जो जिला अन्तरिम परिषद आयेगी तो क्यों न वह अच्छी चीज होगी ?

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव माननीय गोविन्द नारायण तिवारी और माननीय प्रताप सिंह जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि वह उसको वापस ले लेंगे।

**श्री राजनारायण**--श्रीमन्, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि मैंने बनारस के संबंध में घेरा डालने की बात नहीं कही। घेरा तो बस्ती में खलीलाबाद में पड़ा है और एक हफ्ते पूर्व बांस गांव में. . . . . .

**श्री उपाध्यक्ष**--बस, अब आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठें।

**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल द्वारा प्रसारित २९ अप्रैल के अध्यादेश के सम्बन्ध में जो अननुमोदन का प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले अभी पांडेय जी इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये बोल रहे थे, उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में यह कहा था कि इतने सुन्दर अध्यादेश का भी विरोध किया जा रहा है, विरोध करने वाले लोगों ने अपनी बुद्धि का परिचय नहीं दिया। हो सकता है कि ऐसा कहकर पांडेय जी ने अपनी बुद्धि का सुन्दरतम परिचय दे दिया हो लेकिन मैं उनको केवल एक ही बात बताऊंगा कि "स्वर्ण की जंजीर बांधे श्वान फिर भी श्वान है।" जनतंत्र में चुनकर आये हुये लोगों को जनता ने अपना अधिकार सौंपा है कि वे जनता की भावना को प्रदर्शित कर के यहां नियम और कानून बनायें। यदि हम इस प्रकार के अध्यादेश का समर्थन करते हैं तो सिवा इसके कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि स्वर्ण की जंजीर में बंधा स्वान फिर भी स्वान ही है।

इस आर्डिनेंस के निकलने के बाद जब इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर किया गया तो सन् ५७ की एक घटना मुझे याद आ गई। वह सैनिक क्रान्ति, जिसमें भारतीयों ने एक बार अपनी समस्त शक्ति लगाकर अंग्रेजी दासता को सदैव के लिये भारत से निकालने के लिये प्रयत्न किया था, भारतीयों द्वारा देहली के राज्य सिंहासन पर एक बार पुनः मुगल बादशाह बहादुरशाह को आसीन कर दिया गया था। सैनिक क्रान्ति के विफल हो जाने के बाद जबकि अंग्रेजों ने पुनः देहली पर अपना अधिकार कर लिया, सम्राट बहादुरशाह कैद कर लिये गये थे। सम्राट् बहादुर शाह के सामने भोजन करने के लिये एक थाल प्रस्तुत किया गया। जनरल हडसन की आज्ञानुसार कुछ कर्मचारी थाल लेकर बहादुरशाह के सामने आगे बढ़े और उनसे कहा गया कि भोजन कर लीजिये। जब उन थालों के ऊपर जो चद्दर ढकी हुई थी उसको उठाकर अलग किया गया तो देखा गया कि उस थाल में भोजन नहीं था बल्कि बहादुरशाह के तीनों शहजादों के सर रखे हुये थे। बहादुरशाह ने उस पर कोई शोक प्रकट नहीं किया। उसने कहा कि बहादुरों की यही गति होती है। बिल्कुल वही घटना इस अध्यादेश द्वारा प्रस्तुत की गयी क्योंकि जहां जनता जिला बोर्डों के चुनावों की तैयारी कर रही थी वहां इस अध्यादेश द्वारा चुनाव न करा कर जिला बोर्डों को सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया। १९५७ के अन्त से ही हम यह सुन रहे थे कि यू० पी० सरकार जिला बोर्डों को भंग करके उनके अधिकार जिला योजना समितियों को सुपुर्द करने जा रही है और यह कहा गया था कि एक जनवरी से ही ये जिला बोर्ड भंग कर दिये जायेंगे। जबकि समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार आये, सभी राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध किया कि यह जनतंत्र की हत्या है, जिला बोर्डों का चुनाव कराना चाहिये। जबतक नया कानून नहीं बन जाता तो पुराने कानून के मुताबिक ही जिला बोर्डों के चुनाव करा दिये जायं। हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने विरोधी पार्टियों के सभी नेताओं को आमंत्रित करके उनसे इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और उसके पश्चात् इस बात की घोषणा प्रसारित की कि विरोधी दल के नेताओं से विचार-विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया गया कि जिला बोर्डों

[श्री जगन्नाथ लहरी]

का इसी कानून के मुताबिक अन्तरिम समय के लिये चुनाव करा दिया जाय, फिर एक विस्तृत और संशोधित बिल विधान सभा में लाया जाय। उसी के मुताबिक ३ फरवरी से जबकि पुनः हमारा अधिवेशन यहां प्रारंभ हुआ, हमारी सरकार ने जिला बोर्डों का शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने के लिये एक संशोधित बिल पेश किया। उसमें साफ साफ-शब्दों में लिखा हुआ था कि मई में चुनाव कराने है, इसलिये चुनाव कानूनों में संविधान के मुताबिक चुनाव पद्धति में परिवर्तन होने के कारण कुछ आवश्यक संशोधन करना जरूरी है।

१४ फरवरी को इस सदन में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा जो संशोधित बिल पेश किया गया था, उस पर अपनी सहमति प्रकट करके पास कर दिया। ४ मार्च को विधान परिषद् द्वारा भी वह पास कर दिया गया। दोनों सदनों ने जब उस बिल को पास कर दिया, उसके बाद मई में चुनाव कराने थे। चुनाव कराने के सारे आदेश जिला चुनाव कार्यालयों में भेज भी दिये गये थे। इस बीच में एक घटना अवश्य हुई कि कुछ सदस्यों ने यह मांग की थी कि मई में गर्मी अधिक होती है, चुनाव मई में न कराये जायं, ऐसा एक सुझाव था। लेकिन जब हम अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचे तो विधान सभा की कार्यवाही पढ़ने के बाद क्षेत्रों की जनता अपने मेम्बरों का निर्वाचन करने के लिये तैयारी में जुटी हुई थी। ३० अप्रैल को एकाएक हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि २९ अप्रैल के एक अध्यादेश द्वारा राज्यपाल महोदय ने वर्तमान जिला बोर्डों को भंग कर दिया है। जिला बोर्डों को भंग करने के बाद अंतरिम जिला परिषदें स्थापित कर दी गयीं। इस तरह से अभी पांडेय जी ने यह जो कहा था कि मई में चुनाव न करने की मांग कुछ विरोधी सदस्यों ने भी की थी, यह सत्य है, लेकिन विरोधी सदस्यों ने यह नहीं कहा था कि सदैव के लिये जिला बोर्डों को समाप्त कर दिया जाय। इस अध्यादेश के द्वारा उनका नामो निशान मिटा दिया गया। अब उनका निर्वाचन कभी भी नहीं किया जायगा और अगर इसी अध्यादेश के आधार पर और किसी तरह का ऐक्ट बना तो यह निश्चित है कि सर्वसाधारण तथा आम जनता को बालिग मताधिकार द्वारा जिला परिषदों का चुनाव करने का अधिकार कभी भी नहीं मिल सकेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांडेय जी एक बार फिर इस अध्यादेश को पढ़ने की कृपा करें। श्रीमन्, अब मैं इस अध्यादेश का विरोध इसलिये करता हूं कि हम लोग जो आज इस विधान सभा के सदस्य हैं, हमसे पूर्व जो सदन यहां पर था वह ३१ मार्च ५७ को समाप्त कर दिया गया और १ अप्रैल ५७ से नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा इस नये सदन की रचना की गयी। ३१ मार्च को जो सदन समाप्त कर दिया गया था अगर अप्रैल में उस सदन के सदस्यों से कहा जाता कि आप वर्तमान सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन करें तो नव-निर्वाचित सदस्यों को कैसा मालूम पड़ता है? उदाहरण के लिये है। माननीय खेर साहब जो कि इस माननीय सदन के अध्यक्ष हैं हमसे पूर्व वाले सदन के भी माननीय अध्यक्ष थे। लेकिन ३१ मार्च को पूर्व सदन समाप्त हो जाने से नये सदन की रचना होने के कारण हम नवनिर्वाचित सदस्यों ने फिर से ८ अप्रैल को नये सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन किया और यह बड़े हर्ष की बात थी कि इस सदन ने पूर्व सदन के अध्यक्ष माननीय खेर साहब को ही अध्यक्ष चुना। लेकिन पूर्व विघटित सदन के सदस्यों को यह कतई अधिकार नहीं था कि वे इस सदन के अध्यक्ष को चुन सकते लेकिन वाह रे इस अध्यादेश की तारीफ करने वाले सदस्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि २९ अप्रैल को जिन जिला बोर्डों को एक अध्यादेश के द्वारा भंग कर दिया गया उन विघटित जिला बोर्डों को विघटन के बाद भी यह अधिकार कैसे प्राप्त हो गया, कि १५ मई को अपने मत से (सिंगल ट्रान्सफरेबिल वोट द्वारा) ५ सदस्यों का निर्वाचन कर के अन्तरिम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में भेज दें। २९ अप्रैल के अध्यादेश द्वारा जबकि जिला बोर्ड भंग हो चुके थे तो जिला बोर्ड के मेम्बरों को जिला बोर्ड का सदस्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं रहा। फिर जिला बोर्ड के सदस्यों ने किस प्रकार १५ मई के लगभग अपने सदस्यों में से ५ मेम्बरों का चुनाव किया? इस तरह से भंग हुये बोर्डों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन कराना बिल्कुल अवैधानिक है इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं।

दूसरी बात, श्रीमन् । जब कि २९ अप्रैल को जिला बोर्ड समाप्त हो गये तो चाहे वे जिला बोर्ड के सदस्य हों चाहे उसके अध्यक्ष हों, सभी समाप्त हो जाते हैं। उनको जिला बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष कहलाने का कोई अधिकार नहीं रहा। लेकिन इस अध्यादेश द्वा । हम देखते हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको जिला बोर्डों के अध्यक्षों के नाते अन्तरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष भी घोषित कर दिया गया और उनको वही पूर्व अधिकार देने के लिये एक षडयंत्र रचा गया कि जिलाधीश, जिनको अन्तरिम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का अध्यक्ष एप्वाइंट किया गया है वे अपनी पावर्स उन उपाध्यक्षों को डेलीगेट करें। इस प्रकार जिला बोर्ड भंग हो जाने के बाद भी वे उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हो गये और सारी पावर्स उनके हाथ में रही। भंग जिला बोर्डों के सदस्यों ने जो ५ मेम्बरों का निर्वाचन किया यह बिलकुल अवैधानिक है इसलिये मैं इस अध्यादेश का पूरे तौर पर विरोध करता हूं।

श्रीमन्, मुझे यह भी कहना है। अध्यादेश में लिखा है और प्लानिंग कमेटी का जो शेड्यूल दिया है उसमें लिखा है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी जिसमें जो सदस्य लिये जायेंगे उसमें ३ गैर सरकारी सदस्यों में से लिये जायेंगे तीन सदस्य एम० एल० एज़० और एम० पीज़० लिये जायेंगे आदि-आदि इसी तरह से तमाम सदस्यों को लिखा है। तो जहां पर प्लानिंग कमेटी के सदस्यों को उस शेड्यूल के मुताबिक अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य मनोनीत कर सकते हैं तो फिर पता नहीं कि एग्जीक्यूटिव कमेटी उस आधार पर क्यों नहीं बनायी जा सकती। अध्यादेश में एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी बनाने का जो विधान दिया गया है उसकी पूर्ण अवहेलना की गयी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के सामने सरकार ने एक सर्कुलर द्वारा यह आज्ञा भेजी कि इस अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों में से ७ सदस्यों का निर्वाचन करके एक एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी बनायेंगे। एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी बनाने के सम्बन्ध में हर जिले में तरह-तरह की भ्रांत धारणाएं रहीं। जैसा कि अभी एक साहब ने कहा, अभी बहुत जिलों में इसका चुनाव भी नहीं हुआ है। अभी लंच टाइम में जब मैं खाना खा रहा था तो एक कांग्रेसी भाई बहुत जल्दी में पहुंचे। मैंने पूछा कि जल्दी क्या है, तो उन्होंने कहा कि कल हमारे जिले की अन्तरिम कौंसिल की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी का चुनाव होने वाला है। वहां जाना है, कहीं चुनाव होने वाला है, कहीं चुनाव हो गया है और कहीं चुनाव नहीं हुआ है जबकि तीसरा महीना समाप्त हो रहा है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अध्यादेश के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी बननी थी तो फिर सात आदमियों की कमेटी क्यों बनाई गई। हम भी, श्रीमन्, कमेटियों का निर्वाचन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पांच आदमियों का निर्वाचन तो सिंगल ट्रांसफारेबिल वोट से होगा लेकिन इंटेरिम कौंसिल के चुनाव की सारी कार्यवाही हाथ उठाकर की जायगी वह भी बहुमत द्वारा। जब आगरा की इंटेरिम कौंसिल के लिये ए जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरों के निर्वाचन का समय आया तो हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि आप निर्वाचन गुप्त मतप्रणाली से करा लीजिये। लेकिन जिलाधीश ने कहा कि इस अध्यादेश में गुप्त मतदान की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ साधारण बहुमत के आधार पर निर्वाचन किया जायगा और वह भी हाथ उठाकर आपको वोट देने पड़ेंगे, जब कि छोटी-छोटी कमेटियों का निर्वाचन करते समय यहां पर गुप्त मतदान प्रणाली का सहारा लिया जाता है।

गांव पंचायतों में जहां कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है वहां आजकल गांव-गांव पार्टीबंदियों के अखाड़े बन गये हैं। एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गये हैं। जिस किसी ने विरोध में हाथ उठा दिया वही बस दुश्मन हो जाता है। वही प्रत्यक्ष प्रणाली आपस में लड़ाने के लिये इस अध्यादेश के द्वारा अपनाई जा रही है जिससे हमारे जिला परिषद् भी पार्टीबंदी के अखाड़े बन जायेंगे और सरकार यह कह सकेगी कि जनता के जन प्रतिनिधियों के हाथ में जिला परिषदों का शासन दिया गया था लेकिन उनसे उसका काम नहीं चल सका और उनकी वजह से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती इसलिये उसे भंग करके सारे अधिकार फिर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में दे देने चाहिये।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जहां तक जनतंत्र प्रणाली का सम्बन्ध था उसमें निर्वाचन द्वारा किसी प्रतिनिधि को अध्यक्ष न बनाकर इस अध्यादेश के मुताबिक गवर्नमेन्ट के हाथ में अधिकार दिया गया है; आज जनतंत्र की स्थापना हो चुकी है लेकिन नौकरशाही अपने हथकंडों को छोड़ती नहीं है। नौकरशाही इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि शासन की सारी सत्ता नौकरशाही के हाथ में ही आ जाय। अध्यादेश इस बात का प्रमाण है कि नौकरशाही एक बार पुनः जनतंत्र की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिये प्रयत्नशील है और उसने इस चीज को सिद्ध करके दिखा दिया है। इससे बढ़कर जनतंत्र की और हार नहीं हो सकती है। जनतंत्र की रक्षा के लिये और जनता को अधिकार देने के लिये मैं मांग करता हूं कि हमें आदरणीय प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये और जनतंत्र की रक्षा के लिये अपनी भावना का प्रदर्शन करना चाहिये। तभी जनतंत्र के लिये कुछ कार्य हो सकेगा अन्यथा नौकरशाही हमें जकड़ने के लिये बढ़ती चली जा रही है और हो सकता है कि जनतंत्र को खत्म करके नौकरशाही की हुकूमत भारत में भी कायम हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रतापसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अध्यादेश का विरोध करता हूं।

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--उपाध्यक्ष महोदय, जब पहले रोज मुझे इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि छपी हुई मिली तो उसमें जो त्रुटि हो गई थी, उस जगह नहीं लिखी गई थी। मैंने उसे पढ़ा और अपने साथी से कहा कि यह भी परम्परा कायम होने जा रही है कि अगर विरोधी दल किसी बात को कहे और सरकार उसको स्वीकार कर ले तो इतना भी साहस होता है कि वह ऐसा प्रस्ताव भी सरकार के समर्थन में रख दें।

(व्यवधान)

लेकिन जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उस दिन दोपहर के बाद यह घोषणा की कि बजाय उसका समर्थन करने के उसकी मुखालिफत में यह प्रस्ताव है तो मुझे बड़ा दुख हुआ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं, शब्द दुर्भाग्य ही कह सकता हूं कि चाहे जितनी ही नेकनीयती से, कितना ही अच्छा काम करना चाहें लेकिन उससे कुछ असर नहीं पड़ता। सही भी गलत है, और गलत तो गलत है ही। विशेषतया जिन सज्जनों ने उस प्रस्ताव को रखा, सभी से बातचीत हुई, अध्यादेश के जारी होने से पहले सभी इस बात से सहमत थे, सबकी इच्छा थी कि जिला बोर्डों के चुनाव नहीं में न किये जायं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हमारा नाम लेते जायेंगे, अगर मेरे विषय में कहें।

श्री रामस्वरूप यादव--जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उनके संबंध में कह रहा हूं। वह प्रस्तावक नहीं हैं।

यही नहीं, बहुत से दलों के तो नेताओं ने भी इस बात को लिख कर दिया और कहा कि हम सहर्ष लिख कर देंगे कि जिला बोर्ड के चुनाव न किये जायं। कुछ ने इस सदन में भी अन्य विषयों पर बोलते हुये कहा कि जिला बोर्ड के चुनाव नहीं होने चाहिये।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, हम इस बात.....

श्री रामस्वरूप यादव--मैं पूरी बात कह लूं। अब मैं सोशलिस्ट पार्टी के बारे में एक निवेदन करूं। जहां तक माननीय राजनारायणसिंह जी का संबंध है, मैंने जब वह बोल रहे थे तो इस बात का इशारा भी किया था। उनकी मांग थी कि या तो जिला बोर्ड खत्म किये जायं या चुनाव कराया जाय।

श्री राजनारायण--जिला बोर्ड खत्म किये जायं और चुनाव कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय राजनारायण जी से कहूंगा कि बार-बार टोकना अच्छा नहीं है।

**श्री रामस्वरूप यादव**--मैंने माननीय राजनारायण सिंह जी का जिक्र इसलिये कर दिया कि उनको उत्सुकता अधिक थी, इस बात के कहने के ज्यादा इच्छुक थे कि अध्यादेश उनकी इच्छा के विरुद्ध था। उनकी इच्छा थी कि बोर्ड भंग किये जायं या उसमें चुनाव जल्दी कराया जाय।

**श्री राजनारायण**--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी सेवा में हमने पांच अप्रैल को कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जिसमें बिलकुल निश्चित है कि चुनाव न बढ़े अथवा चुनाव कराया जाय और मई में कराया जाय। इस बात को जानते हुये भी कि पिछली सदन की कार्यवाही में यह सब बातें हैं। उसके बाद भी सदन को गुमराह करने के लिये, इन दि आई आफ दि हाउस, (सदन के समक्ष)

**श्री उपाध्यक्ष**--क्या कहा उन्होंने।

**श्री राजनारायण**--उन्होंने यह कहा कि माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि या तो चुनाव करा दिया जाय या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि 'या' नहीं है मेरा तात्पर्य 'और' है अर्थात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग कर दिया जाय और चुनाव कराया जाय। लेकिन सदन को गुमराह करने के लिये और हमारे ऊपर लांछन लगाने के लिये यह जो कहा जा रहा है मैं इस पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं, इसके लिये मैं आपको नोटिस देता हूं। चूंकि हाउस के सामने कार्यवाही हुई है, इन दि आई आफ दि हाउस हुई है इसलिये आप इसको पहले ले लें।

**श्री उपाध्यक्ष**--मैं जानना चाहता हूं कि आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न।

**श्री राजनारायण**--व्यवस्था के प्रश्न पर ही हमने यह कहा कि एक माननीय सदस्य के बार-बार कहने पर भी विशेषाधिकार की अवहेलना कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। उनको आप मना कर दें तो ठीक है क्योंकि मैं बारीकियों में, टेक्निकैलिटीज में जाकर किसी को गिराना नहीं चाहता।

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**--श्रीमन्, मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, श्री राजनारायण जी से। उन्होंने कहा कि 'या' का शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि 'और' था। 'भंग कर दिया जाय और चुनाव हो जायं।' लेकिन अगर बदकिस्मती से सदन की यह राय हो कि चुनाव न कराये जायं तो उनकी राय में सड़े गले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम रखे जायं? यह मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं।

**श्री राजनारायण**--अब मैं स्पष्ट क्या करूंगा? वह कामरोको प्रस्ताव ५ अप्रैल का है।

**श्री उपाध्यक्ष**--जो जवाब उन्होंने पूछा है उसको अपनी भाषा में बतला दीजिये।

**श्री राजनारायण**--एक बार नहीं, तीन बार, चार-बार माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग को लिखित और स्पष्ट यह कह दिया गया था कि चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होना चाहिये। हमारे लिये 'अगर' की बात नहीं थी। हम तो अपने मत पर निश्चित थे। नवम्बर में हमने चिट्ठी भेजी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग किया जाय और अविलम्ब चुनाव कराये जायं। तब फरवरी में चुनाव की बात हुई और फिर मार्च में हुई और उसके बाद मई की बात हुई। हम इसके लिये तैयार थे क्योंकि हम तो गरमी में रहने वाले लोग हैं। आप चाहें शीतल सुगंध समीर में नैनीताल जाकर रहते हों लेकिन हम तो यहां गरमी में काम करने वाले हैं। इसलिये हमने कहा था कि गरमी में चाहे ग्रामीण जनता को कष्ट हो लेकिन चुनाव हो जाय।

श्रीराम स्वरूप यादव--मेरा लान्छन का प्रश्न नहीं था लेकिन जैसा मैं समझता था और अब भी मेरी यह राय है कि राजनारायण जी का यह मन्शा था कि बोर्ड अविलम्ब भंग कर दिये जायं, उसी सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने राजनारायण जी की इच्छा को पूरा किया है । सरकार का यह इरादा था कि जो बोर्ड ३० जून तक बढ़ाये गये हैं उनको उस समय खत्म किया जाय । जब यह मांग देखी कि सबकी इच्छा है कि उनको खत्म कर दिया जाय तो उसी के अनुसार उस वक्त से तैयारी शुरू कर दी । माननीय मुख्य मंत्री ने ३ अप्रैल को घोषणा की । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस घोषणा के बाद सभी ने मेजें पीटी थीं । सरकार भी यह समझती थी कि आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं । इसके स्वागत न करने का प्रश्न सामने नहीं आया । उस घोषणा के बाद कामरोको प्रस्ताव जरूर आया । इसमें कोई बात नहीं है । सरकार ने २९ अप्रैल को बोर्डस् को खत्म कर दिया । इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह बात सही है कि पी० एस० पी० के विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह की अवश्य यह यह राय नहीं थी कि बोर्डस् को भंग किया जाय लेकिन मुझे दारुलशफा में रहने की वजह से बहुत से सदस्यों से मिलने का अवसर मिलता है तो उनकी पार्टी के बहुत से सदस्यों ने कहा था और यह राय थी कि चुनाव नहीं होने चाहिये । वह खुल्लमखुल्ला नहीं कहते थे लेकिन उनकी ऐसी राय थी । उन्होंने कहा था कि उनके नेता की ऐसी राय है इस वजह से वे खुल्लमखुल्ला कहने के लिये तैयार नहीं हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिये और बोर्ड भंग होने चाहिये ।

आज इस बात को देखकर कि इसका इतना विरोध हो रहा है मेरे दिमाग में यह बात आई, हो सकता है यह सही हो या गलत, कि अगर कार्यकारिणी का चुनाव नहीं होता इस प्रस्ताव के पहले तो मैं समझता हूं कि कोई शिकायत नहीं करता । हो सकता है यह मेरा भ्रम हो लेकिन मैं ऐसा समझता हूं । क्या शासन कोई ऐसा कानून बना सकता है कि जो बहुमत को अल्पमत में कर दे ? उस घोषणा को माननीय मुख्य मंत्री ने इतना स्पष्ट कर दिया था कि जिसको सब जानते हैं । जितने सदस्य उसमें थे उनके अतिरिक्त ५ सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से आयेंगे । इसमें कोई खास बात नहीं थी । ५ सदस्यों के चुनाव का तरीका भी सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से रखा गया था, जिससे ऐसी पार्टी, जो काफी अल्पमत में हैं और जिनके कुछ भी प्रतिनिधि हैं, वह भी उसमें भेज दें । अगर इसके बावजूद भी शिकायत है कि उन चुने हुये प्रतिनिधियों को क्यों लिया गया तो यह बड़े दुख का विषय हो सकता है । मैं यह समझता हूं कि आज जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष और जिला बोर्डों का स्वागत किया गया है वह उनकी प्रतिष्ठा के लिये अच्छा नहीं है । सरकार ने उनको तानाशाही समझकर या सड़ी गली लाश समझकर खत्म नहीं किया । सरकार का यह वायदा था कि उसमें संशोधन करके बाद में चुनाव करायेंगे परन्तु किसी कारण से हमारा वह ऐक्ट बन नहीं सका । इसलिये देर हुई । कई दफा साफ तौर पर स्वीकार किया गया कि हमसे कुछ देर हुई है । इस वजह से यह सोचा गया कि छोटा सा अमेंडमेंट लाकर उसमें एडल्ट फ्रेन्चाइज से जल्दी चुनाव करा दिया जाय. . . . . .

दुर्भाग्य से कई कारण थे । उन दिनों बजट चल रहा था और वह बिल इसलिये समय से पास नहीं हो सका । वह बिल मार्च में पास हुआ जब कि यह संभव नहीं था कि मई में चुनाव कराये जा सकें । लेकिन जिला बोर्ड के वह अध्यक्ष जिनका समाज में स्थान था, जिनके पीछे त्याग था, जो बुजुर्ग थे और सन् ४८ के जो चुने हुये व्यक्ति थे, जो अध्यक्ष बनाये गये थे, वह डाइरेक्ट चुनाव से आये थे, इन्डाइरेक्ट चुनाव से नहीं । हां, उस वक्त एडल्ट फ्रेन्चाइज नहीं था, लेकिन जिला बोर्ड का एक प्रतिनिधि जो डाइरेक्ट चुनाव से आया हो, जिसका महत्व हो, जो १० साल आपकी सेवा करता है, उसे सड़ी हुई लाश, या तानाशाह कहकर बुलाया जाय, यह तो हमारे लिये एक दुख का विषय है । उसने कार्य किया है । इस सदन के बहुत से सदस्य जिला बोर्ड के सदस्य होंगे । उनका भी संबंध रहा होगा, उन्होंने भी उस के कार्य को देखा होगा । बहुत से चेयरमैन भी होंगे, शायद कांग्रेस पार्टी के न हों, क्योंकि बीच में विचारधारायें बदलीं, अपने-अपने संगठनों में लोगों ने तब्दीली की, लेकिन काम उन्होंने किया, यह सही है । सन् १९४८

के बाद स्कूलों की मांग बढ़ी और उनका अधिकार है स्कूल खुलवाने का । नदी की पुलिया हो या नाले की, उसको बनाने का कर्त्तव्य जिला बोर्ड का है और उसमें उन्होंने हाथ बटाया । उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके पास रुपया थोड़ा था, आय थोड़ी थी, प्रापर्टी टैक्स लगाने का उनको अधिकार नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अपनी यूनियनों में प्रस्ताव पास किये और शासन को लिख कर भेजा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और बोर्ड को आप ले लें। वह सेवा करने के इच्छुक थे और उन्होंने सेवा की । सड़कों पर आप कहीं चले जाइये, वह चाहे कच्ची हों या पक्की, रास्ते चाहे अच्छे न हों, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने स्कूल भी बनवाये हैं और अस्पताल भी । नियोजन की जितनी योजनाएं हैं उन सबमें उन्होंने सहयोग किया है। ग्राम सभाओं में उन्होंने हिस्सा लिया और प्रशासन ने अपनी जगह पर अपना काम किया । क्या उनको हम सड़ी गली लाश कह कर एक तरफ फेंक दें ? मैं समझता हूं कि सरकार का कभी यह मंशा नहीं था कि जिला बोर्ड खराब हो चुके हैं इसलिये खत्म किये जायं । जिला बोर्डों ने जितना सराहनीय कार्य किया है उसके लिये प्रस्तासव तो इस रूप में आना चाहिये था कि हम उन भूतपूर्व जिला बोर्डों का आदर करते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूं कि इस समय १५०० या १,६०० आदमियों को इसमें नाराज करने की बात है और यह बात शासन के विचार करने की है । विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि उनमें अधिकतर कांग्रेस के सदस्य थे । तो अगर हम इन १,५०० कांग्रेसमैनों को नाराज करने की बात करते हैं तो वह किसके फायदे की चीज है ? इसमें तो विरोधी दल का फायदा ही है । इसका तो उन्हें विरोध नहीं करना चाहिये ।

जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है यह तो बड़ा इनोसेंट लेजिस्लेशन है। माननीय नवल किशोर जी ने जिला मैजिस्ट्रेट के प्रेसाइड करने के बारे में काफी कह दिया है, लेकिन वह कमेटी एडवाइजरी थी । अब स्थिति क्या है कि वही कमेटी एक अन्तरिम जिला परिषद् बन गई तो वह स्टैचुअरी बाडी हो गई । इस इनोसेंट लेजिस्लेशन को अगर सोचा जाता है कि इसमें सरकार की ओर से उदारता नहीं बरती गई तो आश्चर्य है सरकार इसके लिये तैयार है कि जो रुपया केन्द्र से मिलता है उसको इस स्टैचुअरी बाडी के हाथ में दे दे । उधर तो कहा जाता है कि जिला मैजिस्ट्रेट को आप अधिकार दिये चले जाते हैं और इधर यह भी कहा जाता है कि आप उपाध्यक्ष को अधिकार देने की बात करते हैं । मैं साफ कर देता हूं कि आदेश इस बात के नहीं हैं । स्पष्टीकरण भेजा गया था अधिकार दिये जाने का कि अगर उनके पास काम ज्यादा हो और अगर वह उपाध्यक्ष पर विश्वास करते हों तो, कार्य को चलाने के लिये उसको वे अधिकार दे सकते हैं । यह बात समझ में नहीं आई कि जिलाधीश को अधिकार देना बुरा है, लेकिन अगर जिलाधीश ने किसी चुने हुये आदमी को अधिकार दे दिये तो वह भी बुरा हो गया ? एक तरह से उसको गिराया और प्रेसीडेंट को उठाकर उपाध्यक्ष बनाया । इस पर कहा यह जाता है कि तानाशाही को अधिकार दिये जा रहे हैं । यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि अध्यादेश को ऐसा बनाया जाय कि उससे दिये अधिकार प्रजातंत्र के प्रिन्सिपिल्स के खिलाफ हों । सरकार ने नामीनेशन कहीं किया है ? जो पुरानी नियोजन समितियां थीं, वे बुरी थीं, ऐसा पहले कभी भी जिक्र नहीं किया गया । हमने उसी नियोजन समिति को जिला परिषद् का रूप देकर स्थायी कर दिया है । कुछ भ्रम ही मालूम होता है क्योंकि जिला बोर्ड की कार्यकारिणी के ३ सदस्य पहले ही बहुमत से चुने जाते थे । इधर धारा ५६ में भी यही कहा गया है कि कार्यकारिणी के सदस्य बहुमत से चुने जायेंगे । लेकिन वहां पर, क्योंकि विरोधीदल के सदस्य बहुमत में नहीं आ सके हैं इसलिये अध्यादेश के विरोध का प्रश्न उठाया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

## श्री रामस्वरूप यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) – उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामस्वरूप जी ने जो गलत बयानी की है उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा। इसकी मैं आपको सूचना दिये देता हूं।

## उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ के अननुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)

**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापसिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे बड़ा दुख इस बात का है, जैसा कि माननीय रामस्वरूप यादव जी ने बतलाया कि सभी पार्टियों के लोग इस बात पर सहमत थे कि बोर्ड को भंग कर दिया जाय और चुनाव न कराया जाय । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सभी पार्टियां इस बात पर सहमत थीं कि मई और जून में चुनाव न कराया जाय, जो सरकार चुनाव टाल कर यह कहलाना चाहती थी । सरकार की मंशा यह थी कि मई और जून के महीनों में अगर चुनाव रख दिये जायेंगे तो विरोधी पार्टियां मजबूर हो जायेंगी और कहेंगी कि गरमी में चुनाव न कराया जाय, लेकिन माननीय यादव जी ने अधूरी बात कही है । आज उन्होंने जिस तरह से सही बात छिपाया है, इसका मुझे बड़ा दुःख है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि विरोधी पार्टियों के लोग इस बात पर राजी हुये थे कि गरमी में चुनाव न हो, उसके बाद चुनाव हो और माननीय मंत्री जी ने अक्तूबर और नवम्बर में चुनाव कराये जाने का आश्वासन भी दिया था । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में इसलिये संशोधन किया गया और ३-४ रोज तक उसी संशोधन को लेकर हाउस में बहस हुई और उस पर काफी रुपया खर्च हुआ । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई करें कि जब बोर्ड भंग ही करने थे और अन्तरिम जिला परिषदें बनानी थीं तो उस संशोधन के करने की क्या आवश्यकता थी? सदन का जो इस प्रकार से लास किया गया, उसकी क्या आवश्यकता थी ? फिर विरोधी पार्टियों पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है ।

माननीय यादव जी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अन्तरिम जिला परिषद् के एक्जीक्यूटिव में ज्यादा आ गये हैं इसलिये आर्डिनेन्स का विरोध किया जा रहा है । जब वे हम पर इस तरह का चार्ज लगाते हैं तो मैं भी उन पर चार्ज लगाता हूं कि जब कौंसिल (अपर हाउस) के चुनाव होने वाले थे तो सरकार अपने दल विशेष के हित को देखते हुये इस बात पर राजी नहीं हो रही थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया जाय और विरोधी पार्टी के लोग हमेशा मांग कर रहे थे कि बोर्डों को भंग कर दिया जाय । तब सरकार ने नहीं माना यह इसलिये कि तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस दल बहुमत से कौंसिल में चुन कर आ जायगा इसलिये उन्होंने बोर्ड्स को भंग नहीं किया । जब १३ अप्रैल को चुनाव हो गये तो २९ अप्रैल को अध्यादेश जारी करके बोर्डों को भंग कर दिया गया । यह कौन सी ईमानदारी और सच्चाई की बात है ?

माननीय नवल किशोर जी कहते हैं कि उपाध्यक्ष, जो चुने गये हैं, वह जनता द्वारा चुने गये थे । जब बोर्डों को भंग कर दिया गया तो भूतपूर्व मेम्बरों में से मेम्बर चुने जाने का क्या अधिकार रह जाता है ? जब बोर्ड भंग हो गया तो किसी भी मेम्बर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने में से चुन कर अन्तरिम जिला परिषद् के लिये मेम्बर भेजे । मैं इसकी भी सफाई चाहता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने जनतंत्र की बड़ी दुहाई दी । शर्मा जी जनतंत्र के हामी बनते हैं । बोर्ड्स का चुनाव सन् १९४८ में हुआ था । लेकिन सन् १९४८ में १० प्रतिशत जनता को वोट देने का अधिकार था । जब से हमारा संविधान लागू हुआ है और जिस संविधान के मातहत पूरी तरह से दो बार असेम्बली और पार्लियामेंट का चुनाव हो चुका है तो कौन सी वजह है कि उसी संविधान के मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव नहीं हो सका ? क्या हम यह सरकार की चालाकी समझें कि उसने यह रवैया बोर्ड में अपनी दलगत स्थिति को कायम रखने के लिये अख्तियार किया ? हमारी सरकार की यह नीति थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग न किये जांय और मन माने तरीके से १० प्रतिशत के चुने हुये लोगों से जनता के ऊपर शासन कराया जाय ।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और ऐसे प्रतिनिधि कि, जिनकी कोई दुकान नहीं है, सौदा नहीं है, जो न किसी किस्म का रोजगार करते हैं, उन पर भी वे (प्रतिनिधि)

मनमाने तरीके से टैक्स लगाते हैं । उनसे जनता ऊब चुकी है और हमसे सरकार कहती है कि हम उनके इस अध्यादेश का स्वागत करें । आपने जो तरीका बनाया है । अध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया, उसकी हैसियत बढ़ाई और कलेक्टर को जो पावर्स थीं वे उसको दे दीं, यह कहां का न्याय है ? जब ऐसा होता है तभी राजनारायण जी कहते हैं कि यह सड़ी लाश है। मैं भी कहता हूं कि यह सड़ी लाश है ।

माननीय यादव जी ने कहा कि २ साल तक जिला कौंसिलों का चुनाव नहीं होगा । बाद में उन्होंने सफाई दी कि डेढ़ साल तक नहीं होगा। यह तो वह कहते हैं उनके ऊपर कैबिनेट भी तो है, लेकिन मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि यह लोग, १९६२ तक भी चुनावों को नहीं करायेंगे। सब लोग देखेंगे कि जिला परिषदों का चुनाव सन् १९६२ से पहले न होगा और सरकार जनता को इसी घपले में डालकर तबाह और बरबाद करेगी। जब माननीय मंत्री जी जनतंत्र के हामी हैं तब यह चीजें चालू क्यों हैं ? यह बात माननीय मंत्री जी की समझ में नहीं आती । जब वे कहते हैं कि सभी विरोधी पार्टियों ने इसको मान लिया था, विरोधी पार्टी के लोग राजी थे कि बरसात के बाद चुनाव कराया जाय, फिर यह अध्यादेश जारी क्यों किया गया ? इसलिये जो प्रस्ताव माननीय प्रतापसिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

हमारे एक भाई धनुषधारी जी ने बहुत कुछ कहा । मैं समझता हूं कि उन्होंने भी चार्ज लगाया कि दलगत स्थिति को मजबूत करने के लिये, विरोधी पार्टियों को जो प्रोपेगेंडा करना चाहिये था वह किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी और उनके दल के लोग अपने दिल और छाती पर हाथ रखकर सोचें कि कौंसिल के चुनावों के लिये यह तिकड़म की गई या नहीं ? जो असल बात है उसको तो मंजूर कर ही लेना चाहिये । हम तो जो सही बात है उसी का समर्थन करेंगे और जो गलत बात है उसके खिलाफ लड़ेंगे और कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो विरोध में भाषण हुआ है उसका विरोध करता हूं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनतंत्र के नाम पर जनता को आशा दिलाना और उसको अधिकार देने के नाम पर बरगला देना आसान बात है, लेकिन जन कार्यों को सम्भालना और जनतंत्र को कामयाब बनाना एक मुश्किल और कठोर काम है । मान्यवर, हमारे सामने सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उदाहरण मौजूद हैं कि इस विशाल देश में, एक सूबे में उस दल के लोगों को भी कुछ दिनों तक शासन करने का मौका मिला जिस दल के माननीय सदस्य की ओर से यह प्रस्ताव आया है । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दल की गवर्नमेंट सामने क्या उस थोड़े से समय में जिसको हम सबसे घृणित कार्य कहते हैं निर्दोष जनता के ऊपर गोली चलाने का वक्त नहीं आया ? क्या ट्रांवनकोर–कोचीन की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट ने गोली नहीं चलाई थी ? दूसरा उदाहरण मैं अपने पूर्व वक्ता के उस दल का लेता हूं जो अभी-अभी बोल कर बैठे हैं । वह कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट का है, जो आज केरल में शासन कर रही है । उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो अखबार हमारे सामने आ रहे हैं, उन अखबारों की खबरों से प्रत्यक्ष है कि जन-कार्य को चलाना या जनतंत्र को सफल बनाना कितना कठिन कार्य है । विद्यार्थियों के सबसे बड़े हिमायती कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को भी ऐसा मौका आ गया कि वह विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलावें । हम सब इस बात को मानते हैं कि यह बुरा काम है, घृणित कार्य है, नहीं होना चाहिये, लेकिन यह ऐसा उदाहरण है जो हमारी बुद्धि का विकास करता है और हमको यह नसीहत देता है कि हम केवल जनतंत्र के नाम पर, जनतंत्र के नारे पर ऐसी बातें न करें। अगर मुझे क्षमा करें तो मैं कहूंगा कि मेरे विरोधी दल के भाई राज्य सत्ता हस्तान्तरण करने के लिये इस प्रकार की बातें जो कि एक प्रकार से असम्भव हैं, कठिन हैं, मुश्किल हैं, न कहें तो अच्छा है। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि माननीय लहरी जी जो यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने अध्यादेश के नाम पर सन् १८५७ की क्रान्ति की बात कही। इसके अलावा इस जनतंत्र के आधार पर इस चुने हुये माननीय सदन में माननीय

[श्री महीलाल]

तिवारी जी ने जर्मनी की क्रान्ति की बात कही । मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और बड़ा दुख भी हो रहा था । आज इस सदन में यह बात कही जाय उस माननीय सदस्य के द्वारा जो कि वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना गया हो और उस सरकार के लिये यह बात कहे जो बिलकुल जनतांत्रिक ढंग पर निर्मित हुई हो । मान्यवर, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो इस सदन के लिये शोभा नहीं देती । कहा गया कि श्वान के जंजीर बांध दी जाय तो श्वान ही रहेगा । बात ठीक है, लेकिन क्या यह मिसाल शोभा देती है जैसे मैं कहूं खर के चन्दन लपेट दिया जाय तो खर ही रहेगा । यह सब न मुझे शोभा देता है और न उन्हें ही शोभा देता है ।

छोटा सा अध्यादेश हमारे सामने आया । किन कठिनाइयों के मातहत आया यह सब माननीय सदस्य जानते हैं । यह बात सही है कि उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों, हम सब इस बात पर एक मत थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का चुनाव होना चाहिये । सरकार उसके लिये बिलकुल तैयार थी । लेकिन यह भी अपनी जगह सच है, चाहे इस समय हम बदल जायं कि, उस समय गरमी में चुनाव कराने के लिये भले ही सोशलिस्ट पार्टी ने उसमें अपना सहयोग न दिया हो, लेकिन करीब करीब सभी दल इस बात के लिये एक मत थे कि गर्मियों में चुनाव नहीं होने चाहिये । ऐसी स्थिति में आखिर क्या हो सकता था ?

इसके अतिरिक्त आज यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक समय से इस सरकार के विचाराधीन था कि जिला स्तर पर इस तरह की शक्ति जनप्रतिनिधियों को दी जाय जैसी कि माननीय राजनारायण जी चौखम्भा राज्य के जरिये चाहते हैं । मैं राजनारायण जी से खासतौर से निवेदन करूंगा कि वे विचारें और बतायें कि जब वह एक मिनट के लिये तैयार नहीं थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बर्दाश्त करने के लिये और इसके लिये भी तैयार नहीं थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव कराये जायें, सरकारी दल के ही नहीं बल्कि विरोधी दल के लोग भी इसके लिये तैयार नहीं थे, तो उस समय फिर और क्या हो सकता था ? कौन सा उपाय ऐसा हो सकता था जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी खत्म हो जायं, चुनाव भी न कराया जाय और जन-कार्य भी सुचारु रूप से चलता रहे ? मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना, लेकिन किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि जब सरकार के सामने यह प्रश्न था तो ऐसे समय में क्या होना चाहिये था ? जिम्मेदारी प्रस्तावक महोदय की आती थी, अनुमोदक महोदय की आती थी या सबसे बड़े समर्थक माननीय राजनारायण जी की आती थी इनको अपनी स्पीच में यह बताना चाहिये था और स्पष्टरूप से बताना चाहिये था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को कायम रखना चाहिये था, यह कहते कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खत्म करके यह रूप होना चाहिये था ।

मैं अधिक न कह कर खास-खास बातें जो प्रस्तावक महोदय और अनुमोदक महोदय ने कही हैं उनका उत्तर दे देना चाहता हूं । माननीय राजनारायण जी ने तो शुरू से आखीर तक अपने चौखम्भे राज्य, सोशलिस्ट पार्टी के उसूलों और सिद्धान्तों की बात ही कही है । उन्होंने क्या कहा, उनके दल ने क्या कहा, उनका सारा भाषण इसी से सम्बन्धित था । कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं कही जिसके विरोध में या समर्थन में मैं कुछ कह सकूं ।

माननीय तिवारी जी ने यह आपत्ति उठाई कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने दल को सत्ता में रखने के लिये यह सब किया है । मान्यवर, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का यदि कांग्रेस सरकार अपने दल को सत्ता में रखना चाहती तो जैसा कि माननीय रामस्वरूप यादव जी ने कहा और माननीय तिवारी जी ने भी माना कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करीब-करीब तमाम सूबे में कांग्रेस के हाथ में थे और कांग्रेस के लोग ही प्रेसीडेंट और सदस्य थे जिससे एक सम्मानित व शक्ति के स्थान उनके हाथ में थे । सरकार के मन में यदि किसी प्रकार की दुर्भावना होती, जैसा कि आरोप विरोधी दलों के सदस्यों ने लगाया, तो सरकार उसको टाल सकती थी और जब कि विरोधी दल की तरफ से मांग आ गई थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एलेक्शन इस वक्त न कराया जाय तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जिन्दा रखा जा सकता था । इस बात से यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अपने दल की परवाह नहीं की और उनको भंग कर ही

दिया। होना तो यह चाहिये था कि इस कार्य पर विरोधी दल की ओर से बधाई आती। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ऐसी छोटी सी बात पर केवल एक प्रोपेगेन्डे के लिये इस तरह का प्रस्ताव लाया गया और जनतंन्त्र की दुहाई देकर सदन का एक दिन खराब किया गया। मान्यवर, अब एक बात यह भी कही जाती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट को वाइस प्रेसीडेंट बनाया गया। कोई नई घोषणा नहीं की थी, नियोजन समितियां ज्यों की त्यों थी। नियोजन समितियों में कुछ प्रतिनिधित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया गया और नियोजन समितियों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट उपाध्यक्ष होता था। कोई नई शक्ति कांग्रेस के प्रेसीडेंटों को नहीं दी गई है इस अध्यादेश के द्वारा। आपत्ति यदि आप लाते तो इस बात पर ला सकते थे कि नियोजन समितियां भंग की जातीं, उनका पुनर्निर्माण होता। लेकिन आपने नियोजन समितियों को अपने स्थान पर माना और नियोजन समितियों के चुनाव और उनके निर्माण पर आपने कोई आलोचना नहीं की।

(इस समय ३ बज कर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और माननीय प्रस्तावक महोदय ने भी नियोजन समितियों को नहीं छुआ कि इनमें यह बुराई है या वे गैर-जनतांत्रिक हैं, उसी नियोजन समिति में ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट वाइस प्रेसीडेंट होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो बातें आज उन्होंने सदन के सामने रखी हैं मैं समझता हूं वे सभी सारहीन हैं।

दूसरी बात नामांकन की है। हो सकता है मुझसे भूल हो। वह तो उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिये हैं जो सुपरसीडेड थे या जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं थे। उन जिलों के लिये जिलाधीश को अधिकार दिया गया है कि यह दो सदस्यों का नामांकन कर सकता है।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा स्थिति यह थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भंग किये जायं और उनका चुनाव कराया जाय तो मैं समझता हूं इससे अच्छा कदम दूसरा और हो नहीं सकता था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शक्ति उन जिला नियोजन समितियों को दे दी जाय जिन नियोजन समितियों को विरोधी दलों के सदस्यों ने भी मान्यता प्रदान की है और उसका प्रमाण यही है कि जितने भी सज्जन इस प्रस्ताव के पक्ष में बोले किसी ने भी नियोजन समितियों के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं की।

अब जहां तक जिलाधीश के प्रेसीडेंट बनने का प्रश्न है, ठीक है सैद्धान्तिक रूप में आप कह सकते हैं कि यह गैर-जनतांत्रिक तरीका है। लेकिन आप जानते हैं कि यह कितने समय के लिये है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने छुट्टी से पहले दिन यह आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी ही जिला परिषदों का चुनाव कराने वाले हैं, यह हमारा एक नया प्रयोग है और इसको सफल बनाने के लिये विरोधी दलों के सहयोग की भी आवश्यकता है। एक प्रयोगात्मक ढंग से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शक्ति नियोजन समितियों को देकर यह नई अन्तरिम जिला परिषदें बनाई गई हैं, जिसका मूल विधेयक हमारे सामने, जैसी कि हम आशा करते हैं और माननीय नेता सदन ने आश्वासन भी दिया है, बहुत जल्दी हमारे सामने आने की है। उस वक्त इन प्रश्नों को उठा सकते थे और इन पर विचार हो सकता था। जहां जिलाधीश को अध्यक्ष बनाने का प्रश्न था, उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न था या नामिनेशन का प्रश्न था यह जनतंत्र के नाम पर आप उस समय कह सकते हैं। मुझे तो यह सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। तकरीरों से जाहिर होता था और ऐसा मालूम होता था कि जनतंत्र में केवल वही विश्वास करते हैं कि जो इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं या जो इसके समर्थक हैं या जिन्हें यह पसन्द है और बाकी यह सरकार या इसके दल के जो और माननीय सदस्य हैं वे जनतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। मुझे तो खासतौर से लहरी जी से शिकायत है कि उन जैसे जिम्मेदार आदमी को जो, जनतंत्र के नाम पर यहां चुन कर के आये हैं और जिनको जनतन्त्र में विश्वास भी है वह यह भी जानते हैं कि इधर यह सरकार जनतन्त्र के आधार पर ही बनी है फिर भी उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो उनके लिये शोभा नहीं देती थीं और उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो श्री प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर का अनुगृहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का अवसर आपने हमें प्रदान किया। इस प्रस्ताव पर कुछ कहने के पहले मैं आप से यह आज्ञा चाहता हूं कि आप से यह निवेदन करूं कि इस सदन के वाद विवाद में हिस्सा लेने में मैं कुछ अपने लिये कठिनाई पाता हूं। इस सदन के अपने कुछ नियम हैं, कुछ प्रथाएं हैं, संविधान है किन्तु सदा यह शिकायत की जाती है कि इधर के बैठने वाले सिद्धान्त को भूल जाते हैं और बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं देते। अभी थोड़े दिन की बात है इसी सत्र की, राज्यपाल के सम्बोधन पर जो शुक्रिया का प्रस्ताव आया था उस में एक तरमीम मैंने पेश की भी थी। प्रत्यक्ष रूप से मैं समझता था कि मुझे तरमीम के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ कहना चाहिये लेकिन शिकायत यह की गई कि तरमीम के बाहर किसी बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करने के लिये क्षमा चाहूंगा कि जो सदन के जो नियम हैं उनके अन्दर अगर हम रहें या जो हमारी मान्य प्रथाएं हैं उनका अनुसरण करें तो कोई शिकायत का मौका नहीं होना चाहिये। यह कहा गया कि चूंकि आर्डिनेंस जारी किया गया और चूंकि आर्डिनेंस को अस्वीकार करने का एक अधिकार संविधान में दिया है लिहाजा ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन मान्यवर, इस सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि पिछले सत्र के समाप्त होने और इस सत्र के बीच में ५ आर्डिनेंस आये, उनमें से ४ के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया केवल एक के बारे में प्रस्ताव आया तो उस पर कहा गया कि महज विरोध की दृष्टि से यह लाया गया है। अगर ऐसी बात होती तो प्रस्ताव एक के विरुद्ध ही क्यों लाया गया, वह पांचों के खिलाफ आता। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाकयात सही बात को जाहिर कर रहे हैं। अब मैं आपकी इजाजत से संविधान की धारा २१३ के दो शब्द 'लेजिस्लेटिव पावर आफ गवर्नर' पढ़ना चाहता हूं कि—

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session or where there is a Legislative Council in a State, except when both the Houses of the Legislature are in session."

'इफ एट एनी टाइम' पर मेरा आग्रह है। इसके अनुसार केवल ऐसे समय पर आर्डिनेंस जारी किया जा सकता है जब कि विधान मंडल का सत्र न चल रहा हो। फिर यह बात तसलीम की गई है उस तरफ से कि सरकार को जब पिछला सत्र चल रहा था इस बात का ज्ञान था कि वह जल्द ही ऐसा करने जा रही है,

मान्यवर, मैं यह भी बता दूं कि यह आर्डिनेंस मे किंग पावर जो कांस्टीटयूशन में है वह पुराने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट का करीब-करीब लफ्ज बलफ्ज रिप्रोडक्शन है, वही शब्दावली है। राज्यपाल, जिनमें स्टेट की एक्जिक्यूटिव अथारिटी वेस्ट करती है उनको अपना काम कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सलाह से करना है। जब तक कि कांस्टीटयूशन सस्पेंडेड न हो तब तक बगैर कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की सलाह के वह काम करें यह उनको डिस्क्रिशन नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करना है। यदि मंत्रिमंडल को ज्ञान था कि बिना आर्डिनेंस के काम नहीं चल सकता और उस समय ज्ञान था जब कि विधान मंडल का पिछला सत्र चल रहा था, तो फिर 'ऐट एनी टाइम' इत्यादि जो तीन-चार शब्द हैं उसमें, उसके अन्तर्गत यह कोई एम्रीजियेंसी नहीं थी, इतना लाजिमी नहीं था कि वह इस आर्डिनेंस को निकालते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकारों का दुरुपयोग किया गया, जिसके लिये कोई माकूल वजह सरकार की तरफ से न किसी बयान में शाया की गयी, न आज इस आदरणीय सदन में कही गयी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सरकार की मानी हुई नीति है और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि इस सरकार की आलोचना करूं—अपने उसूल और सिद्धान्त से नहीं जो मेरे खुद हैं या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हैं जिससे मेरा सम्बन्ध है, बल्कि जो वर्तमान सरकार है, जिसकी अपनी पालिसी है, अपना बजट है, अपना यह विधेयक है।

उसकी क्या नीति है ? उसकी नीति है विकेन्द्रीकरण की--राज्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण की। संसार के इतिहास में जहां-जहां एक राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ ऐसी मिसाल कम देखने में मिलेगी कि असरकारी व्यक्तियों के हाथ में जो काम हो उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए बीच में एक आफिशियल रेजीम आ जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुने हुए थे। मुझे कुछ माननीय सदस्यों की राय से इत्तफाक न करने में दुःख है। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे, चाहे जैसे थे, लेकिन चुने हुए थे। उनका एक अपना स्थान था, एक अस्तित्व था। मैं यह मानता हूं और पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि किसी भी चुने हुए आदमी को जो जनता द्वारा चुना गया है, मैं किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर तरजीह देता हूं। तो चुने हुए जो काम थे, अस्पताल का काम था, जन-स्वास्थ्य का, पाठशाला, एजूकेशन और सड़कों का, आज वह असरकारी हाथों से निकलकर सरकारी हाथों में दे दिया गया है, इस बहाने और इस हेतु कि आगे चल कर गैर-सरकारी आदमियों के अधिकारों की वृद्धि की जायगी। यह एक नया तजुर्बा है डिसेंट्रलाइजेशन में। इस प्रदेश में भी मान्यवर, गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९१९ के अनुसार मिनिस्टरियां बनीं, उसमें कुछ हिस्सा रिजर्व सबजेक्ट था और कुछ ट्रांस्फर्ड सब्जेक्ट। जब सन् १९३५ का ऐक्ट बना जिसके अनुसार सारे सब्जेक्ट्स ट्रांस्फर्ड हो गये, सिवाय डिस्क्रिशनरी फंकशन और इंडिवीजुअल जजमेंट के, तो पुरानी असेम्बली बनी, कौंसिल बनी। उस वक्त यह नहीं हुआ कि इस बीच के समय में लाट साहब की शखसी हुकूमत रहेगी। उस वक्त पूरे प्रदेश की हुकूमत थी, यहां तो सिर्फ जिले का मामला है। इन कबाल टाउन्स का क्या हुआ ? इसलिए कि उनके अधिकारों में वृद्धि करना चाहते हैं, एक-एक ऐडमिनिस्ट्रेटर उनके सर पर बैठा दिया गया।

मेरे माननीय दोस्त समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि महात्मा जी ने कहा था कि जिला मैजिस्ट्रेट जो जिलाधीश के नाम से पुकारे जाते हैं, ये तो गवर्नर हैं जिला के। उन्होंने यही नहीं, यह कहा था कि वह मिनिएचर वाइसराय हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जिला मैजिस्ट्रेट नाम का कोई अधिकारी नहीं है।

यह सरकार खुद मानती है। बार-बार कहा गया है, अनेक बयानों में बताया गया है कि जिला मैजिस्ट्रेट के पास काम बहुत है। बल्कि उनकी सहायता के लिए ए० डी० एम० भी रखे गये हैं। लखनऊ में तो एक ए० डी० एम० एग्जिक्युटिव का, एक जुडिशियरी का, एक प्लानिंग का और एक फालतू, ४ ए० डी० एम्स० महज हैं। उनके पास काम बहुत है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वह अधिकारी है, जो चीख रहे हैं कि उनके पास काम बहुत है, काम करने का मौका नहीं है, समय नहीं है, वे सरकारी आदेशों को पढ़ नहीं पाते हैं, सरकारी नियमों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक और बोझ लाद दिया गया। मैं नहीं समझता हूं कि कैसे यह आशा की जाती है कि इस प्रकार से जो विकेन्द्रीकरण की नीयत है, जो लक्ष्य है वह पूरा हो सकता है, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कौंसिल बनीं किन क्षेत्रों के लिये ? देहात के लिये। शहर से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेम्बर कितने हैं शहर के ? बदकिस्मती से मैं भी उन्हीं लोगों में हूं जो आज कल शहर की नुमाइन्दगी कर रहा हूं। मैं भी जिला कौंसिल में पहुंच गया। बहुत से मेम्बरों को--मैं अपने लखनऊ जिले की बात कहता हूं--लखनऊ जिले का उत्तर पूर्व, पश्चिम ही नहीं मालूम। तय हुआ कि यह स्कूल खोला जाय, यह सड़क निकाली जाय, वे कहते हैं कि यह सड़क है कहां। अगर मैं कह दूं कि मुगलसराय के पास है तो यकीन मानिये कि ५ मिनट के लिये वे मान भी जायंगे कि मुगलसराय के पास है। जब ये जिला कौंसिल देहात के क्षेत्रों के लिये हैं तो उनमें ऐसे लोगों को जो देहात की नुमाइन्दगी नहीं करते हैं, जो महज शहर के नुमाइन्दे हैं क्यों शरीक किया गया ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती, असंगत मालूम होती है।

कुछ सरकारी अधिकारियों की बात कही गयी। मेरा वास्ता सरकारी अधिकारियों से जब से मैं बालिग हुआ और कांग्रेस में शरीक हुआ और पहली सजा काटी उस वक्त से

[श्री त्रिलोकीसिंह]

शुरू हुआ, लेकिन कभी मेरा इन सरकारी अधिकारियों से झगड़ा नहीं रहा और हमेशा उनमें से बहुतेरों से--यह मेरा सौभाग्य है--मेरी मैत्री रही और वे मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी करते हैं, लेकिन एक आदमी को बिठालिये और उसके बाद उसको राय देने का हक भी न हो यह है क्या चीज ? किसी को बुलाइये, किसी का मश्विरा लीजिये, विशेषतौर पर बुला सकते हैं, जैसा कि पुराने ऐक्ट में था, लेकिन उनको मेम्बर बना कर और उनका मश्विरा लेकर और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है उस काम को पूरा करने की, उसके बाद वे राय न दें यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं इस मत का हूं कि ऐसी संस्थाओं में जैसे कि अन्तरिम जिला परिषद् बने हैं या आगे बनाने की योजना है, सरकारी आदमियों का कोई एसोसियेशन नहीं होना चाहिये। इससे बदमजगी फैलेगी और आपस के ताल्लुकात खराब होंगे। मैं उसे एक बहुत खतरे की बात समझता हूं।

एक बात मैं और अर्ज करूं, मान्यवर, कि प्लानिंग कमेटी का क्या कार्य था। वह तो सरकार की अपनी जमात थी। जो सरकारी अहकामात जाते थे, पैसा जाता था, जो सरकार की नीति थी उसी के अनुसार वह काम करती थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड क्या था ? उसके अपने क्षेत्र में मुकम्मल अधिकार थे। आज वे अधिकार कम कर दिये गये। एक धारा इस आर्डिनेन्स में है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि सभापति, यानी जिला मैजिस्ट्रेट जो सरकार द्वारा मनोनीत होगा, वह किसी निर्णय से असहमत हो तो वह उसको रोक दे। मैंने ऐसा एक्जीक्यूटिव हेड कहीं नहीं देखा कि बहुमत से कोई फैसला हो और सदर साहब को यह अधिकार दिया जाय कि वह उस फैसले को अमल में लाने से रोक दे और उसे सरकार के पास भेज दें। यह भी एक आपस में झगड़ा बढ़ाने वाली बात है। यदि वे सदर हैं और सरकार ने इस बात की इजाजत दी है तो जो अधिकार अन्तरिम जिला परिषद् के हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उस सभापति का नहीं होना चाहिये और न सरकार का होना चाहिये।

मैं एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में भी यह निवेदन करूंगा कि जिला के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उसकी एक सीमा है। ज्यादातर यह है कि जनहित में हो बल्कि शब्द पब्लिक आर्डर है। यहां क्या है ? किसी प्रस्ताव को चाहे रोक दें। तो इस अध्यादेश के द्वारा जो अधिकार प्राप्त थे इस प्रदेश की जनता को, वे कम कर दिये गये, उनको मिटा दिया गया और मिटाया भी बहुत भोंडे और भद्दे तरीके से गया, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अजनतांत्रिक ढंग से। जो संविधान की मंशा है उसका हनन किया गया। एक बात श्रीमन्, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कही गई। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता की यह राय थी, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की राय उनके अनुकूल नहीं थी। हो सकता है, मैं उनकी बात नहीं काटता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राय किस की चलती है, नेता की चलती है। मैं अगर यह कहूं कि कांग्रेस के सदर साहब की राय तो यह है लेकिन अन्य कांग्रेसी उसके खिलाफ हैं तो मैं यह बात ईमानदारी के साथ नहीं कह सकता हूं। मैं माननीय नेता सदन और उनके साथ बैठे हुए तमाम सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह सोचें-समझें कि किधर देश को लिये जा रहे हैं। उनके उसूल इस अध्यादेश के समर्थन करने के लिये गवाही नहीं देता है।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रताप सिंह जी के इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मुझे माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस संबंध में इसके पूर्व सत्र में जिला बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक आया था, मुझे उसमें भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

श्रीमन्, उस समय सभी दलों की यह प्रमुख मांग थी कि जिला बोर्डों को अविलम्ब भंग कर दिया जाय क्योंकि १९४८ के यह जिला बोर्ड्स इतने पुराने हो गये थे। दस वर्ष से बराबर एक ढांचा चल रहा था और देश में कितने ही परिवर्तन हुये, गांवों में पंचायतें बनीं और भी भिन्न संस्थाएं बनीं जिनके द्वारा इस देश के निर्माण का प्रश्न उठा। श्रीमन्, उस समय सभी की यह राय थी कि जिला बोर्ड इसलिए चलाये जा रहे हैं कि कांग्रेस के उनमें अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का

बहुमत है और कांग्रेसी सरकार है इसलिये गांवों में कांग्रेसी सरकार की सत्ता रहे इसलिये इसको भंग नहीं किया जा रहा है। श्रीमन्, इस तरह की चर्चा की गई और अप्रजातांत्रिक ढंग की बातें कही गईं। श्रीमन्, उस समय की प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि माननीय त्रिलोकीसिंह, राजनारायण और झारखंडे राय जी ने कहा था कि एक दिन भी इनको चलाना प्रजातंत्र की हत्या करना है। शब्द चाहे यह न हों, लेकिन भाव यही था कि जिला बोर्डों को अविलम्ब भंग कर दिया जाय।

श्रीमन्, कांग्रेस के लोग उस समय नहीं चाहते थे और मैं भी चाहता था कि पुराने बोर्ड ही चलें और बहुमत होने पर भी और संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों से बात करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक निश्चय लिया कि यह एनोमोली नहीं चलानी चाहिये। कारण यह है कि अपनी सरकार है। इसमें लाखों, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर के देश का सामाजिक स्तर ऊपर उठाना है। मुख्य काम हमारे सामने यह है कि हम नियोजन द्वारा जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठायें और देश का निर्माण करें। इसलिये बिना नियोजन के यह निश्चय हुआ कि प्लानिंग कमेटी भी वही काम करती है इसलिए इन जिला बोर्डों को अविलम्ब भंग कर के दोनों संस्थाओं को मिला कर एक सामंजस्य स्थापित किया जाय और जिला परिषद् बनाये जायं। उस पक्ष के लोगों ने यह भी कहा था कि इनको तुरन्त स्थापित किया जाय। श्रीमन्, यदि कोई संस्था खत्म कर दी जाय और उसकी जगह दूसरी न बनाई जाय तो एक स्थिति पैदा हो जाती है। एक (vacuum) न हो इसलिये हम चाहते हैं कि दूसरी चीज इस से अच्छी न आये तो कम से कम बराबर की तो जरूर आये। श्रीमन्, यह इसी भावना से है। इस माननीय सदन के सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि जिला बोर्ड जो दस वर्ष से चल रहे हैं, आवश्यक है कि उनको समाप्त कर दिया जाय। ऐसी सूरत में उसकी आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर चुनाव होता तो उस चुनाव में भी कांग्रेस का बहुमत रहता और रहेगा, यह मेरा विश्वास है। उस पक्ष को आशा यह थी कि अविलम्ब भंग करने के मानी यह होंगे कि १८४ जो उनके सदस्यों की संख्या है, या जो भी उनकी संख्या हो, वह जिला परिषद् में आयेगी और उनका दल इस प्रकार बनेगा जिसमें वह कुछ कर सकें। लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा विधान सभा और विधान मंडल के सदस्य तो उसमें हुए, साथ ही जो कार्यकारिणी बनी, अपने जिले की और अगल बगल के दो तीन जिलों की जानता हूं, वहां कार्यकारिणी के चुनाव में बिरोधी दल के लोग बड़े हतोत्साहित हुए। कहीं–कहीं एक भी नहीं आया। देवरिया जिले में सात सदस्यों की कार्यकारिणी में एक भी नहीं आ सका। इस प्रकार जब उनको निराशा हुई और देखा कि उसमें कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रही है तो उन्होंने एक प्रस्ताव विरोध करने के लिये रखा। इसी अध्यादेश में स्पष्ट लिखा है—"जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के उद्देश्य से जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कार्यों के अन्तरिम प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये अध्यादेश। यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं स्वायत्त शासन संबंधी कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों की स्थापना की जाय।"

इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसका मुख्य लक्ष्य जिला बोर्ड के कोष और जिला नियोजन समिति के कोष को, दोनों को एक साथ मिला कर नियोजित ढंग से जिले का निर्माण किया जाय। साथ ही जो प्लानिंग कमेटी थी वह परामर्शदात्री थी। जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार था कि माने या न माने, लेकिन इस अध्यादेश द्वारा जो जिला अंतरिम परिषद् बनी है वह स्टैचुअरी बाडीज हैं। वे अपने निश्चय को कार्यान्वित कर सकती हैं। इस अध्यादेश के द्वारा हमें डेमोक्रेसी में जो एक व्यवस्था है उसमें एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मिला है। पुराने स्तर पर जितना रुपया मंजूर है चाहे प्लानिंग कमेटी का हो, चाहे जिला बोर्ड का, वहां की परिषद् अपने निश्चयानुसार उसको खर्च कर सकती है। यह माना कि अगर मतभेद

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

हो तो कलेक्टर गवर्नमेंट को रिफर करेगा। यह तो होना चाहिए क्योंकि जिला के स्तर पर अगर हम विधान सभा की तरह एक असेम्बली बना दें तो बड़ी कठिनाई हो जायगी। भिन्न-भिन्न जिलों से भिन्न-भिन्न बातें आयेंगी। इसलिए यह क्लाज रखना जरूरी था।

अब दूसरा प्रश्न यह रहा कि जिलाधीश को अध्यक्ष और पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के प्रेसीडेंटों को उपाध्यक्ष क्यों नियुक्त किया? इस पर बहुत टीका-टिप्पणी की गयी। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि जिला अध्यक्ष को ऐसे कहा जाय जैसे हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा सभी हमारे काम चलते हैं। लेकिन उसमें हमारी कैबिनेट, हमारे चुने हुए सदस्यों का विशेष हाथ रहता है। इसलिए अगर कलेक्टर अध्यक्ष बन कर बैठता है तो उसको निश्चय लिखने का अधिकार है कि जो बहुमत से निश्चय हो उसको लिखे और कार्यान्वित करे। जहां पर कोई विशेष महत्व का प्रश्न हो वहां पर सरकार या प्रशासन से पूछ ले। लेकिन जब वह अध्यक्ष के नाते बैठता है तो कलेक्टर होकर नहीं बैठता बल्कि एक ऐसा व्यक्ति होकर बैठता है जो कि बहुमत की राय को लिखे। इसलिये कलेक्टर है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति बैठता या कोई चुना हुआ ही व्यक्ति बैठता और उसको ये सब अधिकार होते तो व्यक्तिगत अधिकार एक अन्य व्यक्ति को होने के कारण यह प्रजातन्त्र के नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिये जब कलेक्टर वहां पर अध्यक्ष बन कर बैठता है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अनडेमोक्रेटिक हो।

साथ ही जिला परिषदों की रूपरेखा अभी माननीय सदस्यों के सामने आयेगी। हमारे विरोधीदल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी बड़े अनुभवशील व्यक्ति हैं, उनके सामने भी वह चीज आयेगी। यह एक नई व्यवस्था है जो आगे सामने आयेगी। प्लानिंग कमेटी का भी कलेक्टर अध्यक्ष है उसको और जिला बोर्ड को मिलाकर यह संस्था बनी है। इसलिये उसको अध्यक्ष बनाकर सरकार ने प्रजातन्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है।

अब रहा उपाध्यक्ष का प्रश्न। जिला परिषद् ऐसी संस्था बनी है जिसमें जिला बोर्ड का चुना हुआ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होना जरूरी है क्योंकि जिला बोर्ड के अध्यक्ष का १० साल पुराना अनुभव है और पिछले १० साल से वह जिले के काम को संचालित करता रहा है तो परिषद् में ऐसे आदमी की राय जानना बहुत आवश्यक था। तो जब वह उपाध्यक्ष की हैसियत से वहां पर बैठता है या अध्यक्ष की हैसियत से तो वह जिलों के मसलों पर अपनी बहुमूल्य राय दे सकेगा। यह अच्छा भी नहीं जंचता है कि जिस आदमी को १० साल पुराना जिले के कामों का अनुभव हो, जो ग्राम नियोजन के बहुत से कामों में अपना साथ देता रहा हो, उसको उपाध्यक्ष का पद न दिया जाय। अगर ऐसे अनुभवी आदमी को उपाध्यक्ष बना दिया तो इसमें कौन-सी ऐसी बात है जिससे प्रजातन्त्र की हत्या हो गई। अगर चुनाव भी होता तब भी ऐसे ही अनुभवशील व्यक्ति उसमें आते जिनको जिले के हर काम का अनुभव हो। इस प्रकार के व्यक्ति कार्यकारिणी में अच्छी प्रकार से कार्य कर सकेंगे। यह इस प्रकार की व्यवस्था है कि इससे लाभ ही होगा। इसमें हमने देखा है कि प्रजातन्त्र का विकास हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया यह तो एक अन्तरिम व्यवस्था है। इसलिये अध्यादेश के जरिये से यह अत्यन्त आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार का प्रबन्ध कर दिया जाय। यह नहीं कि थोड़े समय के लिये अपव्यय किया जाय और फिर बिल आवे। यह हमारे लिये शोभनीय नहीं होता। उस आवश्यकता को समझ कर अध्यादेश लागू किया गया।

उधर के सदस्यों की तरफ से कहा गया कि अविलम्ब चुनाव कराया जाय और उसको भंग किया जाय। यह उस समय सम्भव नहीं था, जनता की रुचि भी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस का बहुमत है। इसलिये अन्तरिम परिषद् की स्थापना के लिये यह आर्डिनेन्स लाया गया और सरकार ने उस तरफ के लोगों की बात को मानते हुये थोड़ा-सा यह मौका दिया कि सुनियोजित ढंग से काम हो। इन शब्दों के साथ मैं भीखालाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

हरिजन कल्याण राज्यमंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रताप सिंह—मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। मुझे मान्यवर, दुख है कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जितने सुझाव आये हमारे सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया। यह अल्पमत या बहुमत का प्रश्न नहीं है। यह तो सिद्धान्त की बात है जिस पर आर्डिनेन्स लाया गया। यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी टाप पर नहीं चल सकती है। जिस प्रकार से परिषद् में लोगों को रखा गया है वह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। हमारी बातों को उधर से गलत बताया गया। मैं उन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि कोई बुनियादी बात नहीं कही गई है। जिस प्रकार से जिला परिषद् को बनाया गया है, माननीय सदस्य उसके बारे में आर्डिनेन्स को पढ़ने की कोशिश करें। उसमें देखें कि जिला मैजिस्ट्रेट उसका हेड ही नहीं है बल्कि वह एग्जीक्यूटिव हेड भी है। वही सब कार्य को कार्यरूप में परिणत करायेगा। अगर जिला परिषद् का बहुमत किसी चीज को कहता है तो जिला मैजिस्ट्रेट बहैसियत प्रेसीडेंट किसी बात को ठीक नहीं समझता है तो अपनी राय सरकार के पास वह भेज देगा। श्रीमन्, जनतंत्र की दुहाई हम तो क्या दे सकते हैं, वह तो सामने वाले ही दे सकते हैं। मुझे यह जानकर भी दुख हुआ कि हमसे अधिक अनुभवी सदस्यों ने यह कहा कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है उनको बुद्धि नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि बुद्धि किसके पास है, लेकिन मैं तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का एक विद्यार्थी हूं और विधान की २१३ धारा के मुताबिक यह प्रस्ताव यहां लाया हूं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कोई नये नामिनेशन नहीं किये गये। उसके लिये मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य क्लाज ५ को पढ़ें—"इस अध्यादेश के प्रारम्भ के बाद यथाशीघ्र, किन्तु १० मई, १९५८ के बाद नहीं, मिर्जापुर, रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले का निर्वाचक-गण धारा १५ के अधीन निर्मित नियमों में दी हुई रीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अपने पांच सदस्यों को अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य निर्वाचित करेगा"। इसमें है, लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है।

दूसरे यह भी कहा गया कि वोट देने का हक इसलिये नहीं दिया गया कि जो चुने हुए सदस्य हैं उनमें और दूसरों में अन्तर किया जाय। मान्यवर, हमीरपुर में हाथ उठा कर जिला स्तर के अधिकारियों ने वोट दिया। यहां यदि मैं आप की बात मान भी लूं तो क्या सबूत है? हमीरपुर में किस आधार पर अधिकारियों ने वोट दिया? कहा गया कि जिला बोर्ड का प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, जिला नियोजन समिति का था, लेकिन उसके साथ-साथ जिला बोर्ड अलग था, लेकिन आज इस सारे जिले का शासन इन सात आदमियों के हाथ आयेगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जूनियर और सीनियर वाइस प्रेसीडेंट बना कर तानाशाही लाना चाहते हैं। श्रीमन्, जहां दो आदमी होते हैं वहां तानाशाही खत्म हो जाती है। तानाशाही तो एक आदमी के हाथ में सत्ता होने से ही रहती है। तानाशाही तो जूनियर और सीनियर वाइस प्रेसीडेंट होने से ही खत्म होगी। यह भी कहा गया कि जो हमारा एक्जीक्यूटिव हेड है वह पब्लिक मैन नहीं है और उसको एक ट्रेनिंग है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उसको आदत नहीं है कि किस प्रकार जिले का विकास कराया जाय। उसको तो ट्रेनिंग यह है कि जो मंत्रिगण के आदेश होते हैं उनका पालन किस प्रकार कराया जाय। वह मजबूर है मानने के लिये। तो जो यह बात कही जाती है कि इस अंतरिम पीरियड में जिला मैजिस्ट्रेट को जो ताकत दी गयी है वह सही है, मैं उसे ठीक नहीं समझता क्योंकि

[श्री प्रताप सिंह]

उसकी ट्रेनिंग डेमोक्रेटिक ढंग पर नहीं हुई है, उसकी ट्रेनिंग तो आदेश को मानने के लिये हुई है और इसलिये यह इंटरिम पीरियड में और भी नुक्सान की बात होगी। मैं और अधिक समय न ले कर माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार इस सदन को अधिकार है कि वह इस अध्यादेश को न माने, यह सदन अपनी जिम्मेदारी की अवहेलना न करे और दूसरे हमको किसी अधिकार को देने का हक नहीं दिया गया, इस बात का जवाब भी किसी ने नहीं दिया। तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से कहूंगा कि हम इस आर्डिनेन्स को अस्वीकार करें ताकि भविष्य में इस प्रकार के आर्डिनेन्स हम पर न लादे जायं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैंने बहुत ध्यान से आज माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। भाई त्रिलोकी सिंह जी ने भी जो इस सदन में फरमाया उसको भी बहुत गौर से सुना और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि न तो विधान के समझने में मैंने गलती की और न दूसरे कानूनों को समझने में, अगर गलती की तो सचमुच अपने भाइयों को समझने में गलती की और इसमें मेरा दोष है या दोष कहीं अन्यत्र है यह मैं नहीं कह सकता। सारे भाषण सुन कर मुझे काफी तकलीफ हुई। एक आध भाई से मैंने कहा भी कि ऐसी मुझे आशा नहीं थी तो उन्होंने बहुत इतमीनान के साथ जवाब दिया कि यह तो पालिटिक्स है और आपको पालिटिक्स सीखनी चाहिये। मैं सचमुच इसके लिये तैयार नहीं था और अगर किसी एक चीज में मैं आशा कर सकता था ज्यादा से ज्यादा सहयोग की विरोधी दल के नेताओं से और सदस्यों से तो मेरा ख्याल है कि यह वही चीज थी।

माननीय नेता सदन ने ट्रूस की बात कही। इस बहस के दौरान में उसका जिक्र यहां किया गया और कुछ ताने भी दिये गये। बावजूद इसके हमारा ऐसा विश्वास था कि एक विभाग यह ऐसा था कि जिसमें ट्रूस ही नहीं बल्कि वास्तविक सहयोग, सद्भावना सारे सदन की और उसके बाहर भी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी ली जा सकती है। एक बड़ा नया प्रयोग हम करने के लिये जा रहे हैं। एक तरफ यह आशा की जाती है कि डी० एम० की ताकत कम कर दी जाय, एक सरकारी अफसर से वह ताकत लेकर जन-प्रतिनिधियों के हाथ में दे दी जाय और दूसरी ओर यह खतरा है, जैसा कि आज मुझे यहां देखने से लगा, कि उसके लिये जो जरूरी कीमत है वह हम देने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर विरोधी दल का सच्चा विश्वास यह है कि इस तरफ से कोई भी ईमानदारी का कदम नहीं उठाया जा सकता, हमारा हर मूव ऐसा होगा कि हम सरकारी अफसरों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा खयाल है कि इस सन्देह के वातावरण में यह प्रयोग कभी सफल हो नहीं सकता। हमें सोच लेना चाहिये कि हम इसके लिये तैयार हैं या नहीं। जो कदम उठाना चाहते हैं वह तभी सफल हो सकता है जबकि उसके लिये सब का सहयोग मिले। जो जिला परिषद् हम बनाना चाहते हैं वे पालीटिकल पार्टीज के लिये आपस में ताकत आजमाइश के लिये अखाड़े न बनें, बल्कि जनता की सेवा करने के लिये, एक दूसरे के नजदीक आने के लिये और सहयोग के लिये ये होने चाहिये। मैं विरोधी दल से अपील करता हूं कि अगर वे हमारा विश्वास करते हैं तो इस प्रयोग के लिये सरकार को उत्साहित करें। अगर हम किसी भी तरह से उनमें विश्वास पैदा कर ही नहीं सकते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि वह भी मालूम हो जाय ताकि सरकार उसके मुताबिक अपना काम करे।

इस जगह से कई बार कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव समय से नहीं हो सके, इसके लिये सरकार को दुख है। लेकिन यह समझना कि सरकार की हमेशा अनिच्छा रही, गलत है। सब से पहला चुनाव सन् १९५२ में ड्यू था। उस समय जनता का मत करीब करीब ९०, ९५ फीसदी कांग्रेस के साथ था और भूल कर भी हमको यह संदेह नहीं हो सकता था कि अगर हम चुनाव करायेंगे तो कांग्रेस हार जावेगी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमारे हाथ से निकल जावेंगे। बल्कि ईमानदारी से यह सोचा गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिस शक्ल में चल रहे उसमें न चल कर ज्यादा ताकत इनको मिलनी चाहिये, उसके लिये कोशिश की। लेकिन

बदकिस्मती यह है कि हम लोगों के पास इतनी नई चीजें करने के लिये थीं कि हम लोग उन सब को नहीं कर सके। जितना लेजिस्लेशन करना था हम उसके साथ पेस नहीं रख सके और मुझे माफ किया जाय यह भी कहने के लिये कि जितने दिन उसके लिये बैठना चाहिये था वह हम लोग करने के लिये तैयार नहीं थे। मैं किसी एक पार्टी को इसके लिये दोषी नहीं कहता हूं। मैं समझता हूं कि जितना काम आज लेजिस्लेशन के लिये पड़ा हुआ है उसे करना चाहिये। उसमें विलम्ब होने के लिये कोई यह नहीं कह सकता है कि वह जिम्मेदार नहीं है क्योंकि इस सदन में चाहे विरोधी दल हो, चाहे कांग्रेस की तरफ के हों, चाहे सरकारी दल हों, दोनों जिम्मेदार हैं। गणतन्त्र और लोकतंत्र की अगर कोई मर्यादा है तो यह है कि सम्मिलित हमारी सब की जिम्मेदारी है। तो उस दृष्टि से भी हम उसको समय से नहीं ला सके। बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जिन्दगी बढ़ानी पड़ी लेकिन जब हमने देखा कि लोगों के मन में गलतफहमी हो रही है, लोग यह समझते हैं कि हम सिर्फ अपने दोस्तों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की गद्दी पर बनाये रखना चाहते हैं, इसलिये एलेक्शन नहीं कराते हैं तो हमने विरोधी दल की बात मानी। इस सदन को मालूम है कि यहां से पास भी हुआ कि अभी एलेक्शन न कराया जाय। आज हमसे इस बात के लिये जवाब तलब किया जाता है कि आप गुनहगार हैं, आपने चुनाव क्यों नहीं कराया ?

श्रीमन्, इसी सदन की बात है, यहीं पर यह तय हुआ था, अगर प्राइवेट तौर से कहीं हमने तय किया होता तो भी शायद हम गुनहगार होते। यहीं कहा गया, नाम तक लेकर दिये गये और फिर इसी हाउस के अन्दर बात कही गयी और सबने तालियां बजायीं, जब यह निर्णय हुआ कि फिलहाल चुनाव टाल दिया जाय। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने यहां तक कहा कि किस तरह से आगे क्या इन्तजाम होगा और जो चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सदस्यों की ओर से होगा उसमें ५ आदमियों के रखने की बात को भी विरोधी दल की इच्छा पूर्ति करने के लिये सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के जरिये एलेक्शन कराने की बात को मान लिया कि ऐसा न हो कि एक ही पार्टी के सारे आदमी आ जायं। इतने डिटेल में तो हम लोग गये और यह किया गया। तो अगर हम मानते हैं कि उस पद्धति को बदलना है, नयी डिस्ट्रिक्ट कौन्सिल बनानी है, जिनके अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से ज्यादा होने चाहिये तो फिर श्रीमन्, कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम वह कामचलाऊ तरीका न बरतें। यह सही बात है कि हमको यह परिस्थिति जिसमें सदन ने डाल दिया, पहले से मालूम हो गयी थी लेकिन फिर भी हमने समझा और मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहूंगा कि वे भी इसको ध्यान से देखें कि और ४ आर्डिनेंसों पर उनको आपत्ति नहीं हुई और उनके लिये उन्होंने समझा कि सरकार ने ठीक किया है लेकिन इस आर्डिनेंस पर उनको आपत्ति है क्योंकि वे समझते हैं कि इसके द्वारा जनता के हक को हम छीनना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि मुझे यहां समझने में गलती हुई, अपने मित्रों के अर्थ को मैंने गलत समझा, उस गलती को मैं तसलीम करता हूं और उसके लिये मैं गुनहगार हूं लेकिन कांस्टीट्यूशन के बरखिलाफ जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। जो कुछ भी हम यहां कर रहे हैं वह उस जनमत की इच्छा पूर्ति के लिये कर रहे हैं जिसके लिये हम यहां पर बैठे हुए हैं। अगर राजनारायण जी की इच्छा के मुताबिक हम चलें कि चुनाव हो और सब दल के लोग कहें कि न हो तो क्या हम एक दल को लेकर आगे चल सकते हैं, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। हमारे सामने कई परिस्थितियां थीं। अगर विरोधी दल से सिर्फ यह गरज है कि सोशलिस्ट पार्टी, तो बात दूसरी है लेकिन अगर विरोधी दल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा और उनकी सहमति को लेकर हम चलें तो कभी-कभी दुर्भाग्य की और बदकिस्मती की बात हो सकती है कि हम एक दल के कुछ लोगों को अपने साथ न ले जा सकें। लेकिन आमतौर पर मैक्सिमम लोगों की ही इच्छा पूर्ति होनी चाहिये। अगर हम एक दल की इच्छा पूर्ति करें और बाकी सब की उपेक्षा करें इसको मैं डेमोक्रेसी नहीं समझता और अगर हमने यह नहीं किया तो इसके लिये हमको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां पर डेमोक्रेसी का डेफिनिशन किया गया "एग्रीमेंट बाई डिस्कशन"। मैं इसको मानता हूं और समझता हूं। सरकार ने समझा कि इस मामले में कम से कम वह डेमोक्रेसी हो, जिसमें ट्रस्पिरिट हो, और उसी के मुताबिक

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में यह खयाल आ गया होता कि यह सदन यह चाहता है कि चुनाव न कराया जाय लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् अभी कायम रखे जायं तो शायद हम सोचते, कि हम अपने दोस्तों को कुछ दर्जे तक नाराज करें, खामखाह जबरदस्ती करें, हम ५० बार सोचते कि हम यह निर्णय करें कि अभी चुनाव न हो। हम चुनाव दिसम्बर में कराते, हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हमने ईमानदारी से समझा कि हम इस अध्यादेश को ला कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खत्म कर दें जिनमें यह समझा जाता है कि कांग्रेस का बहुमत है, जनता की राय के मुताबिक काम कर रहे हैं और विरोधी दल की राय के सामने झुक रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं और जब हमने सच्चाई के साथ यह अनुभव किया तो फिर कोई चारा हमारे पास नहीं था सिवा इसके कि जिस तरह की प्लानिंग कमेटीज बनी हुयी हैं उनके हाथ में काम सौंप दें, उनको काबूनी जामा पहना दें। उसमें ५० अवगुण हो सकते हैं, इसलिये इंटेंशन यह था कि जल्दी से जल्दी एक दूसरा बिल ले आयें जिसमें सारे दोष हटा दिये जायं, यही प्रार्थना मैंने सदन से करनी थी।

हमारी दिक्कत यह है कि जिस समय हम कोई चीज सदन के सामने लाना चाहते हैं तो उसको सही नजरिये से नहीं देखा जाता। इन चुनावों के लिये जब हमने वादा किया था तो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये चुनाव हो जायंगे, लेकिन प्रवर समिति में भेजने के लिये हमारी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया। ऐसा प्रस्ताव आया जिससे खामखाह इलेक्शंस देरी में हो सकें। फिर बदकिस्मती से इलेक्शंस गर्मियों में पड़े। इसका दोष भी हमारे ऊपर डाला गया कि सरकार ने जानबूझ कर चुनाव ऐसे समय में डाले ताकि विरोधी दल के नेता खुद कहें कि चुनाव न कराइये। अगर हमारी यह तिकड़म थी और विरोधी दल यह समझता था, तो वह क्यों हमारे चक्कर में फंस गया? अगर सब मिला कर उनको अच्छा लगा, प्लेजेंट मालूम हुआ, खुशनुमा लगा कि हमारे जाल में फंस जायं, तो जो एडवांटेजेज हैं उनको तो ले लें और दोष सब हमारे ऊपर डाल दें इसके लिये मैं उनको बधाई दे सकता हूं। लेकिन इतना मैं निवेदन किये देता हूं कि जिस डेमोक्रेसी की वे दुहाई देते हैं समय-समय पर यह उसकी परवरिश करने वाली चीज नहीं है, उसकी जड़ काटने वाली चीज है। उसकी परवरिश कर सकता है आपस का विश्वास और आपस का सहयोग।

श्रीमन्, मेरी तो इच्छा यह थी कि यह जो दूसरा बिल हम ला रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी हम डिसकस करते, क्योंकि इसी सत्र में हम उसको स्थायी रूप देना चाहते हैं ताकि मार्च से पहले पहल यानी फरवरी में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का इलेक्शन हो सके और अप्रैल में वे कायम हो जायं।

किसी ने सन् ६२ की बात कही। हमारी ओर से पूरी कोशिश इस बात की हो रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो रहा है कि जल्दी से जल्दी बिल ला कर इस सदन के सामने उपस्थित कर दें, ताकि उस पर विचार हो कर प्रवर समिति के पास उसे भेज दें। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि प्रताप सिंह जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। श्रीमन्, एक बात और कह दूं। श्री प्रताप सिंह ने कहा कि हमने अदालत का हक छीन लिया।

श्रीमन्, वह लिया नहीं जा सकता है। हक सिर्फ यह लिया कुछ लोगों का इस बिना पर कि एक आदमी मर गया था, एक आदमी चुना हुआ नहीं था, ऐसी कोई फार्मल टेक्निकलिटी रह जाय, उस पर निर्णयों की वैलिडिटी को क्वेश्चन न किया जाय। लेकिन हमारे लिख देने के बाद भी जो कोर्ट का जूरिस्डिक्शन है वह किसी तरह भी बाहर नहीं किया जा सकता है और न हमारा इंटेन्शन था कि जहां पर सचमुच गलती रह गई हो उसको भी ढांक दें। वह हम कर भी नहीं सकते अगर चाहें भी तो। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि विधान सभा उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ का अननुमोदन करती है।

प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५०,

विपक्ष में--१४५।)

## कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ की प्रवर समिति के प्रतिवेदनार्थ ४ मास की अवधि के बढ़ाने के प्रस्ताव पर विधान परिषद् की स्वीकृति

श्री अध्यक्ष--अब मैं दो एक सूचनायें दिये देता हूं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम तो अब कल ही होगा ।

यहां से यह प्रस्ताव हुआ था कि कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसकी मियाद ३० मई को खत्म होती थी वह ४ मास के लिये बढ़ा दी जाय, ऐसा प्रस्ताव था । वह प्रस्ताव विधान परिषद् के सामने गया और उन्होंने भी यह ४ मास की अवधि बढ़ाने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान की है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह ४ मास आज से होंगे ?

श्री अध्यक्ष--३० मई से ।

## कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरी सूचना यह है कि सरकार की ओर से मेरे पास एक सूचना आई (कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ कल लिया जायगा, यह बात कायम रहेगी, लेकिन पहिले कार्यक्रम में यह बताया गया था कि २९, ३० व ३१ जुलाई को क्रमशः उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ और उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है--इस क्रम से विधेयक लिये जायेंगे । वे इस समय भी सूचना के अनुसार इस क्रम से लिये जावेंगे कि उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद विधेयक, १९५८ पारित हो जाने के बाद इन दोनों विधेयकों को लिया जायगा जिनकी प्रतिलिपि आज सचिव ने मेज पर रखी थी अर्थात् उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ व उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८, जिनमें कुछ संशोधन कर के विधान परिषद ने सुझाव भेजे हैं उनको दूसरे विधेयकों से पहले लिया जायगा और उनके बाद अन्य विधेयक लिये जायंगे । कल पहले उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ लिया जायगा ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२९ जुलाई, १९५८ ।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)।

### हाटा तहसील के सीमेन्ट स्टाकिस्टों की सूची

| क्रम-संख्या | सीमेन्ट स्टाकिस्ट का नाम | दुकान का स्थान |
|---|---|---|
| १ | मेसर्स अब्दुरहमान मुहम्मद हनीफ .. .. .. | कप्तान गंज |
| २ | डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया .. .. | कप्तान गंज |
| ३ | मेसर्स राम गोपाल शंकर प्रसाद .. .. .. | लक्ष्मी गंज |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर।)

## हाटा तहसील के सस्ते गल्ले के दूकानदारों की सूची

| क्रम-संख्या | दूकानदार का नाम | दूकान का सेन्टर जहां पर दूकान स्थित है |
|---|---|---|
| १ | श्री भिखारी साहू .. .. .. | तितला |
| २ | श्री साहबजादा साही .. .. .. | पडरीबाजार |
| ३ | श्री रघुनाथ साहू .. .. .. | सुकरौली |
| ४ | श्री वासदेव प्रसाद मिश्रा .. .. .. | झांगा |
| ५ | श्री चन्द्र प्रभाकर सिंह .. .. .. | सिकटिया |
| ६ | श्री सीताराम यादव .. .. .. | लक्ष्मीगंज |
| ७ | श्री लछमन प्रसाद .. .. .. | रामकोला |
| ८ | श्री जनता हाई स्कूल अहिरौली राजा .. .. | अहिरौली राज |
| ९ | जनता जूनियर हाई स्कूल कप्तानगंज .. .. | कप्तानगंज |
| १० | कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर, देवरिया .. .. | मठिया |
| ११ | श्री श्याम बिहारी .. .. .. | कोटवा |
| १२ | ग्रेन डीलर सिन्डीकेट, देवरिया .. .. | मगडीहा |
| १३ | कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर, देवरिया .. .. | खड़ा |
| १४ | श्री मन्नुराम .. .. .. | भोजौली |
| १५ | अपर प्राइमरी स्कूल, पगरा .. .. | पगरा |
| १६ | श्री नागर मल .. .. .. | कोटवा |
| १७ | डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फैडरेशन, देवरिया .. | कप्तानगंज |
| १८ | गांधी स्मारक हाई स्कूल, हाटा .. .. | हाटा |
| १९ | सहकारी संघ, हाटा .. .. .. | हाटा |
| २० | सहकारी संघ, बोदरवार .. .. .. | बोदरवार |
| २१ | सहकारी संघ, अहिरौली बाजार .. .. | अहिरौली बाजार |
| २२ | श्री अलिमुल्लाह .. .. .. | टेकआटार |
| २३ | केन यूनियन, छितौली .. .. .. | छितौली |
| २४ | केन यूनियन, छितौली .. .. .. | नवरंगिया |
| २५ | मेसर्स विश्वनाथ छेदी प्रसाद .. .. | सुकरौली |
| २६ | श्री गंगा प्रसाद .. .. .. | रकड़ गंज |
| २७ | श्री श्यामसुन्दर प्रसाद .. .. .. | कप्तानगंज |
| २८ | जी० एस० स्कूल, हाटा .. .. .. | मथौली |
| २९ | श्री कानी राम .. .. .. | नेवुआ |
| ३० | श्री सरयू प्रसाद .. .. .. | राम कौला |
| ३१ | मेसर्स रामचन्द्र नेवलाल .. .. .. | मंगलपुर, मुजहना |
| ३२ | केन सोसाइटी, लक्ष्मी गंज (देवरिया बाबू) .. | लक्ष्मीगंज |
| ३३ | केन यूनियन, खड़ा .. .. .. | खड़ा |
| ३४ | ग्रेन ड्रिलर्स सिन्डीकेट, देवरिया .. .. | सुकरौली |
| ३५ | भालचन्द आर्य .. .. .. | रामकोला |

विधान सभा

| क्रम-संख्या | दूकानदार का नाम | दूकान का सेन्टर जहां पर दूकान स्थित है |
|---|---|---|
| ३६ | श्री ढोढा प्रसाद .. .. .. | रामकोला |
| ३७ | श्री गोपाल प्रसाद .. .. .. | महदेवा बरवा |
| ३८ | श्री शिवलोचन प्रसाद .. .. .. | रामकोला |
| ३९ | श्री नवल किशोर, अग्रवाल .. .. | खटही |
| ४० | मेसर्स सरयू राम राम लक्षन .. .. | नेका छपरा |
| ४१ | सहकारी संघ रामकोला .. .. .. | राम कोला |
| ४२ | श्री राम बहाल सिंह .. .. .. | कोहरगढ़ी |
| ४३ | श्री मदन गोपाल .. .. .. | चिरगोड़ा |
| ४४ | मेसर्स सुखदेव शाही लल्लन सिंह .. .. | सिगहा |
| ४५ | श्री शारदा मल .. .. .. | तिनवदहां |
| ४६ | श्री राम विहारी सिंह .. .. .. | बरवा बाजार |
| ४७ | श्री कृष्ण मुरारी .. .. .. | भरार बिनवलिया |
| ४८ | मेसर्स संगमराम जी समरदेव जी .. .. | कप्तानगंज |
| ४९ | श्री अवधराम .. .. .. | खड़ा |
| ५० | श्री गंगा प्रसाद .. .. .. | खड़ा |
| ५१ | श्री विंध्याचल शुक्ला .. .. .. | खजुरी बाजार |
| ५२ | श्री आत्माराम गर्ग .. .. .. | करमी पटी |
| ५३ | मेसर्स रामवक्ष लक्ष्मी प्रसाद .. .. | देवरार पिपरा |
| ५४ | जन हितैषी सहकारी संघ, लक्ष्मीगंज .. .. | लक्ष्मीगंज |
| ५५ | श्री नरायन .. .. .. | छितौली |
| ५६ | श्री कमली प्रसाद .. .. .. | नातारजंगल |
| ५७ | मेसर्स शिवलोचन प्रसाद राजकिशोर प्रसाद .. | पिपरा बरसिआवं |
| ५८ | श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्र .. .. .. | रेवटार |
| ५९ | श्री फेक प्रसाद .. .. .. | लकुआ |
| ६० | श्री नरसिंह प्रसाद .. .. .. | मेढ़िहारी |
| ६१ | केन यूनियन रामकोला .. .. .. | रामकोला |
| ६२ | श्री जमुना राम .. .. .. | परैनी स्थान |
| ६३ | मेसर्स कृष्णा प्रसाद राधा कृष्ण .. .. | बगही बाजार |
| ६४ | मेसर्स शिवनाथ छोटेलाल .. .. .. | मड़सर |
| ६५ | श्री द्वारिका प्रसाद .. .. .. | बोदरबार |
| ६६ | कोआपरेटिव सोसाइटी, रामपुर .. .. | रामपुर |
| ६७ | कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर, देवरिया .. .. | हेतिमपुर |
| ६८ | श्री मालाराम .. .. .. | मथौली |
| ६९ | श्री संतलाल गुप्ता .. .. .. | छितौली |

## गृह-निर्माण सामग्री वितरण परामर्शदात्री समिति के हाटा तहसील के सदस्यों की सूची

१—एस० डी० ओ०, हाटा।

२—श्री अद्याप्रसाद पान्डेय, निवास-स्थान ग्राम मछर गांवा।

३—श्री रामगोपाल बंका, निवास-स्थान लक्ष्मीगंज।

४—श्री प्रहलाद दास, निवास-स्थान ग्राम मुजहना दास।

५—श्री महावीर सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०, खड़ा, सर्किल।

६—श्री राजाराम पान्डेय, कांग्रेस कार्यकर्त्ता, पड़रौना।

७—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, हाटा।

८—डिप्टी एक्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट आफिसर, कप्तानगंज।

९—श्री सूर्यबली पान्डेय, एम० एल० ए०, हाटा सर्किल।

१०—श्री शिव प्रसाद, एम० एल० ए०, हाटा सर्किल।

---

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर।)

वित्तीय वर्ष १९५७–५८

| टाउन एरिया का नाम (जिला मैनपुरी) | सड़क अनुदान (सड़कों के सामान्य नवीनकरण, सुधार तथा निर्माण के लिये) राज्य सरकार द्वारा दिया हुआ | अनुदान [मेहतरों द्वारा कूड़ा फेंकने के लिये हैंड कार्ट्स (Hand Carts) या ह्वील बैरोज (Wheel Barrows) खरीदने के लिये] भारत सरकार द्वारा दिया हुआ |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| १—कुरवाली .. .. | २,००० | ३५० |
| २—भोगांव .. .. | १२,००० | .. |
| ३—बेवर .. .. | २,००० | ९५० |
| ४—सिरसागंज .. .. | २,००० | ७५० |
| ५—जसराना .. .. | २,००० | ७५० |
| ६—करिहा .. .. | ७,००० | ४०० |
| ७—करहल .. .. | २,००० | ३०० |

प्रश्न में यह पूछा गया है कि १९५८ में क्या सहायता दी गयी है। कार्यालय ने इसका यह अर्थ समझा है कि सन् १९५८ से सदस्य महोदय का आशय वित्तीय वर्ष १९५७–५८ से है, इसलिये कि आर्थिक सहायता वित्तीय वर्ष के हिसाब से ही दी जाती है। अतएव तालिका में सूचना भी तदनुसार दी गई है।

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर।)

| नाम | | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|
| १—श्रीमती सरोज साहू | .. | ४ सितम्बर, १९४७ |
| २—श्री रुद्रभान सिंह | .. | " |
| ३—श्री मलिक मुहम्मद अहमद | .. | ३१ अगस्त, १९५३ |
| ४—श्री पुत्तूलाल सिंह | .. | " |
| ५—श्री तेज सिंह .. | .. | २८ नवम्बर, १९५५ |

सन् १९४७ ई० में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के चुनाव के लिये जो कमेटी बनी थी उसमें औरों के अलावा निम्नलिखित मेम्बर थे :—

(१) श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल, एम० एल० ए०,

(२) श्री भगवान सिंह, एम० एल० ए०,

(३) श्री रामगुलाम, एम० एल० सी०।

सन् १९५३ तथा १९५५ ई० में आनरेरी मैजिस्ट्रेटों के चुनाव के लिये जो कमेटी बनी थी उसमें औरों के अलावा निम्नलिखित मेम्बर थे :—

(१) श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल, एम० पी०,

(२) श्री मकसूद आलम खां, एम० एल० ए०,

(३) श्री निरंजन सिंह, एम० एल० ए०,

(४) श्री शिव सुमरन लाल जौहरी, एम० एल० सी०।

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर।)

| क्रम-संख्या | नाम | | नियुक्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| १ | श्रीमती लक्ष्मी देवी | .. मेम्बर्स, लेडीज़, बेंच, द्वितीय श्रेणी | २२ अगस्त, १९४९ |
| २ | श्रीमती सरला रोहतगी | .. " | २२ अगस्त, १९४९ |
| ३ | श्रीमती श्रीदेवी मुसद्दी | .. " | २१ मई, १९५२ |
| ४ | श्री चन्द्र कुमार मिश्रा | .. मेम्बर्स कानपुर बेंच, संख्या १, द्वितीय श्रेणी | ९ अप्रैल, १९५२ |
| ५ | श्री राम नरायन पांडे | .. " | " |
| ६ | श्री विश्वनाथ सिंह | .. " | " |
| ७ | श्री सोने शंकर वाजपेयी | .. मेम्बर्स, कानपुर बेंच, संख्या २, द्वितीय श्रेणी | " |
| ८ | श्री तबारक हुसेन | .. " | " |
| ९ | श्री बाबूलाल गुप्ता | .. " | " |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४८ पर ।)

### नक्शा २

### सस्ते गल्ले की दूकानों की तालिका जो स्वीकृत हो चुकी हैं

| | |
|---|---|
| **१—पहाड़ी जिले (पहाड़ी जिलों की खाद्यान्न व्यवस्थाकी योजना)—** | |
| १—अल्मोड़ा .. .. .. | १४० |
| २—गढ़वाल .. .. .. | १२९ |
| ३—टेहरी गढ़वाल .. .. .. | १४२ |
| | ४११ |
| **२—अन्य पर्वतीय जिले और कस्बे—** | |
| ४—देहरादून .. .. .. | ४० |
| ५—हरिद्वार .. .. .. | २० |
| ६—ऋषिकेस .. .. .. | ३ |
| ७—मसूरी .. .. .. | ९ |
| ८—सहिया .. .. .. | १ |
| ९—चकराता .. .. .. | २ |
| १०—नैनीताल .. .. .. | २८ |
| | १०३ |
| **३—गोरखपुर रीजन के अभाव-ग्रस्त जिले—** | |
| ११—आजमगढ़ .. .. .. | २१४ |
| १२—बलिया .. .. .. | १८० |
| १३—बस्ती .. .. .. | २३५ |
| १४—देवरिया .. .. .. | २५० |
| १५—गाजीपुर .. .. .. | १४३ |
| १६—जौनपुर .. .. .. | २१४ |
| १७—गोरखपुर .. .. .. | २१० |
| १८—मिर्जापुर .. .. .. | १३२ |
| १९—वाराणसी .. .. .. | १४३ |
| २०—गोंडा .. .. .. | ७१ |
| २१—बहराइच .. .. .. | २ |
| | १,७९४ |
| कुल योग .. | २,३०८ |
| **४—लखनऊ रीजन के अभाव ग्रस्त जिले—** | |
| २२—फैजाबाद .. .. .. | ५१ |
| २३—प्रतापगढ़ .. .. .. | २१ |
| २४—सुल्तानपुर .. .. .. | १४ |
| | ८६ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

५—कानपुर रीजन के अभाव-ग्रस्त जिले—

| | |
|---|---|
| २५—बांदा .. .. .. | ३५ |
| २६—फतेहपुर .. .. .. | २५ |
| २७—झांसी .. .. .. | ४ |
| २८—इलाहाबाद .. .. .. | ७५ |
| | १३९ |

६—पंच महानगरियां—

| | |
|---|---|
| २९—वाराणसी .. .. .. | ७२ |
| ३०—कानपुर .. .. .. | १२० |
| ३१—लखनऊ .. .. .. | १२० |
| ३२—आगरा .. .. .. | ८० |
| ३३—इलाहाबाद .. .. .. | ६० |
| | ४५२ |

७—अन्य जिले—

| | |
|---|---|
| ३४—बरेली .. .. .. .. | २५ |
| ३५—रामपुर .. .. .. .. | १० |
| ३६—फर्रुखाबाद .. .. .. .. | ६ |
| ३७—मेरठ .. .. .. .. | ४० |
| ३८—सहारनपुर .. .. .. | २० |
| ३९—झांसी .. .. .. .. | १५ |
| ४०—मथुरा .. .. .. .. | १७ |
| ४१—मुरादाबाद .. .. .. | १५ |
| ४२—सीतापुर .. .. .. .. | ५ |
| ४३—उन्नाव .. .. .. .. | ५ |
| ४४—मुजफ्फरनगर .. .. .. | १० |
| ४५—बदायूं .. .. .. .. | ५ |
| ४६—अलीगढ़ .. .. .. .. | २० |
| ४७—बुलन्दशहर .. .. .. .. | ५ |
| ४८—हरदोई .. .. .. .. | ३ |
| ४९—शाहजहांपुर .. .. .. .. | १० |
| ५०—इटावा .. .. .. .. | ५ |
| ५१—मैनपुरी .. .. .. .. | ५ |
| ५२—बिजनौर .. .. .. .. | ४ |
| ५३—पीलीभीत .. .. .. | ५ |
| | २३० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## जिला सदर मुकाम के अतिरिक्त अन्य शहर

| शहर | | | |
|---|---|---|---|
| आगरा | ५४—फीरोजाबाद | .. | १५ |
| फर्रुखाबाद | ५५—कनौज | .. | १ |
| मेरठ | ५६—मोदीनगर | .. | ३ |
| | ५७—गाजियाबाद | .. | ८ |
| | ५८—हापुड़ | .. | ५ |
| | ५९—हस्तिनापुर | .. | २ |
| मथुरा | ६०—बृन्दावन | .. | ३ |
| मुजफ्फरनगर | ६१—शामली | .. | ५ |
| | ६२—बुधाना | .. | २ |
| सहारनपुर | ६३—रुड़की | .. | ५ |
| बरेली | ६४—आंवला | .. | ३ |
| झांसी | ६५—ललितपुर | .. | ३ |
| अलीगढ़ | ६६—सिकन्दरा राव | .. | २ |
| | ६७—अतरौली | .. | २ |
| | ६८—हाथरस | .. | ४ |
| हरदोई | ६९—सन्डीला | .. | १ |
| | ७०—शाहाबाद | .. | १ |
| | ७१—बिलग्राम | .. | १ |
| | | | ६६ |
| | कुल योग | .. | ३,२८१ |

विधान सभा सदस्य पदेन

## नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४५४ पर।)

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

| संक्षिप्त शीर्ष-नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ। | विधान सभा द्वारा स्वीकृत खंड | विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश |
|---|---|---|
| | १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। | खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : |
| | (२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। | "(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे।" |
| | (३) यह १ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित होगा। | |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४५८ पर।)

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५८

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार तथा प्रारम्भ

विधान सभा द्वारा स्वीकृत खंड

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित होगा।

विधान परिषद् द्वारा की गई सिफारिश

खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(३) यह उस तिथि से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके निश्चित करे।"

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—९१ एल० ए०—१९५८—८३७।